खण्ड-250, अंक-3
बुधवार, 7 श्रावण, शक संवत् 1886
(29 जुलाई, 1964 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 250 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४ में किये गये शाब्दिक संशोधन (मेज पर रखे गये)	१३१
उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक विधेयक, १९६४ में किए गये शाब्दिक संशोधन (मेज पर रखे गये)	१३१
उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६४ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	१३१
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६४ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	१३२
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	१३२
उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक विधेयक, १९६४ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	१३२
उत्तर प्रदेश लाभ पद विषयक संयुक्त समिति का प्रथम प्रतिवेदन (मेज पर रखा गया)	१३२–१३३
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ पर नियुक्त प्रवर समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	१३३
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ पर नियुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन (सदन की मेज पर रखा गया)	१३३
श्री मोहनलाल वर्मा को कारावास के दण्ड के संबंध में सूचना	१३३
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	१३४
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	१३४
बाजार में पाठ्य पुस्तकों के अभाव के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	१३४–१३५
जे० के० जूट मिल्स, कानपुर में तालाबन्दी के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	१३५
संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के गठन एवं पदाधिकारियों के नामों के संबंध में घोषणा	१३६
स्वतन्त्र पार्टी के नव निर्वाचित पदाधिकारियों के नामों की घोषणा	१३६
श्री राम सिंह (एटा) द्वारा जनसंघ दल में सम्मिलित होने के संबंध में घोषणा	१३६–१३७
कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित होने वाले सदस्यों के नामों की घोषणा	१३७
रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट में कार्य करने के लिये एक सदस्य के चुनाव का प्रस्ताव (स्वीकृत)	१३७
विशेषाधिकार समिति द्वारा कतिपय विषयों से संबंधित प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के लिये समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	१३८–१३९
मंत्रिपरिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद (जारी) ..	१३९–१८३
नत्थियां	१८४–१९७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २९ जुलाई, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८०

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजोज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रताप सिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अहमदबख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फत सिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंवईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुनन्न गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ बहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वरआरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री

गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जुल्फिकार अली खां, नवाबजादा सैयद
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री

परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसंतलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलसिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावी प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघानार्थसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री

रतीपाल, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वैद्यनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शकुंतला नायर, श्रीमती
शरफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री

श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
संतसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा शिक्षा उपमंत्री डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे ।

मुख्य द्वार पर दर्शकों के प्रवेश पर रोक के सम्बन्ध में जानकारी

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष, आज जब मैं प्रवेश द्वार से आ रहा था तो मैंने देखा कि द्वार पर दर्शक दीर्घाओं में आने वालों को रोका गया, तब मैं उमाशंकर जी को लेकर गया। पूछने पर कि क्या आपको (गार्डों) को माननीय अध्यक्ष की कोई ऐसी आज्ञा है, गार्डों ने उत्तर दिया कि माननीय अध्यक्ष की आज्ञा हमारे लिये मान्य नहीं है। हमारे लिये केयरटेकर की आज्ञा ही मान्य है। तो श्रीमन्, जब दर्शक दीर्घाओं में प्रवेश के संबंध में आपकी आज्ञा मान्य नहीं है तो कब तक इस प्रकार सदन का काम चलेगा। गार्डों को इस प्रकार से कहने का क्या हक है? आप गवर्नमेन्ट से कहें और उनके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं उसमें कार्यवाही करूंगा।

मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर तत्काल विवाद कराने हेतु प्रार्थना

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मेरी बात एक मिनट सुन लीजिए। मैं यह चाहता था कि अगर सारे सदन की राय और हमारी राय है कि जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया है प्रथम आप उसको ही ले लें।

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

सवाल भी हम लोगों के ही है । हम तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे । इस विषय पर सब लोग, इधर के और उधर के बैठने वाले लोग, बोलना चाहते हैं और अपनी राय जाहिर करना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अगर ये प्रश्न केवल अपोजिशन के होते तो आप कह सकते थे पर इनमें से बहुत से प्रश्न तो और पार्टियों के भी हैं। अतः मैं समझता हूं कि जनहित के लिये प्रश्नों का लेना आवश्यक है। यही एक तरीका है जिसके द्वारा हम सरकार को रोजमर्रा की बातों में खटखटा सकते हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न हैं ।

श्री अध्यक्ष—

पहले प्रश्नोत्तर खत्म हो जायं ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २९ जुलाई, १९६४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

खाद्यान्नों के भाव में तेजी

**१—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत ३ सप्ताह में सभी प्रकार के खाद्यान्नों (गेहूं, चावल, चना, मटर, जौ, ज्वार, बाजरा बेझड़ तथा हर प्रकार का पिसा आटा भी) का भाव बेतहाशा तेजी से बढ़े हैं ?

रसद मंत्री के सभासचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

जी हां, खाद्यान्नों के भाव बढ़े हैं । पिसे आटे के दाम निर्धारित है।

**२—श्री झारखण्डेराय—

क्या खाद्य मंत्री को सूचना है कि प्रदेश के प्रायः सभी गल्ला दूकानों (सरकारी) में गल्ला या तो बिलकुल नहीं रह गया है अथवा अत्यन्त कम मात्रा में है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी नहीं। सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों से मांग बढ़ जाने के कारण कुछ कमी अवश्य है ।

**३—श्री झारखण्डेराय—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी दूकान पर फी दूकान प्रतिदिन ४ क्विन्टल ही बेचने का आदेश है जिसके फलस्वरूप अधिक से अधिक १४० में से केवल ४० व्यक्तियों को गल्ला मिलता है ? यदि हां, तो ऐसा आदेश क्यों दिया गया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी हां, ऐसा आदेश उपलब्ध खाद्यान्नों को समुचित रूप से वितरण करने के लिये दिया गया है ।

श्री झारखण्डे राय—

क्या खाद्य मंत्री जी बतायेंगे कि पिछले एक महीने के अन्दर खाद्यान्नों के भाव, जिन का जिक्र मैंने सवाल में किया है, क्या थे और इसी बीच में किस क्रम से बढ़े हैं ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

	रु० पै०
२३–६–६४ को गेहूं के भाव	६१.२४
३०–६–६४ को ,, ,, ..	६२.५७
७–७–६४ को ,, ,, ..	६२.७५
१४–७–६४ को ,, ,, ..	६४.६६
चावल के भाव	
चावल नं० ३ का भाव —	
२३–६–६४	७२.७६
३०–६–६४	७४.६७
७–७–६४	७६.६५
१४–७–६४	७६.४५
चने का भाव —	
२३–६–६४	५८.६६
३०–६–६४	५६.६०
७–७–६४	६०.७१
१४–७–६४	६१.७१
मटर का भाव—	
२३–६–६४	५६.१४
३०–६–६४	५८.१४
७–७–६४	५६.३२
१४–७–६४	५६.३२
जौ का भाव—	
२३–६–६४	४७.६०
३०–६–६४	५०.४५
७–७–६४	५३.४६
१४–७–६४	५२.७६
ज्वार का भाव—	
२३–६–६४	४८.६०
३०–६–६४	४६.८४
७–७–६४	५१.५०
१४–७–६४	५२.४४
बाजरे का भाव—	
२३–६–६४	५१.२६
३०–६–६४	५२.७८
७–७–६४	५३.३८
१४–७–६४	५५.६६

श्री झारखण्डेराय—

जिन भावों को माननीय मंत्री जी ने पढ़ा है वे किन मंडियों के हैं और वे होलसेल के हैं अथवा रिटेल के हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

होलसेल के भाव हैं और औसत तरीके पर सभी मंडियों के हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

इन ऊंचे भावों को नीचा गिराने के लिये सरकार की ओर से तात्कालिक कौन-सी कार्यवाही की गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसके लिये दो ही कार्यवाही हो सकती हैं। एक तो ज्यादा से ज्यादा गल्ला वितरण करें और दूसरे उनके बाहर जाने पर प्रतिबन्ध लगायें। बाहर जाने में प्रतिबन्ध लगाने में हम स्वतंत्र नहीं हैं। जहां तक उनकी उपलब्धि का सवाल है तो जितना हम उपलब्ध जिस जरिये से कर सकते थे उसके लिये हमने पूरा प्रयत्न किया और उसमें हमें कुछ सफलता भी मिली और इसीलिए जितनी तेजी से दाम और प्रदेशों में बढ़े हैं उतनी तेजी से हमारे यहां नहीं बढ़ पाये।

श्री उदयभान (जिला देवरिया)—

गत वर्ष खाद्य मंत्री अथवा उनके विभाग ने सहारनपुर की बसुमती नं० २ चावल कानपुर से ४ हजार वैगन, आन्ध्र और महाराष्ट्र को प्राइवेट व्यापारियों के जरिये से भेजा जिससे यह कमी हुई और खाद्यान्नों के भाव बढ़ गये ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जहां तक इसका सवाल है केन्द्रीय सरकार को हमने दिया और अन्य सरकारों को भी चावल दिया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

माननीय मंत्री ने चावल का भाव ७२ रुपया बतलाया और बढ़ कर वह ७४ रुपये हुआ और गेहूं का भाव ६१ रुपये तथा ६२ रुपये बतलाया। तो क्या सरकार को जानकारी है कि सहारनपुर के जिला मैजिस्ट्रेट ने २८ जून को २८ रुपये पर ४० किलो के हिसाब से भाव मुकर्रर किया था और उसकी शिकायत माननीय मंत्री जी के पास आई थी। तो मंत्री जी का यह कहना कि उस समय भाव ६१ और ६२ था कहां तक सत्य है और सरकार ने उसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही की थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अभी तक सरकार ने कोई कीमत निर्धारित नहीं की है। किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने स्वेच्छा से निर्धारित की हो तो बात दूसरी है।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पहली जनवरी, १९६४ से आज तक मोटा अनाज और चावल को मिला कर कितना निर्यात हुआ और कितना भारत सरकार से प्राप्त हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्रीमन्, सही आंकड़ों के लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

श्रीमन्, अभी मंत्री जी ने कहा है कि दूकानों पर सप्लाई कम हो गई थी और एक महीने पहले उन्होंने ऐलान किया था कि हमारे पास इतना स्टाक है कि २ महीने तक कमी नहीं हो पायेगी, तो कमी होने का क्या कारण है? क्या सरकार का ऐलान गलत था या जानकारी नहीं थी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्रीमन्, ऐलान सही था और अप्रैल में जो बात कही थी उसके कारण मई में भाव गिर गये थे। लेकिन स्ट्राइक के कारण पोर्ट पर गल्ला नहीं उतरा जिससे हमें कठिनाई हो गई और इसीलिये कमी हो गई।

श्री झारखण्डेराय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हमारे प्रदेश के बड़े-बड़े जखीरेबाजों ने जो गल्ला खरीदकर कट्ठा कर रखा है, उसको प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उसका क्या फल हुआ है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्रीमन्, सरकार को मालूम है कि कितना गल्ला बाजार में है और इसका विचार करके ही हम कोई कार्य करेंगे कि इसको लेने से भाव तो नहीं बढ़ते हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ११ तारीख को चावल से लेवी हटाने के बाद कितने भाव गिरे हैं? अगर नहीं गिरे हैं तो क्या तेजी आई है और अगर आई है तो कितनी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अब निश्चित तौर पर कितने भाव गिरे हैं बताने के लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी। लेकिन सूचना मिली है कि दो रुपये तक भाव गिरे हैं।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, बाराबंकी और हैदरगढ़ के देहाती इलाकों में सस्ता गल्ला नहीं दिया जा रहा है। ो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के ऐसे आदेश हैं कि देहाती इलाकों की सरकारी दूकानों पर गल्ला न दिया जाय?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्रीमन्, ऐसा कोई आदेश नहीं है बल्कि जहां तक मुमकिन हो सकता है और जितना स्टाक आता है उसमें से हम शहर और देहात दोनों जगह देना चाहते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब उनको अंदेशा था कि गल्ले की कमी है तो प्रदेश से बाहर न जाने का प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसके लिये हमने बड़ा प्रयत्न किया। लेकिन भारत सरकार रजामन्द नहीं हुई।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि इस प्रदेश के होरडर्स और ब्लैक मार्केटियर्स जिनका अन्य पार्टियों से सम्बन्ध है, उन्होंने स्टाक इकट्ठा कर रखा है तो क्या सरकार एंटी होर्डिंग आर्डीनेंस जारी करने के लिये तैयार है ताकि १५ दिन के अन्दर तमाम लोग अपने स्टाक का ऐलान कर दें?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सरकार के सामने सब चीजें हैं और जो उचित कदम होंगे जरूर उठायेंगे और समय पर उठायेंगे।

श्री झारखण्डेराय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनके ऐलान के बावजूद वास्तविकता यह है कि गल्ले की इतनी कमी हो चुकी है कि सरकार ने आदेश दिये हैं कि नई दूकानें न खोली जायं परन्तु जो खुली हुई हैं उन देहातों की दूकानों पर पिछले २ हफ्ते से एक भी निकासी किसी भी दूकान के लिये नहीं हुई है, क्या यह सही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यदि सभी पार्टियों के नेता आज इस बात को कह दें कि होर्डर्स से ले लिया जाय तो हमारी सरकार आज ही उसे कर देगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपने तो कह दिया कि आदेश दे दिया।

(व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

अगर सरकार सच्ची है तो आज ही आदेश निकाले जिससे सारा गल्ला बाहर आवे।

अनेक सदस्य—

आज ही उनसे गल्ला ले लिया जावे, आज ही लिया जावे।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है आपने उनको इजाजत दे दी, अब उनकी बात तो सुन लीजिये।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसमें कोई शक नहीं है कि जहां ऐसा संकट हो वहां वितरण के दो ही तरीके हो सकते हैं। जहां उत्पादन कम हो वहां दो जरिये वितरण के लिये हो सकते हैं। या तो केन्द्र दे या जो हमारे पास है वह बाहर निकाला जाय। लेकिन बाहर निकालने में अगर कोई कठिनाई थी तो यही थी कि आप सब उसमें सहमति प्रकट करें तो वह काम कर दिया जाय।

श्री दीपनारायणसिंह—

यह सरकार जिम्मेदार है, चोरबाजारी को...

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी प्रश्नों के बीच में खाद्य मंत्री ने हम लोगों को चैलेंज दिया कि अगर हम कहें तो वे होर्डर्स पर कार्यवाही करें। मैं कहता हूं और विरोधी दलों के लोगों का हमेशा यह कहना रहा है और आज भी चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप अभी, इसी मिनट से जितनी कड़ी से कड़ी कार्यवाही ऐसे तत्वों के साथ करना चाहते हैं, करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का जो लांछन होता है तो खाद्य मंत्री जी को ताकीद की जाय, माननीय मुख्य मंत्री उनको ताकीद करें कि इस प्रकार का व्यवहार हम सब लोगों के साथ नहीं होना चाहिये और मैं इसका सख्त से सख्त विरोध करता हूं।

संग्रामगढ़ थाने में बाबा बद्रीगिरि के परिवार की हत्या

**४—श्री उग्रसेन—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें इस बात की सूचना है कि १२ मई सन् १९६४ को प्रातःकाल समाजवादी कार्यकर्ता बाबा बद्रीगिरि तथा उनके चार जवान पुत्र व शीतला प्रसाद तिवारी, थाना सांगीपुर, जिला प्रतापगढ़ को उनके घर में बन्द कर और मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा कर मार डाला गया ? यदि हां, तो इसके विषय में सरकार ने अब तक कौन-सी कार्यवाही की ?

विद्युत उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

जी हां, इस प्रकार की एक घटना घटित होने की रिपोर्ट थाना संग्रामगढ़, जिला प्रतापगढ़ में १२ मई, १९६४ को दर्ज कराई गई थी।

इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा जांच किए जाने के उपरान्त ६७ व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में भेजा गया, जो अदालत के विचाराधीन है।

**५—श्री उग्रसेन—

क्या गृह मंत्री उपरोक्त पूरी घटना की न्यायिक जांच कराकर उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री उग्रसेन—

सोशलिस्ट पार्टी के पुराने कार्यकर्ता बाबा बद्रीगिरि, उनके ४ पुत्रों और शीतलाप्रसाद जी तिवारी को घर में बन्द करके, मिट्टी का तेल छोड़ कर, दिनदहाड़े मार डाला गया। उसकी रपट थाने में कब लिखाई गयी और उसका संक्षिप्त विवरण क्या है ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—

रपट १२ तारीख को उनकी पत्नी के द्वारा लिखायी गयी। रिपोर्ट इस प्रकार है :—

"श्रीमन्, इञ्चार्ज संग्रामगढ़, निवेदन है कि मैं गांव दयालपुर मेवागंज की रहने वाली हूं। मेरा नाम उमागिरि है। मेरे मर्द का नाम बद्रीगिरि है और चारों लड़के हमारे शिवबालक गिरि, जगरनाथ गिरि, लालता गिरि, शारदा गिरि और शीतला प्रसाद तिवारी सुत गयादीन तिवारी के ऊपर कतल का मुकदमा चल रहा था। बद्रीगिरि के अलावा और सब जेल में थे। तारीख ११ मई, ६४ ई० मेरे मुकदमें का फैसला हुआ और सब बरी हो गये। आज करीब ७ बजे के ६ आदमी ट्रक से घर पर आ गये। दरवाजे पर हम लोग बातचीत कर रहे थे कि गांव में हल्ला मचा। नीचे लिखे आदमियों ने आकर करीब ८ बजे हमारा घर घेर लिया और ईंटा ढेला फेंकने लगे। हम सब लोग मकान के अन्दर घुस गये। यह लोग चिल्लाते थे कि आज बाबा बद्रीगिरि व उनके लड़कन और तिवारी को जान से मार डालेंगे। इस कारण से मेरा मर्द और चारों लड़के और शीतलाप्रसाद तिवारी घर के अन्दर की कोठरी में लुक गये। कुछ मुलजिमान मकान के छत पर चढ़ गये और ऊपर से मिट्टी का तेल छिड़क-छिड़क कर आग लगाने लगे। बहुत चिल्लाहट मची थी। चिल्लाहट पर समसपुर के रामदुलारे तिवारी, रामपाल मूर्य, कलकलियापुर के व रामसुख धनापुर के गयादीन मौर्य, बालादीन पासी और रामबहादुर मिश्र और बद्रीप्रसाद मौर्य सभापति और बहुत से आदमी लेकर आ गये। लेकिन मुलजिमानों ने उनको पास में आने नहीं दिया। घर में चारों तरफ बहुत जोर से आग लगा दिया। घर के अन्दर काफी धुआं हो गया था। हम लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की। मैं शिवालक की औरत व उसके दो लड़के और एक लड़की पूरब की खिड़की से बाहर निकल आए। लेकिन

जब मर मद चार लड़के और तिवारी बाहर निकलने को हुये मुलजिमान लाठी, बल्लम लिये हुए और फारूक अहमद उर्फ मुन्ने मियां जो बन्दूक लिये थे उनको मारने के लिये दौड़े तो वे सब लोग उसी कोठरी में जाकर छिप गये और जान बचाने के लिए अन्दर से सिकड़ी बन्द कर लिया। मुझको शिवालक की औरत व बच्चों को पीपल के पेड़ के नीचे बैठा दिया और घेरे रहे। और मुलजिमान ने शारदा प्रसाद के मकान जो अलग बना हुआ है और लालता प्रसाद जो हमारे मकान से लगा हुआ है उसमें भी आग लगा दी...और पढ़ दूं?

श्री अध्यक्ष---

नहीं, बस काफी हो गया।

श्री उग्रसेन---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब यह घटना ८ बजे दिन में घटी जबकि आततायी मिट्टी का तेल छिड़ककर घर को जला रहे थे उस समय क्या यह सही है कि वहां पर पुलिस भी मौजूद थी मौके पर?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जी नहीं, पुलिस मौके पर मौजूद नहीं थी। अगर यह आपकी इत्तिला है तो गलत है।

श्री उग्रसेन---

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पुलिस कितने बजे पहुंची?

श्री अध्यक्ष---

अब यह विचाराधीन विषय है, अदालत में पहुंच चुका है...

कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)---

यह मेरे जिले का मामला है और बहुत गम्भीर समस्या है, मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या प्रतापगढ़ के डिप्टी सुपरिन्टेडेन्ट पुलिस ने प्रेस वालों को अपना बयान दिया था कि आठ बजे दो पुलिस के कान्टेबिलों ने पहुंच कर उन लोगों का घर जलने से बचाया.....

श्री अध्यक्ष---

माननीय तेजभानसिंह जी, आप प्रश्न तो ठीक कर रहे हैं लेकिन चूंकि मामला अदालत में चला गया है इसलिए विस्तार से प्रश्न करने में मुकदमें की कार्यवाही में नुकसान हो सकता है।

श्री उग्रसेन---

हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि पुलिस वहां पर कब पहुंची?

श्री हरगोविन्दसिंह---

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

तारांकित प्रश्न

बरदहा बांध

* ---श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती, तहसील नौगढ़, विकास खण्ड उस्का बाजार में जो बरदहा बांध बना हुआ है उसकी जांच गत वर्ष करायी गयी थी? यदि हां, तो ओवरसियरों द्वारा उस सम्बन्ध में क्या रिपोर्ट दी गयी?

मुख्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

जी हां। जांच कराई गयी थी । जांच की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि उस बांध का खण्ड काट (क्रास सैक्शन) अत्यन्त क्षीण हो गया है क्योंकि किनारों का ढलान उचित नहीं है तथा वर्तमान शीर्षस्थ चौड़ाई (टाप वैडेथ) कुछ स्थलों पर क्षुराधार बिन्दुओं के अतिरिक्त २ फुट से १० फुट तक है।

*२—श्री चन्द्रपाल—

क्या सरकार मेरी इस सूचना को सच मान कर कि उपरोक्त बांध बहुत पुराना होने के कारण जीर्ण हो रहा है सरकार शीघ्र ही उसकी मरम्मत तथा रख-रखाव की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां। आशा है कि इसी वित्तीय वर्ष में इस पर काम आरम्भ कर दिया जायेगा तदुपरान्त इसके रखरखाव की व्यवस्था सिंचाई विभाग द्वारा की जायेगी।

परिवार नियोजन विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग, जौनपुर में परिगणित जातीय कर्मचारी

*३—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय परिवार नियोजन विभाग के अन्तर्गत कितने सोशल वर्कर काम कर रहे हैं ? उनमें परिगणित जाति की संख्या क्या है ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

मार्च, १९६४ में परिवार नियोजन विभाग के अन्तर्गत ७८३ सोशल वर्कर कार्य कर रहे थे। उनमें सोलह परिगणित जाति के हैं।

*४—श्री माताप्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, सन् १९६४ ई० में परिवार नियोजन सोशल वर्करों का जो चुनाव हुआ उसमें परिगणित जाति के कितने व्यक्तियों की दरख्वास्तें थीं और उनमें कितने व्यक्ति रक्खे गये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

परिगणित जाति के व्यक्तियों की ६७ दरख्वास्तें थीं। सबको साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, ४२ उपस्थित हुए और उनमें से ९ चुने गये। चुने गये व्यक्तियों की सूची लोक सेवा आयोग की अनुमति के लिए भेजी गई है।

*५—श्री माताप्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि जौनपुर जिले में स्वाथ्य विभाग के अन्तर्गत इस समय कुल कितने हाउस विजिटर, वैक्सीनेटर, क्लर्क, चपरासी काम कर रहे हैं उनमें परिगणित जाति के कितने व्यक्ति हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जिला जौनपुर के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का विवरण इस प्रकार है :

पद				कुल संख्या	परिगणित जाति की संख्या
१--हाउस विजिटर	..	..	..	१९९	३२
२--वैक्सीनेटर	..	..	..	५०	३
३--क्लर्क	..	..	..	१६	१
४--चपरासी	..	..	..	२९	२
		योग	..	२९४	३८

श्री माताप्रसाद--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब ४२ आदमी सोशल वर्कर के लिये उपस्थित हुये थे तो फिर ९ ही क्यों चुने गये ? जब कि यह आदेश है कृष्ण प्रकाश बहादुर, उप-सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का १० मार्च का कि "यदि अनुसूचित जाति के ऐसे अभ्यर्थी जो निम्नतम योग्यता रखते हों, अन्य अभ्यार्थियों की अपेक्षा काफी कम योग्य पाये जायं तो भी नियुक्ति के लिये उनका चुनाव उनके निर्धारित कोटे तक किया जाना चाहिये," इसका पालन क्यों नहीं किया गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह बहुत नीचे पाये गये इसलिये नहीं लिये गये। अन्यथा जो थोड़े भी योग्य पाये गये उनको ले लिया गया जितनी भी सम्भव छूट दी जा सकती है दी जाती है और इसमें भी दी गई है।

श्री माता प्रसाद--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि चपरासियों में २९ में केवल २ लिये गये और इसी तरह से वैक्सीनेटर में कक्षा ८ के रखे गये और उसमें भी ५ ही रखे गये तो चपरासियों के लिये कौन सी बड़ी योग्यता निर्धारित है जो कम लिये गये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इसमें २२ बैकवर्ड क्लास के लिये गये और २ ये, तो २४ हो जाते हैं। वे केवल ५ ही रह जाते हैं।

श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)--

जैसा अभी बतलाया गया कि २ अनुसूचित जाति के और २२ बैकवर्ड जाति के लिये गये तो बैकवर्ड को कब शिडयूल कास्ट में शामिल किया गया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह दोनों मिला कर मैंने बात कही कि इस हिसाब से वह इतने हो जाते हैं। बैकवर्ड क्लास के लिये भी ठीक उसी तरह से कुछ विचार किया जाता है।

श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)--

क्या हम सरकार से जान सकते हैं कि ७८३ में केवल १६ ही शिड्यूल कास्ट के आये और उनको ही लिया गया तो क्या यह न्यायसंगत है ?

श्री अध्यक्ष—

न्याय संगत है या नहीं, जो बात है वह उन्होंने कह दी।

श्री सोहनलाल धुसिया—

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जो यह अन्याय हो रहा है इसको दूर करने के लिये सरकार क्या कर रही है।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसके लिये प्रयत्न किया जाता है और प्रयत्न किया गया है। वहां पर कोई लेडीज सोशल वर्कर के लिये आती ही नहीं। इम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज को लिखा गया और भी दूसरे प्रयत्न किये गये कि वे आयें लेकिन कोई आया ही नहीं। अब की बार जितने आये वह उस संख्या में नहीं थे जितनी जरूरत थी। उस संख्या में उपस्थित ही नहीं होते हैं। यही दिक्कत है।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बतलायेगी कि वह हरिजनों की नियुक्ति के लिये इतना प्रोपेगेन्डा करती है लेकिन फिर भी इनका कोटा पूरा नहीं हो पाता इसका कारण क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

हम उसके लिये प्रयत्न करते हैं और जहां तक संभव होता है औरों के मुकाबिले में कम योग्यता होने पर भी उनको रखते हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार ने सभी विभागों को आदेश दिये थे कि अगर उनके यहां १८ प्रतिशत हरिजन नहीं हैं तो पहले उनकी नियुक्ति की जाय फिर दूसरी जाति वालों को रखा जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अभी सोशल वर्क्स की हमको और आवश्यकता है और अगर माननीय सदस्य कैन्डीडेट देंगे तो अच्छा होगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

इस सम्बन्ध में पहला आदेश २९ अक्तूबर, १९४९ को निकला था और फिर १० मार्च, १९६४ को कि शेड्यूल कास्ट्स का उचित कोटा पूरा किया जाय। इस सम्बन्ध में जिन अधिकारियों ने इसका पालन नहीं किया उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जानबूझ कर कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसमें कार्यवाही करने की आवश्यकता हो।

पनियाली ग्राम के लिये सिंचाई गूल

*६—श्री खुशीराम (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार यह बतानें की कृपा करेगी कि अन्तरिम जिला परिषद्, नैनीताल ने तारीख २५ जुलाई, १९५९ के प्रस्ताव संख्या २० तथा तारीख २४ जनवरी, १९६१ ई० के विशेष प्रस्ताव सं० १ द्वारा सरकार से ग्राम पनियाली की असिंचित भूमि के लिए सिंचाई गूल का निर्माण करने के लिये अनुरोध किया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रबंध किया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां। अन्तरिम जिला परिषद्, नैनीताल द्वारा ऐसा अनुरोध अवश्य किया गया था परन्तु पानी कम उपलब्ध होने के कारण एवं नहर निर्माण का व्यय अधिक होने के कारण यह योजना सफलीभूत न हो सकी।

श्री खुशीराम—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि किस आधार पर कहा जाता है कि पानी की कमी थी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सिंचाई विभाग द्वारा उसका परीक्षण किया गया था और उन्होंने ६५,५०० की योजना बनायी थी। किन्तु सिंचाई की दर कहीं अधिक थी इसलिये उसे ठप कर दिया गया और अब दूसरी योजना बनी है कि एक हौज बनाया जाय और उससे गूल निकाली जाय। उसके लिये सरकार ने २,२८३ रुपये का अनुदान भी दे दिया है।

श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)—

गूल के अभी तक न बनने का क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

हमारे यहां से तो अनुदान दे दिया गया है। हौज बन गया है। अब गूल की प्रगति भी देख लेंगे।

श्री खुशीराम—

६५ हजार की जो योजना बनायी गयी है उससे कम खर्च में भी पानी आ सकता था क्या इसके लिये सरकार पुनः सर्वेक्षण करायेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह एक छोटी सी योजना थी। उसे बार-बार देखने से कोई फायदा नहीं होगा।

मेरठ क्षेत्र जन-सहयोग मूल्यांकन समिति

*७—श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार तारांकित प्रश्न संख्या ४९, तारीख ११ मार्च, १९६४ के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेगी कि मेरठ क्षेत्र जन-सहयोग मूल्यांकन समिति की कुल कितनी बैठकें सन् १९६२–६३ में हुयीं और कितनी १९६३–६४ में हुयीं, उसमें मुख्य कार्य क्या हुये ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मेरठ मंडल की जन-सहयोग मूल्यांकन समिति की १९६२–६३ में कोई बैठक नहीं हुई। १९६३–६४ में एक बैठक हो चुकी है। इस बैठक में मेरठ मंडल में सर्वश्रेष्ठ विकास क्षेत्र को निर्धारित करने का कार्य-प्रणाली के विषय में विस्तार पूर्वक विचार-विमर्श किया गया तथा इस कार्य-प्रणाली के विवरण का अन्तिम रूप दिया गया।

श्री अहमद बख्श—

क्या सरकार को मालूम है कि इस समिति की कोई बैठक नहीं बुलाई गयी, इसकी अवधि सितम्बर, ६३ में बढ़ायी गयी, फिर मीटिंग नहीं हुई तो ६२–६३ में मीटिंग न होने का क्या कारण है ? जब कोई कार्य नहीं हुआ तो कैसे सब रुपया खर्च हुआ ?

श्री बंशीधर पांडेय—

ये मूल्यांकन समितियां जो बनती हैं इनका कार्य यह है कि अधिक खाद्य उत्पादन और श्रमदान के सम्बन्ध में जो ब्लाक उस मंडल में सर्वोच्च हों उनका निर्धारण जिलों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर डिवीजनल लेविल पर हो। उस वर्ष जिलों से कोई ऐसी सिफारिश नहीं आयी।

श्री अहमद बख्श—

यह काम कमेटी का था कि वह मालूम करती कि कहां पर उत्पादन हुआ और कहां पर नहीं, तो क्यों यह कमेटी नहीं बुलायी गयी ?

विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

माननीय प्रश्नकर्ता भी उस कमेटी के मेम्बर थे। काम न होने का कारण यह था कि चीनियों का हमला हो गया और वह सब काम अपसेट हो गया, दूसरी तरफ ध्यान चला गया। लेकिन दूसरे साल मीटिंग हुई और उसमें काम हो रहा है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

इस क्षेत्र समिति के प्रधान को सरकार नामिनेट करती है या वहां का कोई अधिकारी इसका प्रधान होता है और क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि तीन महीने में कम से कम एक मीटिंग बुलाये ?

श्री बंशीधर पांडेय—

समिति के अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं और उस समय श्री कैलाश प्रकाश थे। अब श्री रामसिंह जी उसके अध्यक्ष हैं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि गत वर्षों में विकास का कार्यक्रम ठीक से नहीं चला इसलिये जिलों से सूचियां नहीं भेजी जा सकीं ? यदि ऐसी बात है तो क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करेंगे जिन्होंने सूची नहीं भेजी है।

श्री राममूर्ति—

मैंने जैसा अर्ज किया, अक्तूबर के महीने में हमला हो जाने से सारा ध्यान उस तरफ से हट गया, तो इस तरफ तवज्जह नहीं दी गयी।

श्री अहमद बख्श—

सन् ६३-६४ में कमेटी किस महीने में हुई और कोई काम किया या महज प्रगालो बनाकर रह गये ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सन् ६३-६४ में जो नयी संगठन कमेटी बैठी उसमें सर्वोत्तम विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में पद्धति और कार्य-प्रणाली पर विचार किया। अब उस आधार पर काम आगे होगा।

*८-१०—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

[हटा दिये गये।]

विदेशी शराब पर प्रतिबन्ध न होना

*११--श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जबकि देशी शराब को (Individual-possession) में रखने पर एक (ceiling) है तो क्यों 'फारेन लीकर (Individual possession) में रखने पर कोई (ceiling) नहीं है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

शासन का उद्देश्य सर्वत्र मद्य निषेध रहा है और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु देशी शराब के व्यक्तिगत रखने की मात्रा निर्धारित कर दी गई है ताकि जनता को अधिक शराब विक्रय करने का प्रोत्साहन न हो ।

विलायती शराब के व्यक्तिगत रखने की मात्रा निर्धारित न करने का कारण यह है कि इसका मूल्य देशी शराब की अपेक्षा बहुत अधिक है और जनता को विलायती शराब अधिक विक्रय करने पर कभी लाभ नहीं होगा ।

चूंकि इस विषय में कभी कोई शिकायत नहीं हुई इसलिये इस विषय में कोई नियम बनाना आवश्यक प्रतीत नहीं हुआ ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले साल स्थायी आबकारी समिति में सरकार की ओर से कोई ऐसा प्रस्ताव आया था कि फारेन लीकर पर प्रतिबंध लगाया जाय और उसका चूंकि विरोध एक विशेष उद्योगपति द्वारा उसी समिति में आया तथा उस समय के आपके विकास आयुक्त ने उसका समर्थन किया इसलिये उसे वापस ले लिया गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह मामला पिछले साल जुलाई, १९६३ में फिर जून में, उसके बाद नवम्बर में स्थायी समिति के सामने आया और उस पर विचार हुआ और विचार के बाद ही यह निर्णय लिया गया।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

श्रीमन्, सरकार की नीति मद्य निषेध की रही है। तो मंत्री जी कृपा कर क्या बतायेंगे कि पिछले २–३ सालों में उत्तर प्रदेश में शराब की दूकानें बढ़ी हैं या घटी हैं ? और फारेन लीकर पर प्रतिबन्ध न लगाना सरकार को उस नीति के अनुकूल है या प्रतिकूल है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

जहां तक दूकानों का प्रश्न है, वह बढ़ी अवश्य हैं, मगर उसका कारण हमारी नीति में कोई परिवर्तन हुआ हो, ऐसा नहीं है, बल्कि जो सरकारी आदेश हैं, उनके इम्प्लीमेन्टेशन में अगर कहीं दिक्कतें मालूम हुईं तो और दूकानों को खोल दिया गया ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अभी थोड़े दिन पहले सरकार की तरफ से कोई ऐसे आदेश दिये गये कि विदेशी शराब और मंगाई जाय तथा और दूकान खोली जांय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

विदेशी शराब में बाहर की और यहां की बनी हुई दोनों ही होती हैं। विदेशी के मायने यही नहीं हैं कि बाहर की ही आई हुई हो ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

फारेन लीकर पर सीलिंग न करने का क्या यह कारण है कि आजकल के अफसरान बजाय पैसे के शराब के रूप में रिश्वत लेते हैं और उन पर रोक न लगाई जाय ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या फारेन लीकर पर कोई सीलिंग लगाने पर सरकार विचार करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

इसमें बहुत सी दिक्कतें हैं अगर चाहें तो बताऊं ।

श्री भानुप्रतापसिंह—

क्या स्टैंडिंग कमेटी में सीलिंग न लगाने का सुझाव सरकार की ओर से आया था ? यदि हां, तो किसकी सलाह पर ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

किन बातों से यह प्रस्ताव स्टैंडिंग कमेटी में लाया गया, वे क्या उद्देश्य थे क्या सरकार बताने की कृपा करेगी ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

खोया कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, रामपुर गढ़ौवां

*१२—श्री भीखालाल—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खोया कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी, रामपुर गढौंवां, जिला उन्नाव की स्थापना कब हुई और उस समय से अब तक इस सोसायटी को सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितना कर्जा या अनुदान दिया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

खोया कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी, रामपुर गढ़ौवा की स्थापना १७–२–४४ को हुई और इसे कर्मचारियों के वेतन हेतु १९५९–६० में ६८२९ रु०, १९६०–६१ में १६४४ रु० और १९६१–६२ में ८२४ रु० अनुदान के रूप में दिये गये । इसके अतिरिक्त १९६०–६१ में इस समिति को ५,००० रु० इमारत निर्माण के लिये अनुदान के रूप में जिला नियोजन समिति द्वारा दिये गये ।

श्री भीखालाल—

क्या माननीय सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ में जो ५ हजार रुपया इमारत के लिये दिया, वह बनी या नहीं ? अगर नहीं, तो वह रुपया किस मद में उपयोग किया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मेरे पास यही सूचना है कि इस अनुदान का उपयोग किया जा चुका है ।

गोरखपुर क्षेत्र के मजदूरों को असुविधायें

*१३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से गोरखपुर Labour Organization तथा इसके भर्ती केन्द्र के कर्मचारियों को छटनी करने के सम्बन्ध में कोई सुझाव मांगा है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

जी नहीं ।

*१४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या श्रम मंत्री २१ दिसम्बर, १९६३ के फैसले को लागू कराने हेतु केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—

उक्त फैसले को लागू कराना भारत सरकार का कार्य है । राज्य सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी जिलों से ५०,००० मजदूर हर साल सी०आर० ओ० के जरिये से विभिन्न जगहों पर काम करने के लिये जाते हैं और क्या यह सरकार केन्द्रीय सरकार को सुझाव देगी कि २१ दिसम्बर की कमेटी के फैसलों को तत्काल लागू किया जाय जिससे उनकी एम्प्लायमेंट की सिक्योरिटी हो ?

श्री बंशीधर पांडेय—

वहां वर्कर्स इतनी अधिक संख्या में आते हैं कि वे प्रदेश के सभी स्थानों पर और बिहार में भी जाते हैं। उनकी होस्टल फैसीलिटी का कुछ प्रबंध गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कर रखा है त्रिदलीय सम्मेलन में यह सुझाव आया कि सभी लेबरर्स को बराबर फैसीलिटी दी जावे । हम चाहते हैं कि फैसीलिटी और बढ़ाई जावें । उसकी मांग गवर्नमेंट आफ इंडिया से होनी चाहिये, हम तो उसे करने वाले नहीं हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार को सूचना है कि केन्द्रीय सरकार ने कोई त्रिदलीय सम्मेलन इसी साल में बुलाया था जिसमें कोलियरी ओनर्स के, लेबर के और सरकार के प्रतिनिधि थे ? यदि हां, तो उसका क्या फैसला था और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

२१–१२–६३ का शायद कल्पनाथ जी कह रहे हैं वह फैसले मेरे पास नहीं हैं। सूचना चाहिये ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे और बताने की कृपा करेंगे कि सी० आर० ओ० आफिस से जो ५,६ करोड़ रुपया हर साल मजदूरों को मिलता था प्राविडेंट फंड में, उसकी सिक्योरिटी हो सके, इसके बारे में सरकार केन्द्रीय सरकार को क्या सुझाव देने जा रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

हमने सेंटर को लिखा है कि कुछ फैसिलिटी और बढ़ावें ।

सिरसिया विकास खंड में कर्ज की वसूली

*१५—श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच) तथा श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या सहकारिता मंत्री को मालूम है कि जनपद बहराइच, विकास खंड सिरसिया में खरीफ की फसल सूखा पड़ने से शत-प्रतिशत बरबाद हो गई है और वहां रबी के बीज की तकावी बांटी गई है और गरीबों को खाना देने के लिये टेस्ट वर्क खोला गया है ? यदि हां, तो फिर सोसायटी के कर्जे की वसूली बहुत सख्ती से क्यों हो रही है और क्या यह सच है कि फरवरी में ग्राम परसा पड़ाइन में कुछ बैल सिरसिया पौंड में वसूली के सिलसिले में बन्द कर दिये गये हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

विकास खंड सिरसिया में खरीफ की फसल १० आने से लेकर १६ आने तक नष्ट हो गई थी परन्तु यह कहना सही नहीं है कि सोसायटी के कर्ज की वसूली में सख्ती बर्ती गई । परसा पड़ाइन ग्राम के केवल एक बकायादार पर सख्ती की गई क्योंकि उनपर १९५७-५८ से बकाया चला आ रहा था और उनकी नीयत कर्जा अदा करने की नहीं थी । इस बकायादार के २ बैल, १ भैंस, १ पड़िया ओसर और एक बैलगाड़ी को कुर्क अमीन ने वसूली के अन्तर्गत ३०-१-६४ को कुर्क की थी और कुर्क किये जानवरों को सिरसिया मवेशीखाने में बन्द करा दिये थे ?

*१६—श्री मुन्नूसिंह तथा श्री विजयसिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बैल बन्द करने के पहले बकायादार को कोई नोटिस कर्जा अदा करने की दी गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—

बकायादार से बकाया की वसूली के लिये कुर्की के पहले नियमानुसार तकाजे किये गये थे ।

*१७—श्री मुन्नूसिंह तथा श्री विजयसिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि बकायादार उस गांव में काश्तकार हैं या नहीं और कितने बैल बन्द किए गए हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

बकायादार का नाम माल विभाग के अभिलेखों में काश्तकार की हैसियत से दर्ज नहीं है । काश्तकारी उनके भाइयों के नाम में है । बकायादार तथा उनके भाइयों का संयुक्त परिवार है और बकायादार परिवार के कर्ता हैं । अपने भाइयों की ओर से वह समस्त खेती का प्रबन्ध करते हैं और उसी हैसियत से उन्होंने बीज गोदाम से गल्ला लिया था । बकायादार के २ बैल बन्द किए गए थे ।

श्री मुन्नूसिंह—

क्या जानवर बन्द करने के आगे भी कोई सख्ती की जा सकती है चूंकि मन्त्री जी ने कहा कि कर्जा वसूल करने में कोई सख्ती नहीं की गई, और खासकर इस समय जबकि खाने के लिए वहां का आदमी मुहताज हो ? किस महीने में ये बैल बन्द हुए और क्या उस समय बुवाई चल रही थी और उस समय उस संयुक्त परिवार का कोई आदमी वहां मौजूद था या नहीं ?

श्री राममूर्ति—

सख्ती में तो गिरफ्तारी भी हो सकती है, जो नहीं की गई । चूंकि फसल के मौके पर ये बैल लिए गए, इसलिए सख्ती नजर आई । अगर बेफसल लिए जाते तो क्या सख्ती की बात थी ? लेकिन उसका इंटेंशन यही था कि पैसा न दिया जाय, तो मजबूरन वह कार्यवाही की गयी ।

श्री विजयसिंह---

पहले बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में यह प्रस्ताव होता है कि फला बकायादार है। इसके बाद आर्बिट्रेशन में जाकर और नोटिस देकर यह कार्यवाही होती है, ऐसा नियम है। तो क्या सरकार ने यह सब कार्यवाही की थी या नहीं ?

श्री बंशीधर पांडेय---

कुर्की के पहले सब कार्यवाही नियमित की गयी थी।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)---

जब सरकार ने यह कानून बना रखा है कि किसी काश्तकार की एक गाड़ी और एक जोड़ी बैल कुर्क न होगा तो क्या यह कानून लागू नहीं होता ?

श्री बंशीधर पांडेय---

वे तो बड़े आदमी हैं, ४८० बीघा के काश्तकार हैं।

श्री भानुप्रतापसिंह---

नियमों के अनुसार कुर्की होने के पहले नोटिस दिया जाता है। क्या ऐसा नोटिस दिया गया और नोटिस पर उनके हस्ताक्षर हैं ? अथवा उनका अंगूठा लगवाया गया है ? क्या मन्त्री जी उस नोटिस को सदन के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं ?

(मन्त्री जी को उत्तर के लिए नहीं बुलाया गया)

श्री मुन्नूसिंह---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उनके सम्मिलित परिवार का कोई वहां मौजूद था ? और क्या जब ४८० बीघा के काश्तकार हैं तो क्या वे एग्रीकल्चर टैक्स देते हैं ? क्या उनकी सीलिंग नहीं हुई है ? क्या उनको कोई नोटिस दिया गया था ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो आप इन्फार्मेशन दे रहे हैं और इन प्रश्नों का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री मुन्नूसिंह---

मेरा कहना है कि उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया। ६ महीने से वह काश्तकार वहां मौजूद नहीं था। एक कलेक्शन अमीन जो नालायक बना कर निकाल दिया गया, उसका व्यक्तिगत झगड़ा था जिसकी वजह से यह सब अनियमित कार्यवाही हुई ?

श्री अध्यक्ष---

मन्त्री जी कृपया बतायें कि ये जो बातें कही जा रही हैं, क्या ये सत्य हैं ?

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---

मफरूर हो जाने से कोई सरकारी कार्यवाही बन्द नहीं होती।

परतावल ब्लाक की जीप

*१८---श्री कैलाश (जिला देवरिया) (अनुपस्थित) तथा श्री कल्पनाथसिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के परतावल ब्लाक में विकास की जीप ने कुल कितने मील यात्रा की और किस-किस काम के लिए और किन-किन तारीखों में दिसम्बर, १९६३ से १२ जनवरी, १९६४ तक ?

श्री बंशीधर पांडेय---

†सूचना परिशिष्ट १ के रूप में संलग्न है।

*१९---श्री कैलाश (अनुपस्थित) तथा श्री कल्पनार्थसिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर के विकास क्षेत्र परतावल के विकास अधिकारी ने गत वर्ष १९६३ में जनवरी से दिसम्बर तक प्रतिमाह कितने रुपए का टी० ए० लिया और किस किस काम पर ?

श्री बंशीधर पांडेय---

†सूचना परिशिष्ट २ के रूप में संलग्न है।

श्री कल्पनार्थसिंह---

जितना दौरा सम्बन्धित बी० डी० ओ० ने किया है उससे उसने करीब १०० रुपया माहवार टी० ए० का ड्रा किया है। तो क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जो १०० बी० डी० ओ० काम अच्छा न समझ कर नौकरी से मुक्त किए गए हैं, क्या वैसी कार्यवाही इस बी० डी० ओ० की है या नहीं ?

श्री राममूर्ति---

मैंने इसके बारे में पता लगाया था,करीब ९०-९२ रुपया माहवार का हिसाब आता है। महीने में २० दिन तो उसको दौरे पर रहना ही पड़ता है, इससे ६० रुपया तो हो गए। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर जाने के लिए जब उसको हुक्म होता है और वह जब वहां जीप से नहीं जा सकता है तो रेल या बस से उसको जाना पड़ता है। डिवीजनल हेडक्वार्टर पर जाने के लिए भी उसको खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा किसी कांफ्रेन्स में भी उसको जाना पड़ता है। इस प्रकार से ९०-९२ का हिसाब आता है। इस पर भी मुझको शुबहा था, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से बताया कि यह कोई ज्यादा रकम नहीं है, इसलिए और ज्यादा जांच नहीं करायी गयी। लेकिन अगर अब भी माननीय सदस्य यह खयाल करते हैं कि यह रकम बहुत ज्यादा है तो इसकी जांच दुबारा कराई जा सकती है।

श्री कल्पनार्थसिंह---

मैं माननीय मन्त्री जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जांच कराने का वायदा किया। माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायें कि दौरे के कारणों में जो यह लिखा हुआ है कि दूध वितरण के सिलसिले में दौरा हुआ है, उस सिलसिले में दौरा हुआ या नहीं ? यह जांच करा लें कि दौरा किस कारण से हुआ है और जिस काम के लिए उन्होंने टी० ए० चार्ज किया था वह जस्टी-फाइड था या नहीं ?

श्री राममूर्ति---

ठीक है, जांच करा ली जायगी।

विकास क्षेत्र, फतेहपुर मड़ाव की सहकारी समितियां

*२०---श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खण्ड विकास क्षेत्र, फतेहपुर मड़ाव, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम डुबारी, सुआहि, भठिया आदि ग्रामों की कोआपरेटिव सोसाइटियों

---

†छापी नहीं गई।

नोट---तारांकित प्रश्न १९ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

को एक में मिला कर सदन सहकारी समिति बना देने का आदेश डिवीजनल डिप्टी रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव, गोरखपुर का हुआ था ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

सहकारिता मन्त्री (श्री बनारसीदास)---

जी नहीं।

अतः प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

*२१---श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ग्रामों की कोआपरेटिव सोसाइटियों का चुनाव रोकने के लिए खण्ड विकास अधिकारी, फतेहपुर मड़ाव, जिला आजमगढ़ को ग्रामाणों ने लिखा था ? यदि हां, तो रोकने का कारण क्या है ?

श्री बनारसीदास---

केवल दो व्यक्तियों ने २५-१-६४ को सुआह साधन सहकारी समिति की २६-१-६४ के लिए निर्धारित साधारण वार्षिक बैठक स्थगित करने के लिए खण्ड विकास अधिकारी फतेहपुर मण्डल को एक आवेदन-पत्र दिया था। खण्ड विकास अधिकारी ने सहकारी पर्यवेक्षक को चुनाव रोकने का आदेश दिया। उक्त बैठक की सूचना सदस्यों को ११ दिन पूर्व (१५-१-६४ को) दी जा चुकी थी, अतः जब पर्यवेक्षक ने इस सम्बन्ध में समिति की पंचायत से बात की तो पंचायत ने जिसे बैठक बुलाने या स्थगित करने का अधिकार है, बैठक स्थगित करने से इन्कार कर दिया।

भारत दर्शन आदि यात्राओं पर ब्लाकों का व्यय

*२२---श्री ऊदल तथा श्री रघुनाथ (जिला बलिया)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्लाकों की तरफ से भारत दर्शन तथा और दूसरी यात्राओं पर भेजने के लिए पूरे प्रदेश में सन् १९६२-६३ व १९६३-६४ के वर्ष में कितना रुपया दिया गया था और कितना रुपया सरकार की तरफ से सबसिडी के रूप में दिया जाता है ?

श्री राममूर्ति---

भारत दर्शन तथा दूसरी यात्राओं पर भेजने के लिए पूरे प्रदेश में (ब्लाकों की ओर से) सन् १९६२-६३ में ७१,३८३.८९ नए पैसे तथा १९६३-६४ में १०७,९६६.८४ नए पैसे व्यय हुआ था। इसमें से सबसिडी के रूप में १९६२-६३ में २८८ रु० ५३ नये पैसे तथा १९६३-६४ में १३,०४०.६८ नए पैसे दिया गया।

निबन्ध लिपिकीय पदों की पूर्ति

*२३---श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा), श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा) तथा श्री नाथराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६१ में कोई ऐसा सरकारी आज्ञा-पत्र निकाला गया है जिसमें कि रजिस्ट्रेशन लिपिक के पद के लिए नियुक्त करने का अधिकार जिला रजिस्ट्रार से लेकर महानिरीक्षक निबंधन को दे दिये गए हैं ? इस आज्ञा-पत्र के गजट होने के बाद से ३१ दिसम्बर, सन् १९६३ तक कितने नए व्यक्ति निबन्धन लिपिकीय पद के लिए उम्मीदवार एवं सेवा में किस प्रतियोगिता द्वारा लिए गए ?

वित्त मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

जी हां। इस आज्ञा-पत्र के गजट में प्रकाशित होने से ३१ दिसम्बर, १९६३ तक ११० उम्मीदवार प्रतीक्षा सूची में लिए गए जिसमें से ८९ उम्मीदवार बिला परीक्षा के और २१ उम्मीदवार परीक्षा के आधार पर लिए गए। इनमें से ३२ दीर्घकालिक तथा १७ अल्पकालिक रिक्तियों में काम कर रहे हैं।

बुलन्दशहर में कोर्ट फीस स्टाम्प का अभाव

*२४--श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर को कचेहरी में २५ नए पैसे, ५० नए पैसे, ७५ नए पैसे के कोर्ट फीस के टिकट नहीं हैं और कोर्ट फीस पर १ रुपया ५० नया पैसा का जो टिकट लगता है वह भी नहीं है? क्या इस कठिनाई को सरकार दूर करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

नवम्बर, १९६३ के अन्त में छोटे मूल्य के कोर्ट फीस स्टाम्प बुलन्दशहर में समाप्त हो गए थे किन्तु अब जिलाधीश, बुलन्दशहर, जूनियर सेक्रेटरी बोर्ड आफ रेवेन्यू और राज्य सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप यह स्टाम्प कन्ट्रोलर आफ स्टाम्प के यहां से प्राप्त हो गए हैं।

सहकारी संघ, जसराना पर श्री योगेन्द्रसिंह का कथित बकाया

*२५--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार को ज्ञात है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जिला मैनपुरी द्वारा १९६१ से लगातार लिखे जाने के बाद भी श्री योगेन्द्र सिंह, निवासी मिलावली को श्री गजराज सिंह, अध्यक्ष, Co-operative Brick Kiln Union, Jasarana, District Mainpuri ने अभी तक उनका २,७०० रुपया नहीं दिया जो समिति पर ड्यू था?

श्री बनारसीदास--

ऐसा कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि श्री गजराजसिंह, अध्यक्ष सहकारी संघ, जसराना ने सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, मैनपुरी द्वारा १९६१ से लगातार लिखे जाने के बाद भी श्री योगेन्द्रसिंह को उनका २,७०० रु० नहीं दिया वास्तव में सहायक निबन्धक, मैनपुरी ने इस प्रकार का कोई आदेश श्री गजराजसिंह को नहीं दिया क्योंकि योगेन्द्रसिंह की ओर से ऐसी कोई मांग नहीं की गई।

*२६--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार को ज्ञात है कि श्री योगेन्द्र सिंह का कत्ल १९६२ में कर दिया गया? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी विधवा पत्नी को यह रुपया अविलम्ब दिलायेगी?

श्री बनारसीदास--

जी हां, सहकारी संघ लि० जसराना के कागजात के अनुसार इस समय श्री योगेन्द्र सिंह को कोई रुपया देय नहीं है। अतः सरकार द्वारा कथित रुपया श्री योगेन्द्र सिंह की विधवा को दिलाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी जिले के विकास खंडों पर व्यय

*२७—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में वित्तीय वर्ष १९६२–६३ और १९६३–६४ में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कितना-कितना धन अलग-अलग विकास खण्डों पर खर्च किया गया ?

श्री राममूर्ति—

वांछित †सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

एलोपैथिक चिकित्सालय, खड़िया नमेंनी

*२८—श्री बेदराम (जिला एटा)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि ग्राम खड़िया नमेंनी, जिला एटा में एक सरकारी अस्पताल बन रहा है जिस को बनते-बनते लगभग १० वर्ष से भी अधिक हो गया है ? यदि हां, तो अब तक कार्य पूर्ण न होने का क्या कारण है तथा कब तक कार्य पूर्ण हो जावेगा ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

जी नहीं। इस ग्राम के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय के लिए सरकार की ओर से किसी भवन का निर्माण नहीं हो रहा है।

महिला अस्पताल, मऊ में डाक्टरनी न होना

*२९—श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में मऊ तहसील का लेडीज अस्पताल ३ साल से बगैर लेडी डाक्टर के खाली पड़ा है ? क्या सरकार उपरोक्त अस्पताल में निकट भविष्य में लेडी डाक्टर शीघ्र भेजने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां। इसका कारण प्रदेश में महिला डाक्टरों की भारी कमी होना है। वहां एक लेडी डाक्टर को भेजने के आदेश दिये जा चुके हैं।

कासगंज तहसील में बिक्री-कर का बकाया

*३०—श्री गिरवरप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कस्बा कासगंज, जिला एटा में फरवरी, सन् १९६४ तक कितना रुपया सेल टैक्स का बाकी है और वह किस-किस व्यक्ति पर है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

तहसील कासगंज, जिला एटा में २९ फरवरी, सन् १९६४ को ११,१३,५८३ रु० ३९ पैसे बिक्री-कर का बकाया था। जिन फर्मों तथा व्यक्तियों पर यह धनराशि बकाया थी उनके नाम संलग्न †सूची "क" में दिये हैं।

---

†छापी नहीं गई।

*३१—श्री गिरवरप्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माह दिसम्बर, सन् १९६३ व जनवरी, सन् १९६४ में कितने बाकीदार गिरफ्तार करके हवालात में रखे गए और कितना-कितना रुपया उन गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों से वसूल हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

तहसील कासगंज में माह दिसम्बर सन् १९६३ व जनवरी, सन् १९६४ में १२ बिक्री-कर के बकायादार गिरफ्तार करके हवालात में रक्खे गए। इन बकायादारों से ३,९६५ रु० ४९ पैसे वसूल हुआ। बकायादारों के नाम तथा उनसे वसूली की गई धनराशि का विवरण संलग्न †सूची "ब" में उपलब्ध है।

*३२—श्री गिरवरप्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन हवालातियों को खाना देने व कपड़े देने की भी कोई व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

हवालातियों को हवालात में खाना व कपड़ा देने की व्यवस्था है।

इलाहाबाद में स्टील ट्रंक कारखानों से बिक्री-कर आय

*३३—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतलायेंगे कि इलाहाबाद शहर के स्टील ट्रंक के कितने कारखाने ऐसे हैं जिन्हें सरकारी लोहे का कोटा ट्रंक बनाने हेतु मिलता है और उन्होंने ५ वर्षों में कितना-कितना सेल-टैक्स सरकार को दिया, उनके नाम क्या हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इलाहाबाद शहर में केवल २६ स्टील ट्रंक के ऐसे कारखाने हैं जिनको लोहे का सरकारी कोटा मिलता है । जिनमें से केवल १३ कारखानों से गत पांच वर्षों में कुल ५७,६८०.३० रु० बिक्री-कर के रूप में प्राप्त हुआ । कारखानों का नाम तथा उनसे बक्री-कर के रूप में प्राप्त धनराशि का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ. १८४ पर)

गाजियाबाद एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के विरुद्ध योगेन्द्रपाल बाघी की शिकायत

*३४—श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसके पास कोई श्री योगेन्द्रपाल बाघी की शिकायत पहुंची है कि गाजियाबाद एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के कर्मचारी बिना रिश्वत लिये किसी का कार्य नहीं करते और जो लड़कियां नाम रजिस्टर्ड कराने आती हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं ? अगर हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

श्री बाघी ने एक शिकायत गाजियाबाद एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के कर्मचारियों के खिलाफ उप मंडली सेवायोजन अधिकारी, मेरठ के पास १२-३-१९६४ को भेजी थी जिसकी जांच हो रही है ।

---

†छापी नहीं गई।

प्रधान, गांव सभा, बेरुआ का निलम्बन

*३५--श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)---

क्या विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद, रायबरेली के अन्तर्गत परगना सरेनी में ग्राम बेरुआ के सभापति किस तारीख व सन् में मुअत्तल हुये और किस अपराध में ?

श्री राममूर्ति---

प्रधान, गांव सभा, बेरुआ को परगनाधीश, डलमऊ द्वारा गांव समाज की रसीद बही खो देने के अपराध में १९ अगस्त, १९६३ को छः माह के लिये आदेश तामील होने की तिथि से निलम्बित किया गया था ।

*३६---श्री गुप्तारसिंह---

क्या यह सही है कि उन्होंने कोई रसीद गायब कर दी जिस में कुछ रुपये भी वसूल किये गये थे, मगर न रुपया कैश बुक में जमा है न रसीद ही मौजूद है ? यदि हां, तो आज तक उचित कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री राममूर्ति---

जी हां, प्रधान द्वारा गांव सभा की रसीद बही नं० ५६८६९ खो गयी थी, जिसमें केवल १०० रुपये वसूल किये गये थे जो कोषबही में दर्ज हैं । प्रधान को उनकी लापरवाही के लिये ६ माह के लिये परगनाधीश द्वारा निलम्बित किया जा चुका है ।

पंचायत राज इन्स्पेक्टर

*३७---श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि १९६३ से पंचायतराज इंस्पेक्टरों की सेवायें प्लानिंग विभाग में सम्मिलित कर ली गई हैं ? यदि यह सही है, तो इनकी सेवाओं को प्लानिंग में शामिल करने के बाद इनके पंचायतराज इंस्पेक्टर की सेवा काल का ध्यान पदोन्नति के लिये और सीनियारिटी लिस्ट बनाने में रक्खा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति---

यह सही नहीं है कि सन् १९६३ से पंचायतराज इंस्पेक्टरों की सेवाएं प्लानिंग विभाग में सम्मिलित कर ली गई हैं । अतः बाकी प्रश्न ही नहीं उठता ।

*३८---श्री खूबसिंह---

क्या इन पर सहायक विकास अधिकारी का नया वेतन-क्रम प्लानिंग में शामिल होने के समय से लागू होगा अथवा पे फिक्सेशन के समय पहली सेवाओं का बेनिफिट दिया जायगा और इस प्रकार इन्हें वही वेतन मिलेगा जो उस दशा में मिलता जबकि उन्हें शुरू से ही प्लानिंग में शामिल माना जाता ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति---

जब प्लानिंग में शामिल ही नहीं हुये तो उस समय से वेतन क्रम लागू होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*३९---श्री खूबसिंह---

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि कितने पंचायतराज इंस्पेक्टर सन् १९५६ में ए० डी० ओ० बनाये गये थे और उनको पुनः क्यों पंचायत इंस्पेक्टर बना दिया गया ऐसा करने से उनकी सीनियारिटी, पदोन्नति तथा वेतन स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसे कम्पन्सेट कैसे किया जायगा ?

श्री रामभूर्ति—

सन् १९५६ ई० में ३२ पंचायतराज इंस्पेक्टर, प्लानिंग विभाग में ए० डी० ओ० (पंचायत) के पद पर कार्य करने के लिये प्रतिनियुक्ति (deputation) के रूप में ले लिये गये थे और आवश्यकता न रहने पर क्रमशः पंचायत इंस्पेक्टर के पद पर वापस होते रहे । शासन ने स्पष्ट आदेश दे दिये थे कि किसी पंचायत इंस्पेक्टर के प्लानिंग विभाग में प्रतिनियुक्ति पर रहने से, मूल पद की सीनियारिटी और पदोन्नति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनके सब हित सुरक्षित रहेंगे ।

*४०—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

[३० जुलाई, १९६४ के लिये प्रश्न ६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

इलाहाबाद में शराब की दूकानें

*४१—श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले और शहर में कितनी नई शराब की दूकानें १ अप्रैल, १९६४ से कहां खोली जारही हैं और क्या यह बढ़ोत्तरी प्रदेशीय सरकार की नीति के अनुकूल है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

१९६४ के अप्रैल के महीने में इलाहाबाद जिले के देहाती क्षेत्र में देशी शराब की निम्नलिखित ३ नयी दूकानें खोली गईं और शहर के क्षेत्र में कोई दूकान नहीं खोली गई—

१—खीरी, तहसील मेजा, जिला इलाहाबाद ।
२—जसराबाजार, करछना, जिला इलाहाबाद ।
३—बरांव, जिला इलाहाबाद ।

उपरोक्त दूकानों के खोलने के लिये यह कारण थे कि इन स्थानों के क्षेत्रों में अवैध रूप से शराब बिकती थी और आबकारी अपराधों की वृद्धि हो रही थी । दूसरे इन दूकानों के खोलने के लिये जनता की भी मांग थी । अस्तु ऐसी स्थिति में सरकारी नीति का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

*४२—श्री सत्यनारायण पांडेय—

क्या आबकारी मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिस जिला आबकारी समिति मे नई दूकान स्वीकृत हुई हैं उसमें कितने और कौन सदस्य उपस्थित थे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

रूरल लायसेंसिंग बोर्ड की २४-२-६४ की मीटिंग में उपरोक्त नई दूकानों को खोलने के प्रस्ताव पास किये गये थे जिसमें निम्नलिखित पांच सदस्य उपस्थित थे :

१—श्री गणपत सहाय श्रीवास्तव, अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, इलाहाबाद ।
२—श्री सूर्यबली सिंह, सुपरिन्टेन्डेन्ट, आबकारी ।
३—श्री जमुना प्रसाद, सदस्य,
४—श्री मोहम्मद सिद्दीक, ,,
५—श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, जिला आबकारी अफसर ।

लक्ष्मनपुर साधन सहकारी समिति के निबन्धन पर आपत्ति

*४३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या यह बात सही है कि लगभग ३ हजार की कम आबादी पर कोई साधन सहकारी समिति नहीं बनाई जा सकती ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि बाराबंकी जिले के त्रिवेदीगंज ब्लाक में लक्ष्मनपुर की लगभग २०० व्यक्तियों की क्यों साधन सहकारी समिति बनाई गई ?

श्री बनारसीदास--

जी हां, साधन सहकारी समिति बनाने के लिये लगभग ३००० की आबादी समिति के क्षेत्र में होनी चाहिये । लक्ष्मनपुर सहकारी दुग्ध समिति को साधन सहकारी समिति में परिवर्तित करते समय सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) की गलती से ३००० की आबादी के प्रतिबन्ध का ध्यान नहीं रखा जा सका ।

*४४--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या यह बात सही है कि लक्ष्मनपुर त्रिवेदीगंज की दुग्ध सहकारी समिति को नियमानुसार खाद बेचने का लाइसेंस प्राप्त करने और खाद बेचने का हक नहीं था और न दुग्ध सोसाइटी को साधन सहकारी समिति के रूप में नियमानुसार परिवर्तित करने का ही नियम है ? यदि हां, तो इस सोसाइटी को खाद बिक्री का लाइसेन्स क्यों दिया गया और इसकी पुनः साधन सहकारी समिति के रूप में ७०४ नम्बर पर क्यों रजिस्ट्री की गई ?

श्री बनारसीदास--

दुग्ध समिति को खाद बेचने के लिये लाइसेन्स प्राप्त करने तथा खाद बेचने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था और न दुग्ध समिति को साधन सहकारी समिति में परिवर्तित करने पर कोई प्रतिबन्ध था ।

*४५--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या यह बात सही है कि लक्ष्मनपुर त्रिवेदीगंज का मजरा है इसके नाम ७०४ नम्बर पर साधन सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन हुआ और पुनः १८ मार्च, १९६३ को २२८९ नम्बर पर रजिस्ट्री लक्ष्मनपुर के नाम से हुई, जब कि नम्बरी ग्राम त्रिवेदीगंज के नाम से होना चाहिये था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास--

जी हां, लक्ष्मनपुर त्रिवेदीगंज का मजरा है । यह भी सही है कि लक्ष्मनपुर के नाम से २८-१२-६१ को एक साधन सहकारी समिति का निबन्धन ७०४ नम्बर पर हुआ । परन्तु यह सही नहीं है कि १८ मार्च, सन् १९६३ को २२८९ नम्बर पर लक्ष्मनपुर के नाम से उस समिति का पुनः निबन्धन हुआ । १८ मार्च, सन् १९६१ को २२८९ नम्बर से एक नई दुग्ध सहकारी समिति का निबन्धन लक्ष्मनपुर के नाम से हुआ । दुग्ध सहकारी समिति के लिये यह आवश्यक नहीं था कि वह त्रिवेदीगंज के नाम से निबन्धित होती । और न इसके लिये साधन सहकारी समितियां की शर्तें लागू हैं । दुग्ध समितियां सीमित उद्देश्य की विशेष श्रेणी की समितियां हैं । जो पृथक रूप में लखनऊ सहकारी दुग्ध संघ के सम्पर्क में काम करती हैं। अतः दुग्ध समिति के त्रिवेदीगंज ग्राम के नाम निबन्धन का प्रश्न नहीं उठता ।

दोहरीघाट ब्लाक से सीमेन्ट वितरण की शिकायतें

*४६--श्री झारखण्डेराय--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिलाधीश, आजमगढ़ को हाल में कितनी शिकायतें दोहरीघाट ब्लाक के सीमेंट के ब्लैक मार्केट की मिली हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राममूर्ति--

जी हां । तीन शिकायतें विकास क्षेत्र अधिकारी, दोहरीघाट के सीमेन्ट बांटने के विरुद्ध मिली हैं परन्तु यथोचित जांच के पश्चात् ये सभी निराधार सिद्ध हुईं ।

वाराणसी कमिश्नरी में अध्यापकों की नियुक्ति में अनियमितता

*४७---श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वायत्त शासन (ख) विभाग के आदेश संख्या १६१५ / ए-६०-६८६-१९६०, दिनांक ८ फरवरी, १९६१ ई० के होते हुये कि लोकल बाडीज को भी इम्प्लायमेंट एक्सचेंज के द्वारा ही नियुक्तियां करना चाहिये इसका पालन वाराणसी कमिश्नरी के प्रत्येक जिले के जिला परिषद् के अध्यक्षों ने जनवरी, फरवरी, सन् १९६४ में अन्ट्रेन्ड अध्यापकों को रखते समय नहीं किया ? यदि हां, तो सरकार इस विषय पर क्या करने जा रही हैं ?

श्री राममूर्ति---

वाराणसी कमिश्नरी की कुछ जिला परिषदों ने कथित राजाज्ञा का उल्लंघन किया है जिला परिषदों का ध्यान इस शासकीय आदेश की ओर फिर से आकर्षित किया जा रहा है तथा यह भी बिलकुल स्पष्ट किया जा रहा है कि भविष्य में ऐसी कोई भी अनियमितता होने पर उचित कार्यवाही की जायेगी ।

आजमगढ़ जिले में पंचायत मंत्रियों को वेतन वृद्धि न मिलना

*४८---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कितने पंचायत मंत्रियों की वेतन वृद्धि की रकम सन् १९५४ ई० से आज तक नहीं दी गई ?

श्री राममूर्ति---

आजमगढ़ जिले में कोई पंचायत मंत्री ऐसा नहीं है जिसे सन् १९५४ से अभी तक वेतन वृद्धि की रकम नहीं दी गई है । हां ६ पंचायत मंत्री अवश्य ऐसे हैं जिन्हें सन् १९५५ तथा इसके बाद के वर्षों से वार्षिक वेतन वृद्धियां अभी तक स्वीकार नहीं की गई हैं ।

*४९---श्री उमाशंकर---

क्या मंत्री जी यह भी बता सकते हैं कि ऐसा करने का कारण क्या है और कब तक वह रकम उन्हें दे दी जायगी ?

श्री राममूर्ति---

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्न संख्या ४८ के उत्तर में उल्लिखित पंचायत मंत्रियों की वार्षिक वेतन वृद्धियां जिला पंचायत कार्यालय के तत्कालीन लिपिकों एवं सहायक जिला पंचायत अधिकारियों की असावधानी के परिणाम स्वरूप अब तक स्वीकार नहीं की जा सकी हैं । उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिये छान बीन की जा रही है । आशा है इन सभी पंचायत मंत्रियों को उनकी वार्षिक वेतन वृद्धियों की बकाया रकम का भुगतान शीघ्र ही कर दिया जायगा ।

रानीपुर विकास खण्ड में वृद्धि

*५०---श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कौन-कौन विकास खण्ड डेढ़ गुना बनाये गये हैं और क्यों ?

श्री राममूर्ति---

जिला आजमगढ़ में केवल रामपुर विकास खण्ड डेढ़ गुना बनाया गया है ।

जिला आजमगढ़ ने सन् १९५६ में अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय इस विकास खण्ड को जन संख्या के अनुसार डेढ़ गुना साईज विकास खण्ड माना है, जिसके आधार पर सामु-

दायिक विकास मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार से इस विकास खण्ड को डेढ़ गुना साईज करने की स्वीकृति ली गई थी । सन् १९६१ ई० की जनगणना के अनुसार इस विकास खण्ड में २९९ गांव हैं और इसकी जनसंख्या ८४,५५३ है ।

प्रधान ग्राम सभा, बन्तरी के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

*५१---श्री रघुनाथसिंह---

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बन्तरी, विकास क्षेत्र चोलापुर, जिला वाराणसी के सभापति के विरुद्ध उस ग्राम सभा, जिसकी मतदाता संख्या ४८५ है, के ३५६ व्यक्तियों के हस्ताक्षर का जो अविश्वास का प्रस्ताव १८ अक्तूबर, १९६३ को सहायक जिला पंचायत अधिकारी के पास भेजा गया, उस पर अधिकारी ने कोई उचित कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री राममूर्ति---

प्रधान, ग्राम सभा बन्तरी के विरुद्ध ३५६ मतदाताओं के हस्ताक्षर से प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव, दिनांक १८ अक्तूबर, १९६३ पर सहायक जिला पंचायत अधिकारी द्वारा कार्यवाही तो की गई परन्तु मतदान हेतु बैठक की तिथि निर्धारित नहीं की जा सकी क्योंकि जिन पांच व्यक्तियों ने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उनमें २ व्यक्ति श्री बैजूराम और श्री आद्याशंकर चौबे का नाम ग्राम सभा के भाग २ रजिस्टर में नहीं मिला था, इसलिये इस वैधानिक त्रुटि के कारण अविश्वास प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

*५२---श्री रघुनाथसिंह---

उस गांव सभा के ३४९ व्यक्तियों के हस्ताक्षर के १३ जनवरी, १९६४ के दूसरे अविश्वास प्रस्ताव पर जो ४ फरवरी, १९६४ की तिथि पर मतदान हुआ, उसका परिणाम अब तक क्यों नहीं घोषित हुआ ?

श्री राममूर्ति---

इस अविश्वास प्रस्ताव का परिणाम २४ अप्रैल, १९६४ को घोषित कर दिया गया है ।

*५३---श्री रघुनाथसिंह---

क्या ग्राम सुधार समिति बन्तरी के मंत्री श्री दयाशंकर चौबे ने संबंधित जिलाधिकारियों की उदासीनता और उपेक्षा की नीति के विरुद्ध माननीय मुख्य मंत्री के पास कोई आवेदन-पत्र इस विषय में अविलम्ब उचित कार्यवाही के लिये भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री राममूर्ति---

चूंकि श्री दयाशंकर चौबे ने एक इस्तगासा इसी शिकायती पत्र के प्रसंग में सहायक जिला पंचायत अधिकारी के विरुद्ध जुडिशियल अधिकारी के न्यायालय में दायर किया है, इसलिये शिकायती पत्र पर जांच की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है ।

डाक्टरों के स्थानान्तरण के विषय में सुझाव

*५४---श्री मुमताज मुहम्मद खां---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने सरकारी डाक्टर ऐसे हैं जो एक ही स्थान में तीन साल से अधिक सेवा कर रहे हैं और उनको वहां से ट्रांसफर न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५५--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो डाक्टर सात साल से अधिक से शहरों में ही सेवा कर रहे हैं उनको कस्बों, देहाती और पहाड़ी क्षेत्रों के अस्पतालों व डिस्पेंसरियों में ट्रांसफर न करने का क्या कारण है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

साधन सहकारी समिति, नवाबगंज के विरुद्ध शिकायतें

*५६--श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद)--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के सोरांव पश्चिमी क्षेत्र में साधन सहकारी क्षेत्र नवाबगंज का शिकायती पत्र जनता की तरफ से २४ फरवरी, १९६४ को मंत्री जी को जांच के वास्ते दिया गया था और उस पत्र में शिकायत क्या थी तथा उस जांच में परिणाम क्या हुआ ?

श्री बनारसीदास--

जी हां । साधन सहकारी समिति नवाबगंज में २९-१-६४ को बिना शिकायत कर्त्ताओं को सूचना दिये हुए चुनाव कर लेने तथा समिति के खजांची, सरपंच व सुपरवाइजर द्वारा गबन की शिकायतें थीं । शिकायत की जांच कराने पर दोनों आरोप निराधार पाये गये।

सघन सहकारी समिति, अमौरा का चुनाव

*५७--श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर)--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब सघन सहकारी समिति अमौरा, ब्लाक भदौरा, जिला गाजीपुर का चुनाव उक्त ब्लाक के बी० डी० ओ० एवं सुपरवाइजर की देख-रेख में दिनांक २० दिसम्बर, १९६३ को हुआ था, तो अब तक चुने हुए पदाधिकारियों को चार्ज क्यों नहीं दिया गया ?

श्री बनारसीदास--

उक्त तिथि के चुनाव के विरुद्ध एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह कहा गया था कि २०-१२-६३ को चुनाव नहीं हुआ बल्कि २९-१२-६३ को चुनाव हुआ। अतः चुनाव विवादास्पद होने के कारण चुने हुए पदाधिकारियों को चार्ज नहीं दिया गया ।

*५८--श्री राजनाथसिंह--

क्या उक्त समिति के निर्वाचित पदाधिकारियों ने सहकारिता मंत्री ए० आर०, गाजीपुर तथा रजिस्ट्रार, लखनऊ के यहां इस बारे में प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसीदास--

समिति के दिनांक २०-१२-६३ को निर्वाचित पदाधिकारियों का गृह मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली को सम्बोधित एवं सहकारिता मंत्री, उत्तर प्रदेश तथा ए० आर० गाजीपुर को पृष्ठांकित पत्र की एक प्रति सहायक निबंधक गाजीपुर, को प्राप्त हुई थी । अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी, गाजीपुर द्वारा मामले की जांच की गई परन्तु उनकी जांच रिपोर्ट सन्तोष-

जनक नहीं पाई गई। चूंकि तत्कालीन सहायक निबंधक व अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी, गाजीपुर का जिले से स्थानान्तरण हो गया है अतः वर्तमान सहायक निबंधक को आदेश दिया गया है कि वह मामले की पुनः जांच करें तथा उचित कार्यवाही करें।

*५९—श्री राजनाथसिंह—

क्या यह सही है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार, गाजीपुर के बार-बार लिखने पर भी बी० डी० ओ०, भदौरा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं जब कि चुनाव उन्हीं की अध्यक्षता में हुआ था ?

श्री बनारसीदास—

बी० डी० ओ०, भदौरा ने २०-१२-६३ के जल्से में अध्यक्षता करने के कारण ही जांच करने हेतु अपनी असमर्थता प्रकट की।

सिलवर जुबली हेल्थ स्कूल, लखनऊ के मेस अकाउण्ट में गड़बड़ी

*६०—श्री सत्यनारायण पांडेय तथा श्री खयाली राम (जिला लखनऊ)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५९-६० में सिलवर जुबली हेल्थ स्कूल, लखनऊ में जो ४ हजार रुपये मेस एकाउन्ट का गबन हुआ उसका क्या हुआ ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

१९५९-६० में सिलवर जुबली हेल्थ स्कूल के मेंस एकाउन्ट में ४ हजार रुपये का कोई गबन नहीं हुआ था बल्कि उस एकाउन्ट में उपरोक्त वर्ष में ३,६८७.६२ रु० की वित्तीय अनियमितता हो गई थी और इस संबंध में आवश्यक जांच की जा रही है।

*६१—श्री सत्यनारायण पांडेय तथा श्री खयाली राम—

क्या मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि जिन मेडिकल आफिसर इंचार्ज के कार्यकाल में यह गबन हुआ था उन्हें उसी स्थान पर भेज दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों जब कि वह ट्रेनिंग सेन्टर के लिये योग्यता भी नहीं रखतीं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

प्रश्न नहीं उठता।

*६२—श्री सत्यनारायण पांडेय तथा श्री खयालीराम—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि डाइरेक्टर मेडिकल ऐण्ड पब्लिक हेल्थ ने उपरोक्त मेडिकल आफिसर इन्चार्ज के पद को अनावश्यक बताते हुए समाप्त करने की संस्तुति की थी ? यदि हां, तो पुनः उस पद पर क्यों नियुक्ति की गयी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

ऐसी कोई सिफारिश डायरेक्टर मेडिकल एण्ड पब्लिक हेल्थ ने नहीं भेजी।

निन्दूरा ब्लाक पर व्यय

*६३—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले के निन्दूरा ब्लाक (कुर्सी) में सन् १९६२-६३, १९६३-६४ में कितना-कितना धन हर आइटम में खर्च करने के लिये स्वीकृत किया गया और प्रत्येक आइटम पर कितना खर्च हुआ ?

श्री राममूर्ति---

तालिका १ में वांछित †सूचना संलग्न है ।

*६४---श्री द्विजेन्द्रनारायण---

जिन-जिन व्यक्तियों को जिस जिस काम के लिये अनुदान दिया गया है, उनमें से कौन-कौन काम पूरे हो गये हैं और कौन-कौन काम नहीं हुये ? जिन लोगों ने काम नहीं सम्पादित किया है क्या सरकार उनसे रुपया वसूल करने का कोई प्रबन्ध करेगी ?

श्री राममूर्ति---

तालिका २ ए में ६२-६३ तथा तालिका २ बी में ६३-६४ से संबंधित वांछित †सूचना संलग्न है । यदि कार्य निश्चित समय के अन्दर पूरा नहीं होता है तो धन वापस करने हेतु कार्यवाही की जायेगी ।

बरहन चिकित्सालय

*६५---श्री शिवचरण (जिला आगरा)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला आगरा, तहसील एतमादपुर क्षेत्र, उत्तर में कितने सरकारी दवाखाने हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या सरकार निकट भविष्य में उनके खोलने का कोई विचार कर रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

जिला आगरा, तहसील एतमादपुर क्षेत्र उत्तर में एक राजकीय ग्राम्य एलोपैथिक चिकित्सालय बरहन में कार्य कर रहा है ।

फैजाबाद जिले में ग्रामीण जनशक्ति उपयोग योजना पर व्यय

*६६---श्री राजाराम तथा श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)---

क्या विकास मंत्री बतायेंगे कि मैनपावर युटिलाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत फैजाबाद जिले में कौन-कौन से काम कितने-कितने लागत के लिये गये हैं तथा उन पर अब तक कितना खर्चा हुआ है, अगले वर्ष १९६४-६५ में उन पर कितना धन व्यय होगा ?

श्री राममूर्ति---

वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १८५-१८६ पर)

बमौर विकास क्षेत्र में एलोपैथिक औषधालय

*६७---श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी---)

क्या स्वाथ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले की गरौठा तहसील में दस वर्ष के अन्दर कितने एलोपैथिक अस्पताल खोले गये हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

पिछले १० वर्षों में (सन् १९५४ के उपरान्त) सरकार द्वारा गरौठा तहसील, जिला झांसी के बमौर विकास क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत एलोपैथिक औषधालय खोलने के आदेश दिनांक ३०-१२-१९६३ को जारी किये थे ।

---

†छापी नहीं गई ।

बलिया जिले में जनशक्ति उपयोग योजना

*६८—श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिले के पश्चिमी भाग में जन-शक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत किन-किन सड़कों को पक्की कराने का प्रस्ताव जिले से आया है ?

श्री राममूर्ति—

ग्रामीण जनशक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत बलिया जिले के पच्छिमी भाग में रतनपुरा ब्लाक के अन्तर्गत केवल रतनपुरा बिलौकी सड़क ७ मील (अनुमानित लागत ४–२० लाख रु०) पक्की कराने का प्रस्ताव जिले से आया है। किन्तु इस सड़क को अभी तक किसी भी चरण में शामिल नहीं किया जा सका है ।

*६९—श्री बृजबिहारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन प्रस्तावित सड़कों पर कब से कार्य आरम्भ होने जा रहा है ?

श्री राममूर्ति—

चूंकि वह सड़क अभी ग्रामीण जन शक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं की गई है, अस्तु इस सड़क पर फिलहाल काम आरम्भ होने का प्रश्न नहीं उठता।

फूलपूर तहसील में खाद्यान्न सम्बन्धी लाइसेंस व मिलावट के मुकदमें

*७०—श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील फूलपुर, जिला इलाहाबाद में प्रिवेंशन आफ फूड एडल्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत अक्तूबर, सन् १९६२ में जो नमूने संख्या नं० १२३ से १२९ तक लिये गये उनमें से कितने लोग निर्दोष होने के कारण मुकद्दमे से छूटे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

फूड एडल्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत संख्या १२३ से १२९ तक सात नमूने लिये गये उनमें से पब्लिक एनालिस्ट के अनुसार ३ नमूने विशुद्ध निकले तथा ४ में मिलावट पाई गयी । इन चार व्यक्तियों पर कानूनी अड़चन के कारण मुकद्दमे नहीं चलाये गये । अतः किसी को अदालत से निर्दोष होने के कारण छूटने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*७१—श्री बंशी लाल—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उन निर्दोष लोगों का सार्टिफिकेट क्यों रोका गया और जिन लोगों ने रोका उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

कानून के अन्तर्गत पब्लिक अनालिस्ट से प्राप्त खाद्य पदार्थों के शुद्ध या अशुद्ध होने की रिपोर्ट (सार्टिफिकेट) खाद्य पदार्थ के विक्रेताओं को नहीं दी जाती है । ऐसी परिस्थिति में किसी दोषी या निर्दोषी के सार्टिफिकेट रोकने का प्रश्न नहीं उठता है ।

*७२—श्री बंशीलाल—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि सहसों बाजार तहसील फूलपुर, जिला इलाहाबाद में जो खाद्य पदार्थ के लाइसेंस अक्तूबर व नवम्बर, सन् १९६२ में जिला स्वास्थ्य अधिकारी के यहां भेजे गये थे, वे अभी तक क्यों नहीं वापिस दिये गये ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

बहेरिया ब्लाक के खाद्य निरीक्षक श्री जेड० ए० सिद्दीकी ने सहसवां बाजार तहसील फूलपुर (बहादुरपुर ब्लाक) के कुछ व्यक्तियों से खाद्य पदार्थ बेचने के लाइसेंस के प्रार्थना-पत्र सन् १९६२ में १९६२–६३ के लिए प्राप्त किये और अपनी सिफारिश के साथ, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, इलाहाबाद के कार्यालय में भेज दिये। चूंकि बहेरिया ब्लाक के खाद्य निरीक्षक को बहादुरपुर ब्लाक से कोई कानूनी सम्बन्ध नहीं था इसलिए वह सब प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिये गये। बाद में बहादुरपुर ब्लाक के खाद्य निरीक्षक द्वारा निरीक्षण कराके उन सब व्यक्तियों को लाइसेंस जारी कर दिये गये।

कानपुर जिले में पोस्टमार्टम

*७३—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत अब तक कितने व्यक्तियों के पोस्टमार्टम १ जनवरी, १९६० से २० मार्च, १९६४ तक किये गये? उनमें से कितने ऐसे पोस्टमार्टम हैं जिनमें मृत व्यक्तियों के मरने के कारण पुलिस में लिखायी गयी रिपोर्ट के कारण से भिन्न दिखाये गये हैं और इस प्रकार के पोस्टमार्टम किन-किन अधिकारियों द्वारा किये गये थे?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

१७५८।

एक।

यह पोस्ट-मार्टम डाक्टर बी० एम० बनर्जी, पी० एम० एस० (१) ने किया था।

बांदा जिले में सड़कों का निर्माण

*७४—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपावर युटिलाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड में कौन-कौन से काम किस-किस जिले में बाढ़ निरोधक योजनाओं के अन्तर्गत चलाने का निश्चय किया गया है और इस पर कुल कितना रुपया व्यय करने की योजना है?

श्री राममूर्ति—

मैनपावर युटिलाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड में फिलहाल कोई भी बाढ़ निरोधक योजना चलाने का निश्चय नहीं है। अस्तु, इस प्रकार की योजनाओं पर फिलहाल रुपया व्यय करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*७५—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बांदा जिले में जन-शक्ति उपयोग के अन्दर कुछ सड़कों को बनाने का प्रस्ताव उस के पास हाल में जिले से आया था? यदि हां, तो उसमें से कौन-कौन सड़कें योजनान्तर्गत ली गयीं? यदि नहीं ली गयीं, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—

ग्रामीण जन-शक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत लेने के लिए केवल राजापुर-रायपुर रोड बांदा जिला स्तर से प्रस्तावित हुई है। इस सड़क को उपर्युक्त योजना में लेने के लिए मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी छानबीन की जा रही है। उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस सड़क को अगले कार्यक्रम में शामिल करने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

छोटी सरजू पर महाराजगंज का पुल बनाने की प्रार्थना

*७६—श्री उमाशंकर—

क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के महाराजगंज नामक स्थान पर बहने वाली नदी (छोटी सरजू) पर पुल बनाने के लिए जनता तथा ग्राम सभा के प्रधानों की ओर से कितने प्रार्थना-पत्र आये हैं तथा उक्त उद्देश्य के लिए जनता से चन्दे के रूप में कितना धन इकट्ठा किया गया और वह पैसा कहां रखा गया है ?

श्री राममूर्ति—

जिला परिषद्, आजमगढ़ के कार्यालय में जनता तथा ग्राम सभा के प्रधानों की ओर से इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं ? चन्दे के रूप में जनता से ४,६५६ रु० ७५ न० पै० एकत्र किये गये हैं। उस धनराशि को डाकखाने में ३१ जनवरी, १९५७ को जिलाधीश के नाम से जमा कर दिया गया है। इस समय सूद मिला कर ५,१५० रु० पास बुक में जमा हैं।

*७७—श्री उमाशंकर—

क्या मन्त्री जी सार्वजनिक हित के दृष्टिकोण से उक्त नदी पर शीघ्र एक पुल बनवाने का आदेश देंगे ?

श्री राममूर्ति—

प्रस्तावित पुल जिला परिषद्, आजमगढ़ के मार्ग पर पड़ेगा अतः इस पुल का निर्माण कराना जिला परिषद् का उत्तरदायित्व है।

बुलन्दशहर जिले में बाढ़ से क्षतिपूर्ति के लिए प्रार्थना

*७८—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बुलन्दशहर में काली नदी की भयंकर बाढ़ से सड़कों एवं स्कूलों के भवनों को घनिष्ट क्षति पहुंची है जिसका कि अन्दाजा १० लाख रुपये से अधिक किया जाता है ?

श्री राममूर्ति—

जिला परिषद् द्वारा शासन को भेजी गयी सूचना के अनुसार सन् १९६३ में बाढ़ आने से जिला बुलन्दशहर के ग्राम्य क्षेत्र में जिला परिषद् की सम्पत्ति को हानि अनुमानतः दस लाख रुपये है उसमें से काली नदी की बाढ़ से हुई क्षति का अनुमान केवल ७५,००० रु० लगाया जाता है।

*७९—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार को ज्ञात है कि इस सम्बन्ध में जिला परिषद्, बुलन्दशहर के अध्यक्ष ने हाल ही में १० लाख रुपये की मांग अनुदान रूप में और किसी प्रतिबन्ध के सरकार से की थी ? यदि हां, तो अनुसचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, ने अपने पत्र सं० २२३६/३३—५ सी (८)–६३, दिनांक २४ दिसम्बर, १९६३, जो जिलाधीश बुलन्दशहर को सम्बोधित है, के द्वारा जिला परिषद् से पचास प्रतिशत हिस्सा देने के लिए क्यों मांग की है ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष, जिला परिषद्, बुलन्दशहर ने अपने पत्र दिनांक ११ नवम्बर, १९६३ में बगैर किसी प्रतिबन्ध के १० लाख रुपये के अनुदान की मांग शासन से की है। शासन ने दिनांक २४ दिसम्बर, १९६३ के सन्दर्भित राजाज्ञा में जिलाधीश, बुलन्दशहर के माध्यम से यह जानना

चाहा है कि क्या परिषद् कुल व्यय का ५० प्रतिशत अपने पास से व्यय करने को तैयार होगी। क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ के अन्तर्गत जिला परिषद् का अनिवार्य कर्त्तव्य है कि वह अपनी सम्पत्ति की स्वयं रक्षा करें। शासन द्वारा अंशदान सहित अनुदान देने का तात्पर्य केवल इतना है कि शासन परिषदों को उस के कार्यों में सहायता करे। ५० प्रतिशत की शर्त स्वीकार करने वाली परिषदों को इसी लिए प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही इसी राजाज्ञा में कामों के तखमीनों तथा जिलाधीश के प्रमाण-पत्र की क्षति २५,००० रु० से अधिक है और परिषद् की मांग उचित है या नहीं, आदि सूचना भी मांगी गयी है।

*८०—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार यह देखते हुए कि क्षति की पूर्ति कराना शीघ्र से शीघ्र अत्यन्त अनिवार्य है और परिषद् की आय बहुत अल्प है और वह ५० प्रतिशत हिस्सा देने में असमर्थ है, वह सड़कों और स्कूलों के भवनों की मरम्मत तुरन्त कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

जैसा कि पूर्व प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर में कहा जा चुका है सड़क व स्कूल-भवन जिला परिषद् की सम्पत्ति हैं। क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा ३३ के अनुसार इन सड़कों व भवनों के निर्माण, मरम्मत व अनुरक्षण का पूर्ण उत्तरदायित्व जिला परिषद्, बुलन्दशहर का है।

गांवों में मकानों पर नम्बर प्लेट लगाना

*८१—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गावों में मकानों पर नम्बर किस योजना के अन्तर्गत लगाये जा रहे हैं और ग्रामीणों से उसके उपलक्ष में कितनी धनराशि ली जा रही है ?

श्री राममूर्ति—

निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा ऐसी गांव सभाओं के मकानों पर नम्बर प्लेट लगाने की योजना स्वीकार की गयी थी जो स्वेच्छा से इस बात के लिए राजी हो तथा इस निमित्त एक प्रस्ताव भी पास करें। इस को करने के लिए ३० से ३७ पैसे प्रति प्लेट लिया जा रहा था। उक्त आशय के अन्तिम आदेश निदेशक, पंचायत राज द्वारा ५ मार्च, १९६४ को जारी किये गये थे परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में पाला पड़ने के फलस्वरूप रबी की फसल खराब हो जाने के कारण और इससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण नम्बर प्लेट लगाने की योजना को २५ मार्च, १९६४ से स्थगित कर दिया गया है।

*८२—श्री सुखदेवप्रसाद—

यदि हां, तो किस प्रयोजन से और नहीं तो इसकी जांच मेरी सूचना के अनुसार सरकार विशेष कर गोंडा जिले में कराने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

यह योजना इस प्रयोजन से बनायी गयी कि गांव सभा के परिवारों की सूची रजिस्टर भाग १–२ में विधिवत् अंकन करने में सुगमता हो। इसके अतिरिक्त जनगणना का कार्य एवं ग्रामीण व्यक्तियों के निवास स्थानों के पते (addresses) सुगम हो सकें।

कोआपरेटिव आडीटर्स का टी० ए०

*८३--श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि कोआपरेटिव आडीटर्स के टी० ए० के कम होने के सिलसिले में सरकार ने एक चिट्ठी नं० ए० एस० टी० २९९६-१०--३२२-२-६३, दिनांक २ नवम्बर, १९६३ ई० इस मामले के विचाराधीन होने के बाबत लिखी है? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है और अगर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां, इस मामले का अन्य सरकारी आडीटरों को मिलने वाले भत्ते से घनिष्ट सम्बन्ध है और निर्णय का परिणाम केवल कोआपरेटिव आडीटरों तक ही सीमित न होगा। समुचित रूप से मामले पर विचार करने के लिए कुछ आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं जिसमें और जिसके परिणामस्वरूप निर्णय में कुछ समय लगने की सम्भावना है।

*८४--श्री हलीमुद्दीन--

क्या सरकार को ज्ञात है कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के अफसरान और को-आपरेटिव आडिट आर्गनाइजेशन के अफसरान की एक मुश्तर्का मीटिंग लखनऊ में हुई थी और ८ अगस्त, १९६२ को उन्होंने सर्वसम्मति से यह तजवीज मन्जूर करके सरकार को भेजी थी कि आडीटर्स का टी० ए० २२ ० ५० न० पै० से बढ़ा कर जो इस वक्त है ४५ रु० से ५० रुपये तक कर दिया जावे? यदि हां, तो सरकार ने इस तजवीज पर क्या अमल दरामद किया? अगर नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां। मीटिंग हुई थी। लेकिन मीटिंग में पास किया ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार को नहीं मिला।

सयाना में जनाना अस्पताल न होना

*८५--श्री मुमताज मुहम्मद खां, श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच) तथा श्री मैनेजरसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला बुलन्दहर में भोंबहादुर नगर (भवनबहादुर नगर) में जनाना अस्पताल स्थापित किया गया है और सयाना में नहीं किया गया जब कि सयाना भवनबहादुर नगर से एक बड़ी जगह है और वहां की आवश्यकता भी अधिकतम है? यदि हां, तो उसका क्या कारण है?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

भोंबहादुर नगर, जिला बुलन्दशहर, सयाना से केवल ६ मील की दूरी पर स्थित है तथा यह भी एक बड़ा कस्बा है। अतः वहां पर जनाना अस्पताल स्थापित करना अधिक समझा गया था। उक्त अस्पताल से सयाना की जनता भी लाभ उठा रही है।

सयाना में अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सहकारी चीनी मिल, बाजपुर सम्बन्धित बोनस व विवाद

*८६--श्री रियासत हुसैन--

क्या श्रम मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी, बाजपुर (नैनीताल) के श्रमिकों को बोनस बास्ते सन् १९६१-६२ विगत अक्तूबर, सन् १९६३ से अभी तक लेबर कमिश्नर कानपुर के विचाराधीन है?

श्री बनारसीदास--

जी नहीं।

*८७--श्री रियासत हुसैन--

यदि हां, तो उपरोक्त फैक्टरी को विवादास्पद वर्ष १९६१-१९६२ में स्पष्टतः लगभग ३ लाख रुपये का मुनाफा होने के बावजूद बोनस का निर्णय करने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है?

श्री बनारसीदास--

प्रश्न नहीं उठता।

*८८--श्री रियासत हुसैन--

क्या श्रम मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विगत १५ जूलाई, सन् १९६३ से मार्च, सन् १९६४ तक कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी, बाजपुर से सम्बन्धित प्रादेशिक संराधन अधिकारी द्वारा भेजे गये ऐसे कितने विवाद लेबर कमिश्नर, कानपुर के विचाराधीन हैं जो अभी तक निर्णय के लिए रेफर नहीं किये गये हैं?

श्री बनारसीदास--

केवल दो विवाद श्रमायुक्त के विचाराधीन हैं।

*८९-९०--श्री मैनेजरसिंह, श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेस सिंह--

[१२ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किये गये।]

सबार्डिनेट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज

*९१--श्री बंशीलाल, श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सबार्डिनेट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में कितने अधिकारी इस समय सेवा कर रहे हैं और कितने अधिकारियों के स्थान रिक्त हैं? रिक्त स्थान रहने का क्या कारण है तथा वही सेवायें कौन अधिकारी कर रहे हैं?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

उत्तर प्रदेशीय सबार्डिनेट पब्लिक हेल्थ सर्विस में इस समय १२ अधिकारी (९ पुर्नि-युक्त अधिकारियों सहित) कार्य कर रहे हैं। और ८९ स्थान रिक्त हैं इन स्थानों पर पब्लिक हेल्थ अधिकारी न मिलने के कारण ये स्थान रिक्त हैं तथा इन स्थानों पर कोई भी अधिकारी नियुक्त नहीं है और उनका काम सैनिटरी इन्स्पेक्टर या कम्पाउन्डर देख रहे हैं।

*९२--श्री बंशीलाल, श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह--

क्या सरकार जिस प्रकार चिकित्सा विभाग में आयुर्वेदिक तथा यूनानी स्नातकों को राजपत्रित अधिकारी बनाकर ऐसी एलोपैथिक डिस्पेंसरीज जिन में एलोपैथिक डाक्टर उपलब्ध नहीं थे सेवा करने का अवसर दिया गया है? उसी प्रकार जन-स्वास्थ्य विभाग से सबार्डिनेट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के अधिकारियों के पदों पर आयुर्वेदिक ऐण्ड यूनानी स्नातकों को सेवा करने का मौका देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

आयुर्वेदिक तथा यूनानी स्नातकों को सबार्डिनेट पब्लिक सर्विस से सेवा करने का मौका नहीं दिया जा सकता क्योंकि उन को योग्यता इस सर्विस में सेवा करने के लिए उपयुक्त नहीं है। जन-स्वास्थ्य विभाग में केवल एम० बी० बी० एस० ही होना काफी नहीं है, इसके के अतिरिक्त डी० पी० एच० या एल० पी० एच० होना भी आवश्यक है।

*९३--श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--

[१२ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किया गया।]

*९४--श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)--

[१२ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किया गया।]

जिला परिषद् कर्मचारियों को बढ़ा महंगाई भत्ता न मिलना

*९५--श्री बसन्तसिंह--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि स्वायत्तशासन (क) विभाग के जी० ओ० सं० १९१०-एन/१९-ए-६२-बी, दिनांक ३१ जूलाई, १९६२ के अनुसार जिला परिषद्, बिजनौर के कर्मचारियों को ५ रुपये मासिक महंगाई भत्ता क्यों नहीं दिया जा रहा ह ?

श्री राममूर्ति--

कथित राजाज्ञा के अधीन जिला परिषदें नहीं आती हैं तथा सरकार के सामने केवल जिला परिषद् बिजनौर का ही प्रश्न नहीं है। बल्कि प्रदेश की समस्त जिला परिषदों के सम्बन्ध मे यह प्रश्न विचाराधीन है। अलग से एक या दो परिषदों को इस प्रकार की स्वीकृति नहीं दी जा सकती।

सोरों डिस्पेंसरी का प्रान्तीयकरण

*९६--श्री बेदराम--

दिनांक १३ फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न ९ के उत्तर के क्रम में क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिला स्थित सोरों डिस्पेंसरी का प्रान्तीयकरण कब तक कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। प्रान्तीयकरण की निश्चित तिथि अभी बताना सम्भव नहीं है।

*९७-९८--श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

[१२ अगस्त, १९६४ के लिये स्थगित किया गये।]

ग्राम पंचायत, बुधौली का आडिट

*९९--श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)--

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पंचायत बुधौली, परगना भोगनीपुर, जिला कानपुर का आडिट सन् १९५८ से अब तक कब-कब हुआ और उसमें क्या-क्या अनियमिततायें पायी गईं ?

श्री राममूर्ति--

ग्राम पंचायत बुधौली, परगना भोगनीपुर, जिला कानपुर का आडिट, वर्ष १९५८-५९ का दिनांक १-५-१९६१ को, वर्ष १९५९-६० का दिनांक २-११-६२ को आडीटर द्वारा हुआ था। इसके पश्चात् उक्त गांव सभा का विशेष आडिट वर्ष १९५८-५९ से १९६२-६३ का सम्बधित आडिटर द्वारा दिनांक ८-१२-१९६३ को हुआ। आडिट की मुख्य आपत्तियों की *सूची संलग्न है।

---

†छापी नहीं गई।

*१००—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या यह सत्य है कि आडिट रिपोर्ट में शासन का ध्यान ग्राम प्रधान के द्वारा बरती गई अनियमितताओं और उनके द्वारा गबन किये गये धन की ओर आकृष्ट किया गया है ? यदि हां, तो अब तक इस ग्राम प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—

आडिट रिपोर्ट में शासन का ध्यान ग्राम प्रधान द्वारा बरती गई अनियमितताओं और उनके द्वारा किए गए गबन के सम्बन्ध में आकृष्ट नहीं किया गया। आडिट में दर्शायी गई अनियमितताओं एवं आपत्तियों का निराकरण प्रधान द्वारा कतिपय किया जा चुका है। पंचायत आडिटर द्वारा गबन नहीं दर्शाया गया है। जो आपत्तियां शेष हैं उनके सम्बन्ध में भी कार्यवाही चल रही है। किन्तु कोई ऐसी गंभीर आपत्ति नहीं है जिससे प्रधान के विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही की जाय।

*१०१—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या यह सत्य है कि इसी ग्राम प्रधान के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा ४२० के अन्तर्गत एक मुकदमा चल रहा है ? यदि हां, तो शासन इन्हें ग्राम प्रधान के पद से शीघ्र पदच्युत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

भारतीय दंड विधान की धारा ४२० के अन्तर्गत चलाए गए मुकदमे क सम्बंध में ग्राम सभा बुधौली के विरुद्ध किसी भी किस्म की कोई शिकायत पुलिस द्वारा अथवा सम्बन्धित निवासियों द्वारा जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई। अतः उन्हें प्रधान के पद से पदच्युत करने का प्रश्न ही नहीं रह जाता।

*१०२-१०४—श्री कल्पनार्थसिंह—

[१२ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किये गये।]

*१०५-१०६—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—

[३० जुलाई, १९६४ के लिये प्रश्न ८४-८५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

गंजडुडवारा क्रय-विक्रय सहकारी समिति के विरुद्ध शिकायत

*१०७—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मई, १९६४ के प्रथम सप्ताह में गंजडुंडवारा, जिला एटा की क्रय-विक्रय सहकारी समिति के विरुद्ध वहां के किसानों का शिकायती-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ संलग्न उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

जी हां।

इस शिकायती पत्र पर जांच हो रही है।

*१०८—राजेन्द्रसिंह—

क्या सहकारिता मंत्री इस प्रकार की अविलम्ब व्यवस्था करेंगे कि जिन किसानों पर जितना कर्जा चाहिये, यदि वह गल्ला देने में असमर्थ हों, तो नकद रुपया देकर भुगतान कर सकें ? यदि हां, तो इस प्रकार के आदेश कब तक सम्बन्धित अधिकारियों को भेज दिये जावेंगे ?

श्री बनारसीदास---

साधन व क्षेत्रीय सहकारी समितियों द्वारा कृषक सदस्यों को दिये गये ऋण की वसूली सम्बन्धित क्षेत्र की क्रय-विक्रय समितियों द्वारा सदस्यों की उपज को बेच कर की जाती है परन्तु साधन समितियों की नियमावली में यह भी प्राविधान है कि विशेष परिस्थितियों में सदस्यों से पूरा ऋण या उसका कुछ भाग नकदी में भी वसूल किया जा सकता है जिसका निर्णय समिति का संचालक मंडल करेगा। ऋण की नकदी अदायगी करने पर सदस्यों से तावानी सूद भी लिया जा सकता है जिसके लेने अथवा न लेने का निर्णय भी संचालक मंडल करेगा।

*१०९---श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूडी---

[१२ अगस्त, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

*११०---श्री मुमताज मुहम्मद खां, श्री प्रेमसिंह तथा श्री मैनेजरसिंह---

[१० अगस्त,१९६४ के लिए प्रश्न संख्या ६४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

विकास खण्डों के हेडक्वार्टर्स

*१११---श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह---

क्या यह सच है कि बहुत से विकास खन्डों के हेडक्वार्टर्स को शहरों और बड़े बड़े कस्बों में रक्खा गया है ? यदि हां,तो क्या सरकार ऐसे विकास खन्डों के हेडक्वार्टर्स को जो कि शहरों और बड़े बड़े कस्बों में हैं गांवों में रखने पर विचार करेगी ? ताकि उन विकास खन्डों के कर्मचारी शुद्ध ग्रामीण वातावरण में रहकर ग्राम विकास कर सकें ?

श्री राममूर्ति---

जी हां । परन्तु जहां तक ऐसे विकास खन्डों के हेडक्वार्टर्स को गांवों में रखने के प्रश्न है, यह कहना उचित होगा कि शासकीय आदेश के अनुसार प्रत्येक तहसील के समस्त विकास खन्डों में से एक विकास खन्ड का मुख्यालय, जो कि तहसील केन्द्र पर स्थित हो, तहसील के मुख्यालय पर ही सामान्यतः स्थापित किया जा रहा है । अतः जो तहसील हेडक्वार्टर्स जिले के हेडक्वार्टर्स पर हैं यह बड़े बड़े कस्बों में हैं, उनके विकास खन्ड का मुख्यालय प्रायः जिला हेडक्वार्टर्स पर या बड़े बड़े कस्बों में ही रक्खा गया है, ताकि इन विकास खन्डों में आयोजित विभिन्न विकास कार्यक्रमों के चलाने में श्रेष्ठतर समन्वय एवं व्यवस्था सुचारु रूप से हो सके। अतः इस विषय पर विचार करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है ।

*११२-११३---श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह---

[हटा दिये गये।]

*११४--- श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

[१२ अगस्त ,१९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

मीरगंज बाजार में अस्पताल न होना

*११५---श्री केशरीप्रसाद पांडेय ---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि क्या वह जिला जौनपुर में मछली शहर ब्लाक स्थित मीरगंज बाजार जिसके १० मील के रेडियस में कोई एलोपैथिक अस्पताल नहीं है, आगामी वित्तीय वर्ष में एलोपैथिक अस्पताल खोलने की योजना पर विचार कर रहे हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना ---

जी नहीं । मीरगंज बाजार जिला जौनपुर में एलोपैथिक औषधालय खोलने के प्रश्न पर सरकार विचार नहीं कर रही है ।

विकास आयुक्त कार्यालय के कर्मचारी

*११६-- श्री दौलतलाल, श्री रियासत हुसैन, श्री केशरीप्रसाद पांडेय तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ जनवरी, सन् १९६४ को विकास आयुक्त कार्यालय में कितने चपरासी, चौकीदार, क्लीनर काम कर रहे थे तथा उपरोक्त कौन-कौन से चपरासी किस-किस अधिकारी और अनुभाग में कार्य कर रहे थे ?

श्री राममूर्ति--

३१ जनवरी, १९६४ को १ जमादार, ५४ चपरासी, ३ चौकीदार और १ क्लीनर इस कार्यालय में कार्य कर रहे थे इसका ब्योरा संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १८७-१८८ पर।)

*११७-श्री दौलतलाल, श्री रियासत हुसैन, श्री केशरीप्रसाद पांडेय तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास आयुक्त कार्यालय में जनवरी, सन् १९६३ से दिनांक ३१ मई ,१९६४ तक कितने सहायकों के प्रार्थना पत्र दूसरे विभागों में नियुक्ति के लिये भेजे गये और कितनों के प्रार्थना-पत्र रोक लिये गये ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से व्यक्ति थे उनके प्रार्थना-पत्र के रोके जाने का क्या कारण था ? क्या मंत्री जी इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति--

जनवरी, १९६४ से ३१ मई, १९६४ की अवधि में २३ सहायकों के प्रार्थना-पत्र भेजे गये और निम्न ४ कर्मचारियों सर्वश्री बृजलाल गुप्ता, शिवदेवप्रसाद, जगदीशप्रसाद गुप्ता एवं कृष्णमुरारीलाल जौहरी के प्रार्थना-पत्र रोके गये। ये कर्मचारी स्थायी थे और इनके प्रार्थना-पत्रों को भेजना जनहित एवं कार्य हित में नहीं समझा गया।

*११८--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

[१२ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किया गया।]

*११९-१२०--श्री हरीशकुमार गंगवार--

[१२ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किये गये।]

*१२१--श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)--

[१२ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किया गया।]

*१२२-१२३--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

[१२ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किये गये।]

*१२४--श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी--

[३० जुलाई, १९६४ के लिए प्रश्न संख्या १९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१२५-१२६--श्री उग्रसेन--

[१२ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किये गये।]

*१२७-१२९--श्री रामसुन्दर पांडेय--

[१२ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किये गये।]

रामपुर-मथुरा अस्पताल में औषधियों की कमी

*१३०--श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला सीतापुर के रामपुर-मथुरा अस्पताल में दो महीने से दवाइयां बिल्कुल नहीं हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

गत वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीनों में दवाइयों की थोड़ी कमी महसूस हुई थी जिस पर तुरन्त कार्यवाही की गई । ऐसा नहीं था कि वहां दवाइयां बिल्कुल न हों ।

*१३१--श्री शिवेन्द्रप्रताप--

क्या D. M. O. H. को पिछले दो महीने में और स्वास्थ्य मंत्री को जून के प्रथम सप्ताह में महमूदाबाद क्षेत्र के सदस्य विधान सभा का कोई पत्र इस सम्बन्ध में मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

हां । जिला स्वास्थ्य अधिकारी, सीतापुर को १६-२-६४ का पत्र और स्वास्थ्य मंत्री को २ जून, १९६४ का पत्र इस विषय में प्राप्त हुआ था जिस पर तुरन्त उचित कार्यवाही करते हुये रामपुर-मथुरा अस्पताल के लिये आवश्यक औषधियां भेज दी गई थीं ।

*१३२-१३३--श्री बेदराम--

[१२ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किया गया ।]

जन-शक्ति उपयोग योजनान्तर्गत व्यय

*१३४--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जन-शक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत कुल कितना रुपया वर्ष अप्रैल, १९६३ से मार्च, १९६४ तक खर्च होना चाहिये था और कुल कितना खर्च हुआ ?

श्री राममूर्ति--

ग्रामीण जन-शक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष १९६३-६४ में (अप्रैल, ६३ से मार्च ६४ तक) कुल १२५ लाख रुपया का प्राविधान था तथा इस योजना पर इस अवधि में लगभग ८० लाख रुपया खर्च हुआ ।

अतारांकित प्रश्न

रधौली ग्राम में कूप के लिये ऋण

१--श्री कैलाश (जिला देवरिया) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या विकास मंत्री दिनांक ५ फरवरी, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितने रुपये की तकावी किन-किन वस्तुओं के रूप में प्रार्थी को दी गयी थी ?

श्री राममूर्ति--

कुल ३०० रु० की तकावी कूप निर्माण हेतु श्री डोमा को स्वीकृत कर उनके नाम से डाकखाने में जमा की गई । श्री डोमा को २४० रु० के मूल्य की ईंटें प्राप्त हुईं । १० बोरी सीमेंट की परमिट भी उन्हें मिली थी पर सीमेन्ट उपलब्ध न हो सका ।

२--श्री कैलाश तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष, १९५५-५६ में कुआं निर्माण कराने हेतु दिये जाने वाले अनुदान एवं ऋणों के लिये जारी किये आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति--

निम्नलिखित आदेशों की †प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई हैं:

(१) राजाज्ञा सं० ई-३६/पैंतीस-१२८/५५ दिनांक १५ सितम्बर, १९५५ ।

(२) विकास आयुक्त का परिपत्र संख्या १९९८/एम० डब्लू/ए० ई०/चार-१ दिनांक २१-१२-५५ ।

(३) विकास आयुक्त का पत्र सं० १२६२/एम० आई० दिनांक ११ मार्च, १९५८ ।

३--श्री कैलाश तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुआं बनाने हेतु ६० रुपया की सीमेन्ट नहीं दी गयी और रुपया पूरा वसूल किया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति--

श्री डोमा को ६० रु० का सीमेन्ट उपलब्ध नहीं हो सका अतः उनसे यह रुपया वसूल नहीं किया जा रहा है ।

नूरपुर विकास क्षेत्र में सीमेन्ट की कमी

४--श्री श्रीराम--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बिजनौर के विकास क्षेत्र नूरपुर में चकबन्दी हो जाने के बाद कृषकों के चकों पर कितने रहट के कूप खोदे हुये पड़े हैं ? क्या यह बात सत्य है कि सीमेंट न मिलने के कारण कूप बनने में रुके पड़े हैं ?

श्री राममूर्ति--

जिला बिजनौर के विकास क्षेत्र नूरपुर में कृषकों के चकों पर ४३१ रहट के कुयें अपूर्ण पड़े हैं। यह सत्य है कि ये कुयें सीमेंट की कमी के कारण ही अधूरे पड़े हैं ।

५--श्री श्रीराम--

क्या यह सच है कि इन कूपों को कृषक बगैर तकावी लिये अपने धन से बनाना चाहते हैं और इसी कारण उन्हें सीमेंट नहीं दिया जाता है ?

श्री राममूर्ति--

जी नहीं । ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि केवल तकावी लेने वाले को ही सीमेंट मिलेगा ।

विकास खंड बेरुआर बारी से वितरित धन

६--श्री उमाशंकर तथा श्री राजनारायणसिंह (जिला वाराणसी)--

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बलिया के अन्तर्गत विकास खंड बेरुआर बारी से सिंचाई योजना के अन्तर्गत ग्राम हरिपुर के कितने लोगों ने (नाम सहित) पम्पिंग सेट के लिये सन् १९५८-५९ और १९५९-६० में सरकारी सहायता लिया है और कितनी-कितनी ?

---

†छापी नहीं गई ।

श्री रामनूर्ति--

सन् १९५८-५९ एवं १९५९-६० में इस गांव के किसी भी व्यक्ति को विकास खंड से पाम्पिंग सेट के लिये रुपया नहीं दिया गया ।

७--श्री उमाशंकर तथा श्री राजनारायण सिंह--

क्या यह सही है कि उक्त धनराशि का प्रयोग सही नहीं हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने उनसे उक्त पैसा अभी तक क्यों नहीं वसूल किया ?

श्री रामनूर्ति--

प्रश्न ही नहीं उठता ।

८--श्री उमाशंकर तथा श्री राजनारायणसिंह--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विकास खंड तथा उक्त ग्राम के लोगों ने विकास के अन्य मदों में कितना-कितना रुपया अलग-अलग रूप में लिया है और उसका उपयोग किया है ?

श्री रामनूर्ति--

विकास खंड के धन से उक्त खंड के लोगों को १० पाम्पिंग सेटों के लिये १६,७६० रु० दिया गया । इसके अतिरिक्त सिंचाई के अन्य मदों में अलग-अलग १२९ व्यक्तियों को पक्का कूप निर्माण के लिये, ७१,९०५ रु०, ४९ व्यक्तियों को कूप मरम्मत के लिये १३,१७५ रुपया, ६५ व्यक्तियों को रहट के लिये २०,७८५ रुपया, ३२ व्यक्तियों को बोरिंग के लिये १३,३७५ रुपया दिया गया जिनमें ३३ व्यक्तियों द्वारा कूप निर्माण, ९ व्यक्तियों द्वारा कूप मरम्मत, ९ व्यक्तियों द्वारा रहट और ५ व्यक्तियों द्वारा बोरिंग में उपयोग किया गया है । तथा हरिपुर ग्राम के एक व्यक्ति को पाम्पिंग सेट के लिये १,९०० रुपये के अतिरिक्त सिंचाई के अन्य मदों में, ६ व्यक्तियों को पक्का कूप निर्माण हेतु २,९०० रुपया, ५ व्यक्तियों को कूप मरम्मत हेतु १,७०० रुपया, १ व्यक्ति को रहट के लिये ४०० रुपया और १ व्यक्ति को बोरिंग के लिये ४०० रुपया दिया गया । इनमें से ५ व्यक्तियों में पक्का कूप निर्माण, ४ व्यक्तियों ने कूप मरम्मत और १ व्यक्ति ने रहट में अब तक उपयोग किया है ।

आजमगढ़ हेल्थ आफिस बिल्डिंग का किराया

९--श्री शिवनाथसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ हेल्थ आफिस की बिल्डिंग को कितना किराया सरकार भुगतान करती है और उसमें रहने वाले स्वास्थ्य विभाग के हेड क्लर्क से कितना रुपया प्राप्त करती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

आजमगढ़ हेल्थ आफिस की बिल्डिंग का मासिक किराया जिसका सरकार भुगतान करती है, ११० रु० प्रति मास है । सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त भवन का किराया अब निर्धारित हो पाया है । उसके एक भाग में पहले रहने वाले हेड क्लर्क से, जिनका अन्यत्र तबादला हो गया है, समुचित किराये की वसूली का प्रबन्ध किया जा रहा है । भवन से संलग्न बाथरूम का, जिसमें वर्तमान हेड क्लर्क कुछ समय के लिये रहे, समर्थ अधिकारियों ने कोई भी किराया निर्धारित नहीं किया ।

१०--श्री शिवनाथसिंह--

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि सरकार ने आजमगढ़ हेल्थ आफिस के कितने क्लर्कों को क्वार्टरों की सुविधा प्रदान की है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

सरकार ने आजमगढ़ हेल्थ आफिस के क्लर्कों को क्वार्टर की सुविधा नहीं प्रदान की है।

दहगवां ग्राम में खड़ंजा लगाना

११--श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह सत्य है कि वर्ष १९५९--६० तथा १९६०-६१ में ग्राम दहगवां, तहसील सहसवान, जिला बदायूं में जमुनाप्रसाद पंचायत मंत्री द्वारा कोई चंदा ६९३ रु० १२ न० पै० जनता द्वारा ग्राम में श्री श्यामलाल के मकान से होली के स्थान तक खड़ंजा लगाने के लिये वसूल किया गया था ?

श्री राममूर्ति--

जी नहीं ।

१२--श्री उल्फतसिंह यादव--

यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त धन जिन-जिन लोगों से वसूल किया है क्या उन्हें कोई रसीद दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--

यह प्रश्न ही नहीं उठता है ।

१३--श्री उल्फतसिंह यादव--

क्या यह सत्य है कि ग्राम समाज द्वारा १९५९--६० में कोई योजना यह बनी थी कि ग्राम दहगवां में श्री उल्फतसिंह जी के मकान से श्री शहजार तेली के मकान तक खड़ंजा लगाया जाय, परन्तु बाद में उसमें बदल करके यह तय किया गया कि खड़ंजा वहां न लगा कर श्यामलाल के मकान से लेकर होली तक लगाया जाय ? यदि हां, तो परिवर्तन का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति--

इस संबंध में ग्राम समाज द्वारा श्री उल्फतसिंह जी के मकान से श्री शहजार तेली के मकान तक खड़ंजा लगाने की योजना बनाने का प्रस्ताव पास किया था । किन्तु कार्य निर्धारित समय में पूर्ण न होने के कारण ग्राम सभा ने इस योजना को छोड़कर श्री श्यामलाल के मकान से लेकर होली तक खड़ंजा निर्माण की योजना का प्रस्ताव पास किया । उक्त मूल योजना में परिवर्तन का कारण उसका निर्धारित समय में पूर्ण न होना है ।

इरादतपुर गांव सभा

१४--श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव इरादतपुर उर्फ राजनपुर, ब्लाक बिसरख की अलग ग्राम सभा बनाने का विचार सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति--

जी हां । जिला बुलन्दशहर की तहसील सिकन्दराबाद ब्लाक बिसरख के गांव इरादतपुर उर्फ राजनपुर में अलग-अलग गांव सभा बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

प्रतापगढ़ जिले में गोशालायें

१५--श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला प्रतापगढ़ के ढिंगवस व सांगीपुर स्थानों में सन् १९५२ से लेकर फरवरी, १९६४ तक क्या जिला नियोजन विभाग ने गोशालायें बनाई हैं ? यदि हां, तो किस नम्बर की भूमि में तथा उनमें अब कितनी-कितनी गौवें अलग-अलग रहती हैं ?

श्री राममूर्ति--

जी हां । सन् १९५२ से लेकर सन् १९६४ तक नियोजन विभाग द्वारा ढिंगवस में एक तथा सांगीपुर में एक गौशाला बनी । ढिंगवस गौशाला भूमि नं० ७०२ ग्राम सभा कल्यानपुर में बनी है और सांगीपुर गौशाला भूमि नं० ३२८ ग्राम सभा बूबूपुर में बनी है । दोनों में अब गायें नहीं रह गई हैं ।

१६--श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)--

[३१ जुलाई, १९६४ के लिये प्रश्न संख्या २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बुलन्दशहर जिले के लिए डिस्पेंसरीज

१७-- श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या सरकार टाउन एरिया बुगरासी, ग्राम बैराफी रोजपुर तथा ग्राम महमूदपुर परवाना (जिला बुलन्दशहर) में आयुर्वेदिक या यूनानी डिस्पेन्सरीज स्थापित करने की व्यवस्था शीघ्र से शीघ्र करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

इन स्थानों पर औषधालय स्थापित करने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ है । अतएव औषधालय खोलने अथवा न खोलने का कोई प्रश्न अभी नहीं उठता । तथापि उपर्युक्त स्थानों पर औषधालय स्थापित करने के औचित्य पर आवश्यक जांच कराई जा रही है ।

नन्दपुर ग्राम से पुलिया बनाने के लिये प्रार्थना

१८--श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा के अन्तर्गत ग्राम नन्दपुर मो० उमरी, पो० ओ० दिवियापुर से एक प्रार्थना-पत्र ब्लाक भाग्यनगर के बी० डी० ओ० को इस आशय का दिया गया था कि गांव के पास बम्बे पर पुलिया बनवा कर १ मील पटरी पर दिवियापुर तक बैलगाड़ी चलाने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

श्री राममूर्ति--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

१९--श्री रतीपाल--

यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

२०-२१--श्री रतीपाल--

[३१ जुलाई, १९६४ के लिये प्रश्न संख्या ५७-५८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

२२-२४--श्री रामसुन्दर पांडेय--

[१२ अगस्त, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

२५--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

[१२ अगस्त, १९६४ के लिये स्थगित किया गया ।]

२६--२८--श्री रियासत हुसैन--

[३ रे बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

वृद्धावस्था पेंशन

२९--श्री मुमताज मुहम्मद खां, श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर) तथा श्री प्रेमसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुड्ढे लोगों को पेन्शन किस-किस आधार पर दी जाती है और उसके लिये प्रार्थना करने का क्या कायदा है ?

श्री बनारसीदास--

सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १८९ पर)

हरिजन सब-रजिस्ट्रार

३०--श्री द्विजेन्द्र नारायण--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय यू० पी० के हर जिले में कितने-कितने सब-रजिस्ट्रार हैं और उनमें से कितने हर जिले में हरिजन हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

वांछित सूचना संलग्न सूची में उपलब्ध है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १९०-१९१ पर)

३१-३२--श्री योगेश्वरप्रसाद खंडड़ी--

[पहले बुधवार के लिये प्रश्न १०९ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये ।]

३३-३५--श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह--

[१२ अगस्त, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

३६--३७--श्री नाथूराम शिक्षक--

[१२ अगस्त, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

३८--श्री रामशरणशाह (जिला लखीमपुर खीरी)--

[३ अगस्त, १९६४ के लिये प्रश्न ५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

३९--श्री मैनेजरसिंह, श्री मुमताज मोहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह--

[६ अगस्त, १९६४ के लिये प्रश्न संख्या २८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

४०-४१--श्री उमाशंकर--

[३० जुलाई, १९६४ के लिये प्रश्न ५४-५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

४२-४३--श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

[१२ अगस्त, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

गांव सभा, सुन्दरयार के प्रधान के विरुद्ध शिकायत

४४—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया, ब्लाक बनकटा के अन्तर्गत गांव सभा सुन्दरयार के प्रधान के विरुद्ध गांव सभा के पंचों ने दिनांक २३ अप्रैल, १९६४ को जिला पंचायत पदाधिकारी और पंचायत निरीक्षक बनकटा के यहां आरोप-पत्र प्रेषित किया था ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—

जी हां । उक्त शिकायती पत्र को सहायक जिला पंचायत अधिकारी द्वारा पंचायत निरीक्षक को जांच करके रिपोर्ट देने के लिये कहा गया । पंचायत निरीक्षक के मौके पर जाने पर प्रधान ने उनसे झगड़ा किया और कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया । अभिलेख लेने के सम्बन्ध में सहायक पंचायत अधिकारी द्वारा प्रयास किया गया अन्त में उनको बड़ी मुश्किल से गांव सभा के अभिलेख प्राप्त हुये । उक्त अभिलेखों तथा जांच के फलस्वरूप प्रधान से सहायक जिला पंचायत अधिकारी द्वारा कुछ बातों पर स्पष्टीकरण मांगा गया परन्तु प्रधान ने अपना कोई स्पष्टीकरण न दिया । तब सहायक जिला पंचायत अधिकारी ने सारे कागजात परगनाधीश के पास उचित कार्यवाही हेतु भेज दिये । परगनाधीश ने अपने आदेश दिनांक १४-७-६४ द्वारा उक्त प्रधान को निलम्बित कर दिया है ।

४५—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ग्राम सभा के प्रधान को पंचायत भवन बनाने तथा खड़ंजा लगाने हेतु कितना रुपया कब-कब दिया गया तथा कौन-कौन-सा सामान कब दिया गया और प्रधान के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित होने के बाद कितना रुपया दिया गया ? क्या उसकी पूरी कार्यवाही ब्योरा सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

प्रधान को पंचायत भवन तथा खड़ंजा लगाने हेतु जो धन तथा सामान दिया गया उसका विवरण निम्नलिखित है —

कार्य का नाम	धन रु०	दिनांक जब धन-राशि दी गई
१—पंचायत घर निर्माण	१,०००	२६-१२-१९६०
२—पंचायत घर निर्माण	४००	३०-३-१९६३
३—खड़ंजा निर्माण	५००	२६-१२-१९६०
४—खड़ंजा निर्माण	१००	३०-३-१९६३

सामान के रूप में ७० बोरी सीमेन्ट दी गई ।

प्रधान के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक २३ अप्रैल, १९६२ के मिलने के बाद ४०० रु० पंचायत भवन हेतु, १०० रु० खड़ंजा निर्माण हेतु तथा ७२ रु० जन-स्वास्थ्य एवं यातायात मद का कुल ५७२ रु० क्रमशः दिनांक ३० मार्च, १९६३ और १४ मार्च, १९६४ को दिया गया है ।

४६—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत सुन्दरयार, ब्लाक बनकटा, जिला देवरिया में कितने घोषित पंच हैं और उनके क्या नाम हैं ? क्या यह सही है कि सुन्दर के प्रधान ने दो घोषित पंचों को निकाल कर दो अन्य पंचों को रख लिया है जिससे आज तक की गांव सभा सुन्दरयार की की गई कार्यवाही अवैध हो गई है ? अगर हां, तो उस पर आज तक कौन-सी कार्यवाही की गई है ?

श्री राममूर्ति---

गांव पंचायत सुन्दरयार में २० घोषित सदस्य हैं । उन के नामों की सूची संलग्न हैं ।

यह सही है कि प्रधान दो घोषित सदस्यों के बजाय अन्य दो व्यक्तियों को गांव पंचायत की बैठक में बुलाते रहे हैं । जहां तक गांव सभा की कार्यवाही की अवैधता का प्रश्न है शासन द्वारा उस पर जांच करके विचार किया जायेगा कि किस सीमा तक कार्यवाहियां अवैध हुईं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १९२ पर)

गोरखपुर की स्कूल डिस्पेंसरी में डाक्टर न होना

४७---श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर शहर के स्कूल डिस्पेन्सरी में डाक्टर कितने दिनों से नहीं है तथा उसकी कब तक नियुक्ति की जायगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

गोरखपुर की स्कूल डिस्पेन्सरी में २१ नवम्बर, १९६१ से डाक्टर नहीं है, जैसे ही डाक्टर उपलब्ध होंगे उनकी नियुक्ति की जायेगी ।

गोरखपुर जिले के बाढ़ क्षेत्र में हैण्ड पाइप

४८---श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६३ साल में गोरखपुर जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कुल कितने हैंड पाइप अलग-अलग ब्लाकों में लगाये गये ?

श्री राममूर्ति---

वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १९३ पर)

४९---श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या विकास मंत्री यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त पाइप किस दूकान से लिया गया तथा उस सम्बन्ध में जो टेन्डर मांगे गये उनमें किन-किन व्यक्तियों तथा फर्मों ने टेन्डर दिया और उनमें Lowest Tender किस का था ? क्या वह फर्म जिसनें माल सप्लाई किया गवर्नमेंट से अप्रूव्ड या रजिस्टर्ड है या इस के पहले इस फर्म ने कभी और भी माल सप्लाई किया है ? यदि नहीं, तो उपरोक्त फर्म से माल लेने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति---

उपरोक्त पाइप मेसर्स कृष्णा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट एण्ड को० मियां बाजार, गोरखपुर से लिया गया । इस सम्बन्ध में कृष्णा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट एण्ड को० मिया बाजार, गोरखपुर, कृष्णा ट्रेडिंग कारपोरेशन, दिलेवाक पुर गोरखपुर तथा मेसर्स ब्रदर्स आर्य नगर गोरखपुर से कोटेशन प्राप्त हुये थे, जिसमें सबसे कम दर कृष्णा एग्रीकल्चरल एण्ड इम्प्लीमेण्ट एण्ड को० की थी । यह फर्म न तो गवर्नमेन्ट से अप्रूव्ड है और न अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है । गोरखपुर में कोई अप्रूव्ड फर्म नहीं है । चूंकि कृष्णा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेन्ट एण्ड को० का कोटेशन सबसे कम था अतः उसी फर्म द्वारा यह कार्य कराया गया ।

नवाबगंज शुगर मिल्स में श्रमिकों का भुगतान

५०—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले के नवाबगंज शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध ३२ क्लर्कों का ६ वर्ष के Retaining Allowance का भी फैसला Adjudication case no. 54/61 Industrial Tribunal IIIrd Allahabad के यहां से मजदूरों के पक्ष में हुआ तथा Supreme Court ने भी १९ दिसम्बर, १९६३ को फैसला मजदूरों के पक्ष में किया? यदि हां, तो उसकी अदायगी मालिकों द्वारा न करने का क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास—

जी हां । सेवा योजकों ने २३ श्रमिकों को ५०० रु० हर एक को अग्रिम धन के रूप में दे दिया है शेष ९ श्रमिकों को कोई भुगतान नहीं हुआ है । श्रमिकों के यूनियनों को १०० रु० कास्ट (cost) भी दे दिया गया है । इस प्रकार से उक्त फैसला से सेवायोजकों द्वारा अंशतः कार्यान्वित कर लिया गया है ।

५१—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या श्रम मंत्री बतायेंगे कि इस फैसले को लागू कराने हेतु अभी तक श्रम विभाग ने कौन-कौन से कदम उठाये हैं ?

श्री बनारसीदास—

सेवायोजकों को सूचित किया जा चुका है कि यदि ३२ श्रमिकों को पूरा पैसा एक माह के भीतर न दिया गया तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी । दूसरी ओर यूनियन को भी सूचित किया जा चुका है कि वह श्रमिकों को सलाह दें कि वह धन वसूली बतौर लगान के प्रार्थना-पत्र धारा ६ (एच) यू० पी० इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९५७ के अन्तर्गत प्रस्तुत करें ।

वैद्यों एवं हकीमों का रजिस्ट्रेशन

५२—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रांत में हकीमों तथा वैद्यों का रजिस्ट्रेशन इन दिनों किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि रजिस्ट्रेशन फार्म्स दस-दस रुपये में बेचे जा रहे हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

प्रदेश में यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९, के लागू होने की तिथि से ही बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन के रजिस्ट्रार कथित ऐक्ट की धारा २६ के अन्तर्गत वैद्यों एवं हकीमों का रजिस्ट्रेशन अब तक बराबर कर रहे हैं । यह सत्य नहीं है कि रजिस्ट्रेशन फार्म्स बेचे जा रहे हैं ।

५३—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० बोर्ड आफ मेडिसिन की प्रांतीय शाखा ने सहारनपुर में भारत टिबिया कालेज के नाम की बोगस संस्था के कथित संस्थापक के पास भी कोई ऊपर कहे फार्म बेचने हेतु भेजे हैं और क्या वहां फार्मों का ब्लैक हो रहा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं । सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

५४–५५—श्री राजेन्द्रसिंह—

[१२ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किये गये ।]

५६–५८—श्री रियासत हुसैन—

[हटा दिये गये ।]

५९–६०—श्री रक्षपालसिंह—

[१२ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किये गये ।]

बाराबंकी में कोर्ट स्टाम्प का अभाव

६१—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बाराबंकी में छोटे मूल्य के कोर्ट स्टाम्प का अभाव है ? यदि हां, तो कब से और इस अभाव को दूर करने के लिये क्या उपाय किया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिला बाराबंकी में छोटे मूल्य के कोर्ट फीस स्टाम्पों का अभाव अप्रैल, १९६४ में हुआ । कंट्रोलर आफ स्टाम्प्स से यह स्टाम्प मंगाये गये और अब इनका कोई अभाव नहीं है ।

६२—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि छोटे मूल्य के स्थान पर अधिक मूल्य के कोर्ट फीस स्टाम्प लगाने से सरकार को कितनी अतिरिक्त आय हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस संबंध में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

६३–६४—श्री शिवेन्द्रप्रताप—

[हटा दिये गये ।]

६५—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

[१२ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किया गया ।]

६६—श्री रामकिशोर वर्मा—

[१२ अगस्त, १९६४ के लिये स्थगित किया गया ।]

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (गांव सभाओं की आय तथा व्यय का अभिभाजन) नियमावली, १९६४*

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या २८८८–बी०/३३–१३–आर–६१, दिनांक ८ अप्रैल, १९६४ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (गांव सभाओं की आय तथा व्यय का अभिभाजन) नियमावली, १९६४ को, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

---

*छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (अतिरिक्त सदस्यों का अनुमेलन) नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन†

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (अतिरिक्त सदस्यों का अनुमेलन) नियमावली, १९६२ में पंचायती राज (२) विभाग की विज्ञप्ति संख्या २२२८-बी०/३३-१३-ए०(८)-६३, दिनांक ३० मार्च, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन†

रसद मन्त्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) नियमावली, १९६२ में, परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या १०९४/३०-ए-२९-बी-६३, दिनांक १९ मई, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ की धारा ३० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (कार्यालयों का स्थान) नियमावली, १९६४*

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४५८०-बी/३३—६४-आर-६२, दिनांक ६ जून, १९६४ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (कार्यालयों का स्थान) नियमावली, १९६४ को, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

राष्ट्रीय बचत राज्य परामर्शदात्री परिषद् के अध्यक्ष एवं सदस्यों को देय यात्रिक भत्ता, दैनिक भत्ता एवं वाहन भत्ता संबंधी शासकीय आज्ञा*

वित्त उपमन्त्री (श्री जयराम वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से राष्ट्रीय बचत राज्य परामर्शदात्री परिषद् के अध्यक्ष एवं सदस्यों को देय यात्रिक भत्ता, दैनिक भत्ता, एवं वाहन भत्ता सम्बन्धी वित्त (ख) विभाग (राष्ट्रीय बचत) के शासकीय आज्ञा संख्या बी० एन० एल० २७५/१०—११३-६०, दिनांक १२ जनवरी, १९६१ को, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल अनर्हता निवारण अधिनियम, १९५२ की धारा २ की उपधारा (२) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इन सब को पढ़ा हुआ मान लिया जाय और एजेन्डे में २४ नम्बर से कार्यवाही करना आप शुरू कर दें तो इस से समय की बचत हो जायगी। ये सब औपचारिक विषय हैं।

---

†छापे नहीं गये।
*छापी नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, तो नं० ७ से नं० १९ तक विधिवत् मेज पर रखा हुआ समझा जाय।

ये सब विधिवत मेज पर रखे गये।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में प्रख्यापित संशोधन*

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में, राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या यू० ओ० ५६६/१—क—३८३—डी—६१, दिनांक २४ फरवरी, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशाधनों को, जो उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ८६ की उपधारा (६) के अनुसार दिनांक २८ मार्च, १९६४ को सदन की मेज पर रखे गये थे और जिनके सदन की मेज पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूर्ण नहीं हुई है उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, के नियम १७२(२) के अनुसार।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण नियमावली, १९६१ में प्रख्यापित संशोधन*

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण नियमावली, १९६१ में राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ८३४/१-क—५३१—टी—६३, दिनांक २४ फरवरी, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशाधनों को, जो दिनांक २८ माच, १९६४ को सदन की मेज पर रखे गये थे और जिन के सदन की मेज पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश विधानस सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, के नियम १७२(२) के अनुसार।

महापालिका तथा उसकी समितियों के अधिवेशनों के आयोजन एवं ऐसे अधिवेशनों में सम्पादित किए जाने वाले कार्यों का विनियमन करने वाली नियमावली में प्रख्यापित संशोधन*

महापालिका तथा उस की समितियों के अधिवेशनों के आयोजन का तथा ऐसे अधिवेशनों में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विनियमन करने वाली नियमावली में, नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४५—म—शु—प (१)/११—ग—१९—कार्प—५९, दिनांक ३ फरवरी, १९६४ के अधीन प्रख्यापित शुद्धि पत्र को, जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका, अधिनियम, १९५६ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार दिनांक १३ अप्रैल, १९६४ को सदन की मेज पर रखे गये थे और जिनके सदन की मेज पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, के नियम १७२ के अनुसार।

भारतीय वन उत्तर प्रदेश नियमावली, १९६४†

वन (क) विभाग की विज्ञप्ति संख्या १७५७/१४—क—५१९—६०, दिनांक २३ मार्च, १९६४ के अधीन प्रख्यापित भारतीय वन उत्तर प्रदेश नियमावली, १९६४ को, जो इंडियन

---

*छापे नहीं गये।

†छापी नहीं गयी।

[श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार सदन की मेज पर रखे हुए माने गये।]

फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ की धारा ३८–एम० की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक १४ अप्रैल, १९६४ को सदन की मेज पर रखी गयी थी और जिसके सदन की मेज पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सत्र के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई है उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १७२(२) के अनुसार।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन*

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम–बी–आर–ए–एम–५७––१६७–टी–एम/३०, दिनांक ३१ मार्च, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, जो दिनांक ४ मई, १९६४ को सदन की मेज पर रखे गये थे और जिनके सदन की मेज पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १७२(२) के अन्तर्गत।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियम, १९५४ में प्रख्यापित संशोधन*

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियम, १९५४ में राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४३७–सी० एच०/१–ङ––२५६–६१, दिनांक २५ मार्च, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा ५४ की उपधारा (५) के अनुसार।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अधीन प्रख्यापित आदेश*

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ६५ द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में राज्यपाल द्वारा जारी किये गये तथा राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या १९२४/१–क––२३५७–५९, दिनांक १६ जून, १९६४ के अधीन प्रख्यापित आदेश को उक्त अधिनियम की धारा ६६ के अनुसार।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर की १९६२–६३ की कार्यवाही का प्रतिवेदन†

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर की सन् १९६२–६३ की कार्यवाही के प्रतिवेदन को, स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशन ऐक्ट, १९५१ की धारा ३७ की उपधारा (७) तथा धारा ३८ की उपधारा (३) के अनुसार ।

वित्त विभाग की विज्ञप्ति में प्रख्यापित संशोधन*

वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस–टी––१३६३/१०––१०४५(१९)–६०, दिनांक ५ अप्रैल, १९६१ में, उक्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस–टी–३९३०/१०––१०४५(१९)–६०, दिनांक १८ जुलाई, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३ (क) की उपधारा (३) के अनुसार।

---

*छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, १९६४

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १९४–१९५ पर)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का १९६०–६१ का वार्षिक प्रतिवेदन*

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद ३२३ के खंड (२) के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १९६०–६१ के वार्षिक प्रतिवेदन उसके ज्ञापन सहित।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४ में किए गये शाब्दिक संशोधन

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६२ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४ में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १९६ पर)।

उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक विधेयक, १९६४ में किए गये शाब्दिक संशोधन

विधान सभा, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६२ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक विधेयक, १९६४ में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ १९७ पर)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६४

सहायक सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६४ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २८ मार्च, १९६४ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ३१ मार्च, १९६४ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २२ जून, १९६४ को प्राप्त हो गयी है, और वह सन् १९६४ का उत्तर प्रदेश का १३वां अधिनियम बन गया।

---

*छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६४

सहायक सचिव, विधान सभा---

मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६४ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ६ मई, १९६४ की बैठक में पारित किया था, और जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था तथा जो विधान परिषद् के बिना किसी सिफारिश के ८ मई, १९६४ को वापस प्राप्त हो गया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २३ जून, १९६४ को प्राप्त हो गयी, है और वह सन् १९६४ का उत्तर प्रदेश का १४वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४

सहायक सचिव, विधान सभा---

मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ५ मई, १९६४ की बैठक में पारित किया था, और जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था तथा जो विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के ८ मई, १९६४ को वापस हो गया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २ जुलाई, १९६४ को प्राप्त हो गयी है, और वह १९६४ का उत्तर प्रदेश का १५वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक विधेयक, १९६४

सहायक सचिव, विधान सभा---

मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक विधेयक, १९६४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १३ अप्रैल, १९६४ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ६ मई, १९६४ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति ९ जुलाई, १९६४ को प्राप्त हो गयी है, और वह १९६४ का उत्तर प्रदेश का १६वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश लाभ पद विषयक संयुक्त समिति का प्रथम प्रतिवेदन*

श्री रामरूपसिंह (जिला पीलीभीत)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश लाभ पद बिषयक संयुक्त समिति का प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं :---

इस प्रतिवेदन में समिति ने इस प्रदेश की अनर्हता निवारण सम्बन्धी १० अधिनियमों की जांच करके यह सिफारिश की है कि इस सम्बन्ध में एक विशद विधेयक लाया जाय जिसकी अनुसूचियों में उन विभिन्न मदों के नाम दिये हों जिनसे अनर्हता उत्पन्न होती है और जिनकी अनर्हता का निवारण किया गया है । इस के अतिरिक्त समिति ने ६४ प्रकार के पदों की जांच की। इनमें से १२ प्रकार के पद ऐसे पाये गये जो संविधान के अनुच्छेद १९१(१)(क) के अन्तर्गत लाने के पद नहीं हैं। ५० प्रकार के पद ऐसे हैं जो उक्त अनुच्छेद के अन्तर्गत लाभ के पद तो हैं, किन्तु उनकी अनर्हता का निवारण करना या जारी रखना वांछनीय है। समिति ने अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग कमीशन के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र समिति के अध्यक्ष के पद तथा स्टेट ट्रांस्पोर्ट अथारिटी तथा रीजनल ट्रांस्पोर्ट अथारिटी की सदस्यता से उत्पन्न अनर्हता का निवारण करना वांछनीय नहीं समझा है।

---

*छापा नहीं गया ।

इस प्रतिवेदन के आलेखन का भार समिति के निवेदन पर कुंवर श्री महाबीरसिंह ने अपने ऊपर लिया था और उस का आलेख अत्यन्त योग्यतापूर्वक तैयार कराया। इसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। इसके अतिरिक्त मैं श्री कौशलपाल गुप्त, सचिव, विधान मण्डल, श्री देवकी नन्दन मित्थल, सचिव, विधान सभा, तथा श्री कैलाशनाथ गोयल उपविधि परामर्शी का भी आभारी हूं जिन्होंने अपनी मूल्यवान सम्मतियों से समिति को लाभान्वित किया।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ पर नियुक्त प्रवर समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव

कृषि उपमन्त्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)---

अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी विधेयक, १९६३ पर नियुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि १५ दिन और बढ़ा दी जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी विधेयक, १९६३ पर नियुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि १५ दिन और बढ़ा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ पर नियुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन†

कृषि उपमन्त्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)---

अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी विधेयक, १९६३ पर नियुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री मोहनलाल वर्मा को कारावास के दंड के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---

मुझे इस आदरणीय सदन को सूचना देनी है कि जिलाधीश हरदोई से मुझे यह सूचना मिली है कि श्री मोहन लाल वर्मा, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, ऐडीशनल सेशन जज, हरदोई द्वारा दफा ३०७/१४९, १४८ और १२३/१४९ आई० पी० सी० के अन्तर्गत विभिन्न अवधियों के लिए सजायाब हुये हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

श्रीमन्, वे किस पार्टी के सदस्य थे?

श्री अध्यक्ष---

वह एम० एल० ए० थे इतना बताना काफी है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

क्या वह कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे?

---

†छापा नहीं गया।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक प्रश्न यह श्री सहदेवसिंह जी का आया है, वह मुझसे मिल लें।

श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)--

श्रीमन्, मैं तो कल ही आप से इस सम्बन्ध में मिल चुका हूं और आप से बातचीत भी हो चुकी है, आप ने अपना निर्णय देने के लिए कहा था। हिन्दी के विषय में विधान सभा का प्रस्ताव होते हुए भी माननीय खाद्य मन्त्री जो बराबर अंग्रेजी में काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

इसमें दो कमियां हैं,। एक तो आपने इस की प्रतिलिपि माननीय नेगी जी को नहीं दी और दूसरे यह कि आप ने इस सूचना को आधारित किया है एक लेख पर, उसकी प्रतिलिपि और न मूल पत्र ही दिया है। इसलिए यह अनियमित है।

श्री सहदेवसिंह--

श्रीमन्, उसका तो हाउस में जिक्र हुआ था और नेता विरोधी दल ने पढ़कर सुनाया था इसलिए वह सदन की जानकारी में था।

श्री अध्यक्ष--

नियम ६५ में ऐसी बात नहीं है कि सदन में अगर किसी बात का उल्लेख हो जाय तो उसकी प्रतिलिपि या मूल लेख देने की आवश्यकता नहीं है। आप को देना चाहिए। इस लिए वह अपूर्ण है।

श्री सहदेवसिंह--

तो मैं एक प्रतिलिपि भेज दूंगा उसके बाद आप स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष--

बहुत ठीक है, इसी लिए मैं आप को पहले अपने कमरे में बुलाना चाहता था, लेकिन आप तुरन्त निर्णय चाहते थे। वह निर्णय मैंने दे दिया। अब जो आप उचित समझे करें।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास कई कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं जो खाद्य समस्या के बारे में हैं और चूंकि आज अविश्वास का प्रस्ताव लिया जाने वाला है जिसमें खाद्य समस्या पर विवाद होगा इसलिए मैंने किसी को स्वीकार नहीं किया है।

बाजार में पाठ्य पुस्तकों के अभाव के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

मैंने नियम ५२ में माननीय बसन्तसिंह की सूचना स्वीकार की है जो इस प्रकार है :--
"शिक्षा सत्र प्रारम्भ हुये १ मास पूर्ण हो रहा है परन्तु बाजार में पाठ्य पुस्तकों का अत्यन्त अभाव है। आधारित कक्षाओं के लिए निर्धारित बेसिक रीडरों पर सरकार का एकाधिकार

है। परन्तु सरकार प्रबन्ध करने में पूर्णतया असफल रही है। जिससे कि पुस्तकों की कमी हो गयी है। परिणाम स्वरूप छात्रों, अभिभावकों तथा अध्यापकों में बड़ी उत्तेजना व्याप्त है। अध्ययन एवं अध्यापन की बड़ी क्षति हो रही है। स्थिति चिन्ताजनक है। क्योंकि उक्त पुस्तकों के अभाव के लिए सरकार पूर्णतया उत्तरदायी है इसलिए सरकार के प्रति असन्तोष की भावना व्याप्त हो रही है। अस्तु लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं माननीय शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।"

इसको मैंने स्वीकार कर लिया है। मन्त्री जी ने ३ अगस्त, १९६४, इस पर वक्तव्य देने के लिए निश्चित की है।

जे० के० जूट मिल्स, कानपुर में तालाबन्दी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

माननीय उग्रसेन तथा रक्षपालसिंह जी ने भी मेरे पास सूचनायें भेजी हैं जो इस प्रकार हैं :--

"जे० के० जूट मिल, कानपुर के ४००० मजदूरों की हड़ताल गत १३ जुलाई, १९६४ से चल रही थी। उनकी मांग है कि उन्हें ३५ प्रतिशत साल भर क वेतन का बोनस के रूप में दिया जाय। १९६२ में उन्हें २५ प्रतिशत बोनस मिला था, जब कि इस वर्ष ६८,००० गांठें उत्पादन में निकली हैं। उस वर्ष में ५८,००० ही निकली थीं। श्रम विभाग ने उस पर चुप्पी साध ली है। उनकी ८ दिन की कमाई की मजदूरी भी काटने का आदेश दे दिया है। और अभी सभी कानूनों की हत्या कर के मालिकान ने लाक आउट घोषित कर दिया है। इससे एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है और शान्ति व्यवस्था के लिए एक विकट स्थिति पैदा हो गयी है।"

इसी प्रकार से माननीय रक्षपालसिंह का है : "प्रदेश के औद्योगिक राजधानी कानपुर जे० के० जूट मिल में कल अनिश्चित काल के लिए तालाबन्दी घोषित कर दिये जाने से वहां काम करने वाले लगभग ५ हजार मजदूरों के लिए रोजी का संकट पैदा हो गया है" .....

और इसी सम्बन्ध में जो मैंने माननीय उग्रसेन जी का पढ़ा उसी प्रकार का इनका भी है। इसलिए मैंने नियम ५२ में तो नहीं, केवल बयान के लिए स्वीकार किया है। सरकार बता दे कि कब बयान देगी ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, श्रम मन्त्री तो बंगलौर गये हैं।

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

३, ४ दिन में बयान दे सकते हैं।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, माननीया मुख्य मन्त्री से कह दीजिये कि लाक आउट तो खुलवा दें, बयान बाद में होता रहेगा।

संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के गठन एवं पदाधिकारियों के नामों के सम्बन्ध में घोषणा

श्री अध्यक्ष---

अब कुछ घोषणायें हैं जो मैं आपके सामने रख दूं। एक माननीय गयाप्रसाद, मन्त्री, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की है :

"निवेदन है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तथा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने मिल जुलकर विधान सभा में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया है और यह निश्चय किया है कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की तहत में ही विधान सभा में अपना कार्य-कलाप करेंगे। पदाधिकारियों तथा सदस्यों की नामावली निम्न प्रकार है :--

१---नेता	..	श्री रामसुन्दर पांडेय,
२---उप-नेता	..	श्री उग्रसेन,
३---मन्त्री	.. ..	श्री गयाप्रसाद,
४---संयुक्त मन्त्री	..	श्री रियासत हुसैन,
,,		श्री चन्द्रबलीसिंह,
५---मुख्य सचेतक	..	श्री केशरीप्रसाद पांडेय,
६---सचेतक	..	श्री राधेश्याम शर्मा,
७-- ,,	..	श्री सत्यनारायण पांडेय,
,,	..	श्री नत्थाराम रावत,
७--कोषाध्यक्ष	..	श्री होरीलाल यादव,

सदस्य ४५ हैं। इनकी सूची संलग्न है। सूची ४५ की दी हुई है। किन्तु इस ४५ की सूची में श्री कोतवालसिंह की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है तो इस तरह से ४४ रह जाते हैं। माननीय कोतवालसिंह जी अलग रहना चाहते हैं।

स्वतन्त्र पार्टी के नव निर्वाचित पदाधिकारियों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष--

माननीय भानुप्रतापसिंह जी ने यह सूचना दी है कि:

"उत्तर प्रदेश स्वतन्त्र पार्टी विधान मण्डलीय दल के पदाधिकारियों का नाम निम्नतः है। वे स्वयं नेता हैं।

२---उपनेता	..	श्री विजयसिंह,
३---सचेतक	..	श्री मुन्नूसिंह,
४---मुख्य सचेतक	..	श्री चैतन्यराजसिंह,
५---मन्त्री ..	..	श्री बलवीरसिंह,
६---कोषाध्यक्ष	..	श्री काशीनाथबहादुरपाल।"

श्री रामसिंह (एटा) द्वारा जनसंघ दल में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में घोषणा

श्री अध्यक्ष---

माननीय रामसिंह (एटा) जी ने यह सूचना दी है कि:

"मैं सिद्धपुरा विधान सभा क्षेत्र से हिन्दू महासभा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सदस्य विधान सभा घोषित हो गया हूं और मैंने शपथ भी ग्रहण कर ली है।

मैं विधान सभा में अन्य दोनों हिन्दू महासभाई सदस्यों के साथ भारतीय जनसंघ विधान मण्डल दल के अनुशासन में रह कर कार्य करूंगा।"

कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित होने वाले सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष---

एक सूचना मुझे माननीय नवलकिशोर जी की प्राप्त हुई है कि निम्न १० माननीय सदस्य कांग्रेस में सम्मिलित हो गए हैं:

१---श्री गेंदासिंह,
२---राजा अवधेशप्रताप,
३---श्री रामायण राय,
४---श्री कैलाश,
५---श्री मदनपालसिंह,
६---श्री उमाशंकर,
७---श्री कल्पनाथसिंह,
८---श्री सियाराम गंगवार,
९---श्री राजेन्द्रसिंह यादव,
१०---श्री सत्यदेव ।

इनके अलावा एक पत्र श्री बंशीलाल जी का प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल कांग्रेस दल की सदस्यता स्वीकार कर ली है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

जो जो विरोधी दल के माननीय सदस्य कांग्रेस में गए हैं, उनको आप खड़ा करा दीजिए ताकि सब लोग देख लें कि वे कौन-कौन व्यक्ति हैं।

(हंसी)

रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट मे कार्य करने के लिए एक सदस्य के चुनाव का प्रस्ताव

विद्युत् उप-मन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आज्ञा दें, रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के सदस्यों में से विधान सभा सदस्य श्री जे० पी० मिश्र के त्याग-पत्र के कारण उक्त सिनेट में रिक्त स्थान पर रुड़की यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९४८ की धारा १६ की तृतीय श्रेणी के मद (११) के अनुसार विधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आज्ञा दें, रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट की सदस्यता में विधान सभा सदस्य श्री जे० पी० मिश्र के त्याग पत्र के कारण उक्त सिनेट में रिक्त स्थान पर रुड़की यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९४८ की धारा १६ की तृतीय श्रेणी के मद (११) के अनुसार विधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विशेषाधिकार समिति द्वारा कतिपय विषयों से सम्बन्धित प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के लिये समय में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

"चूंकि दिनांक १९ फरवरी, १९६४ को सदन में सर्वश्री श्यामनारायणसिंह तथा हुबलाल दुबे की शास्ति के अवसर पर श्री चन्द्रबलीसिंह, सदस्य, विधान सभा, द्वारा कही गई बातों से सम्बन्धित सदन के अवमान का प्रश्न १९ फरवरी, १९६४ को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था;

दिनांक २० फरवरी, १९६४ को परिवहन मन्त्री, श्री मुजफ्फर हसन के सम्बन्ध में श्री मैनेजरसिंह, सदस्य, विधान सभा, द्वारा सदन में एक आपत्तिजनक शब्द के प्रयोग से सम्बन्धित विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान का प्रश्न २० फरवरी, १९६४ को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था;

माननीय अध्यक्ष के इस निर्णय के विरोध-स्वरूप कि श्री केशवसिंह को सदन में उपस्थित कराने के लिए वारंट जारी किया जाय और १८ मार्च, १९६४ को उनकी शास्ति की जाय। सर्वश्री उग्रसेन, राधेश्याम शर्मा, लक्खीसिंह, शिवनाथसिंह तथा रामग्रासरे, सदस्य, विधान सभा, द्वारा सदन का परित्याग किए जाने से सम्बन्धित सदन के अवमान का प्रश्न ३ मार्च, १९६४ को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था;

श्री नित्यानन्द पांडेय, सदस्य, विधान सभा, के विधान सभा में दिए गए भाषण पर, आक्षेप करते हुए एक पर्चा छपवा कर जनता में वितरित करवाने के सम्बन्ध में श्री रामपालसिंह यादव, मन्त्री जिला सोशलिस्ट पार्टी, कानपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न ५ मार्च, १९६४ को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था ;

दिनांक २५ मार्च, १९६४ को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर्वश्री एन० यू० बेग तथा जी० डी० सहगल व श्री बी० सोलोमन द्वारा सदन का अवमान किए जाने से सम्बन्धित प्रश्न विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था ;

दिनांक २८ मार्च, १९६४ को विधान सभा द्वारा पारित विशेषाधिकार की अवहेलना सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वित करने पर अन्तरिम आदेश द्वारा रोक लगाने के सम्बन्ध में कुछ सदस्यों द्वारा इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों आदि के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की पृथक-पृथक सूचनाओं का निर्देश विशेषाधिकार समिति को किया गया था और दिनांक ३० मार्च, १९६४ को उक्त निर्देश संशोधित किया गया था ;

दिनांक ३० मार्च, १९६४ को सोशलिस्ट पार्टी गोरखपुर के अश्वनीकुमार शुक्ल, प्रद्युमन शुक्ल, सुभाष चन्द्र तथा रमाकान्त पांडेय के विरुद्ध श्री राजनारायन मिश्र द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था ;

और चूंकि उपर्युक्त सभी प्रश्नों पर विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए विधान सभा के दिनांक १९ मार्च, व ६ मई, १९६४ के प्रस्तावों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर विशेषाधिकार समिति विचार समाप्त नहीं कर सकी अथवा नहीं कर सकेगी ;

अतः उक्त प्रश्नों पर विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय ३१ अक्तूबर, १९६४ तक बढ़ा दिया जाए।"

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, आप इस पर व्यवस्था दें कि जहां तक केशव सिंह जी का केस है, आपको मालूम है कि प्रेसीडेंट के रिफ्रेन्स में उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है और बयानात अखबार में निकले हैं, उनको आपने पढ़ा होगा। मेरा सुझाव है कि यह मामला बहुत गहन है, इसलिए इस को इस समय स्थगित कर दिया जाय। आप इस पर व्यवस्था दें कि क्या यह स्थगित हो सकता है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर निर्णय न हो जाय?

श्री अध्यक्ष—

देखिए, इसमें जो प्रश्न हमारे सामने है वह केवल यह है कि जो प्रतिवेदन इन प्रश्नों पर आने चाहिए थे वे समय पर नहीं आ पाए हैं। अतः इस अवधि को बढ़ा दिया जाय। आपने जो बात रखी है उसे स्वीकार कर लें तो भी यह विषय विशेषाधिकार समिति के समक्ष पड़ा रहेगा जब तक कि वहां से फैसला न हो जाय। जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है, उससे और प्रस्ताव में कोई विरोध नहीं है। वह अपनी जगह पर रहेगा और वह विशेषाधिकार समिति के समक्ष भी रखा जा सकता है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसमें कि हम राष्ट्रपति को कठिनाई में डालें।

प्रश्न यह है कि सभापति, विशेषाधिकार समिति द्वारा उल्लिखित प्रश्नों पर विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय ३१ अक्तूबर, ६४ तक बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

मंत्रिपरिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद

श्री अध्यक्ष—

हमारे सामने तीन अविश्वास के प्रस्ताव हैं। एक माननीय जेड० ए० अहमद, नेकराम शर्मा, ब्रह्मदत्त मायर, सुरजनराम, रघुनाथराम, ऊदल, भीखालाल, झारखंडे राय, चन्द्रजीत यादव, भगवानदास यादवेन्दु का है। वह इस तरह से है कि—

"क्योंकि वर्तमान मन्त्रि मण्डल खाद्य तथा जीवन से सम्बन्धित अन्य आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने तथा उनको जनता को उपलब्ध कराने में पूर्णतया असफल रहा है, अतः यह सदन वर्तमान मन्त्रिमण्डल में अविश्वास प्रगट करता है।"

दूसरा श्री गयाप्रसाद जी का है। वह इस प्रकार है कि—

"वर्तमान मन्त्रिमण्डल के अधिकांश सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा लगाये गये हैं, जिनकी जांच किए जाने पर उन्हें प्रमाणित किया जा सकता है। भ्रष्टाचारी शासकों के रहने के कारण प्रदेश की जनता कर-भार और मूल्य वृद्धि से उत्पीड़ित होकर कराह रही है। अतः यह सदन वर्तमान मन्त्रिमण्डल में अविश्वास प्रगट करता है।"

तीसरा माननीय शारदाभक्त सिंह जो, सर्व श्री बलवानसिंह, उग्रसेन, भगवान सहाय, भानुप्रतापसिंह, नेकराम शर्मा, कमलासिंह तथा श्री ब्रह्मदत्त मायर का है। यह इस प्रकार है कि—

"यह सदन वर्तमान मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रकट करता है।"

यह तीसरा प्रस्ताव व्यापक है, इसी को मैं स्वीकार करता हूं और इधर दोनों प्रस्ताव इसी में समाविष्ट समझे जायेंगे। इसी पर मैं सदन की अनुज्ञा के लिये मत लूंगा।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)--

श्रीमन्, मैं अपने प्रस्ताव को, जैसा कि आपने पढ़ा है, प्रस्तुत करने के लिये सदन की अनुज्ञा चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन वर्तमान मंत्रि-मंडल में अविश्वास प्रकट करता है, जो सदस्य अनुज्ञा के पक्ष में हों, वे कृपया खड़े हो जायं ।

(१२१ सदस्य खड़े हुये)

श्री अध्यक्ष--

चूंकि खड़े होने वाले सदस्यों की संख्या पंचमांश से अधिक है, अतः अविश्वास के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्राप्त हो गयी ।

अब २ प्रश्न सामने हैं । एक प्रश्न यह है कि कितने दिनों तक इस पर वाद-विवाद हो ।

अनेक सदस्य---

(सात दिन)

श्री अध्यक्ष--

और दूसरा सवाल यह है कि हम समय कितना प्रत्येक आदरणीय सदस्य के लिये निर्धारित करें जो इस विषय पर बोलेंगे । वैसे तो मुझे पूर्ण अधिकार है कि इस विषय पर कितने दिनों तक बहस होगी यह निश्चित कर दूं, लेकिन जो मैंने बात की है उससे मुझे पता लगता है कि ४ दिन के लिये सब पार्टी के लोग तैयार हैं । (व्यवधान) तो मैं निश्चित करता हूं कि ४ दिन तक इस पर बहस होगी ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि तीन दिन और उसमें बढ़ाये जायं ।

श्री अध्यक्ष--

अब वह समाप्त । मैं समझता हूं कि आदरणीय नेता विरोधी दल के लिये जो इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करेंगे, आधा घंटा दिया जाय ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

नेता विरोधी दल के लिये कभी कोई टाइम लिमिट नहीं हुई, खासकर अविश्वास के प्रस्ताव पर ।

श्री अध्यक्ष--

यह गलत है ।

श्री शारदाभक्तसिंह--

मै अधिक से अधिक संक्षिप्त करने का प्रयत्न करूंगा लेकिन.....

श्री अध्यक्ष--

देखिये, सन् १९६२ के बाद जितने प्रस्ताव आये हैं सब में इसी प्रकार होता रहा है और यह मुनासिब भी है । इस वास्ते कि यह विषय ऐसा है जिसमें सदन के सभी सदस्य दिलचस्पी रखते हैं और प्रत्येक व्यक्ति का समय मिलना चाहिये । इसलिये उचित है कि नेता विरोधी दल ३० मिनट ले, अन्य नेतागण २०-२० मिनट, और अन्य सदस्यों के १० से १५ मिनट ।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, अभी आपने कहा कि यह विषय महत्वपूर्ण है.....

श्री अध्यक्ष--

आप अभी बैठ जायं। माननीय मंत्रीगण को २०-२० मिनट और माननीय नेता सदन और माननीय खाद्य मंत्री को अधिक समय दिया जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

अधिक नहीं, अगर ३० मिनट नेता विरोधी दल के लिये है तो उससे एक मिनट भी अधिक नेता सदन या खाद्य मंत्री को नहीं मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

तो, यह तय हो गया। माननीय सदस्यों को १० से १५ मिनट का समय दिया जायगा और यह पीठासीन व्यक्ति की मर्जी पर छोड़ दिया जायगा।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक उचित निवेदन मेरा आप सुन लेंगे। मुझे यह कहना है कि चार दिन आपने बहस के लिये मुकर्रर किये हैं तो क्या यह संभव है कि विरोधी दल के माननीय सदस्य जो बातें इस सदन में प्रस्तुत करें उनका जो जवाब हम लोग दें, बगैर हैकिलिंग और बगैर झगड़े फसाद किये हुये एक दूसरे की बात लोग सुन सकें, क्योंकि श्रीमन्, ४३१ सदस्यों के इस सदन में १२१ सदस्यों का यह फार्स अविश्वास का प्रस्ताव.....(शोर)। लोग अगर एक दूसरे की बात सुन सकें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष--

हमें अपने ऊपर और सबको अपने अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण करना पड़ेगा। दूसरों का नियंत्रण न सोचें, अपने-अपने ऊपर नियन्त्रण की बात सोचें तो ज्यादा अच्छा होगा। (व्यवधान)

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

माननीय नेगी जी को तो कोई समय देने की आवश्यकता ही नहीं है। इन्हें तो अपराध किया या नहीं किया, इतनी सी बात मान लेनी है। तो मुख्य मंत्री को समय आप दे दें, नेगी जी को समय ज्यादा देने की जरूरत नहीं है।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने जो मुलजिम का लब्ज इस्तेमाल किया है, एक मिनिस्टर और सदस्य की शान में, उसको उन्हें विदड्रा करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

मुलजिम का मतलब सिर्फ अक्यूज्ड है और कुछ नहीं है। इसको उस लाइट में न लें।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)--

आपने जो समय निर्धारित किया उसमें माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता सदन को एक ही कैटेगरी में रखना चाहिये। अगर नेता विरोधी दल को आधा घंटा देते हैं तो माननीय नेता सदन को भी आधा घंटा दें। यह बात जो मैं कह रहा हूं बिलकुल पार्लियामेन्टरी पद्धति के अनुसार है। हाउस आफ कामन्स की यह परम्परा है कि लीडर आफ दि अपोजीशन इज दि आलटरनेट प्राइम मिनिस्टर आफ हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट। (शोर)

श्री अध्यक्ष---

जो इस सदन की परम्परायें रही हैं, वह हमें मान्य होनी चाहिये और उनको हमें सुदृढ़ करना चाहिये। हम जो कुछ इस समय निश्चय कर रहे हैं, वह पुरानी परम्पराओं के आधार पर कर रहे हैं और इस वजह से कृपा करके इस सम्बन्ध में आप प्रश्न न उठाइये। वह कोई ऐसी डेड लाइन नहीं है कि जब ३० मिनट होगे तो माननीय शारदाभक्तसिंह से कह दिया जायगा कि आप बैठिये। यह नहीं होता है। हम भी समझ लेंगे और आपका भी फर्ज होगा कि अपने आर्ग्यूमेन्टस को कंडेंस्ड कीजिये और फिर देखा जायगा।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

चार दिन का समय आपने निर्धारित किया है और यह निश्चय किया है कि दस या पन्द्रह मिनट प्रत्येक सदस्य बोलेगा। ४३१ सदस्य हैं, तो ७ दिन तो ऐसे ही हो जायेंगे, चार दिन में सभी सदस्य कैसे बोलेंगे? (शोर) इसलिये कम से कम ६ दिन आप कर दें।

(शोर)

श्री अध्यक्ष---

अब माननीय शारदाभक्तसिंह अविश्वास के प्रस्ताव पर बोलेंगे।

श्री शारदाभक्तसिंह---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन की सेवा में निम्नलिखित अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं---

"यह सदन वर्तमान मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रकट करता है।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब इस मंत्रिमंडल के विरुद्ध यह प्रस्ताव रख रहा हूं तो बहुत सोच समझकर अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए ठंढे दिल से यह प्रस्ताव रख रहा हूं। जब तक हम सरकार की नीतियों में और उसके समर्थ्य में समस्याओं के हल को देखते हैं तब तक इस अस्त्र को नहीं रखते। आज जब मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव को रखता हूं तो मुझे यह अनुभव हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की ७ करोड़ जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता हूं और मैं ही नहीं उस तरफ के बैठने वाले लोग भी यह अनुभव करते होंगे कि इस समय ऐसी परिस्थिति इस प्रान्त में उपस्थित हुई है जो पिछले समय में भी कभी नहीं हुई और जिसका इतना व्यापक परिणाम और प्रभाव इस प्रान्त पर है, जनसाधारण पर है कि जिससे हम लोगों के पास और कोई चारा नहीं रहा है सिवाय इसके कि हम मंत्रिमंडल में अविश्वास का प्रस्ताव रखें। मैं यह कहना चाहता हूं कि सहने की भी सीमा होती है। जिस गम्भीर अन्न संकट का संकेत और चर्चा कई दिन से हो रही है, यह अन्न संकट कोई २,४ दिन से नहीं खड़ा हो गया। यह ऐसी स्थिति एक आध हफ्ते में यकायक उपस्थित हो गई। जैसा मुख्य मंत्री जी ने कल कहा था कि हम भरसक कोशिश कर रहे हैं, हमको थोड़ा मौका चाहिये और सहयोग चाहिये। तो शायद हम विरोधी दल की ओर से उनके साथ मिलकर उनको और मौका देना चाहिये, लेकिन यह समस्या, जैसा कि आपको पता है, कई मास पूर्व विरोधी दल की ओर से आपके सन्मुख उपस्थित की गई। बार बार संकट का संकेत किया गया और चेतावनी इस बात की दी गई अपना कर्त्तव्य समझते हुये कि इस प्रदेश में ऐसी परिस्थिति बन रही है, यदि सरकार समय से न चेती तो एक भयावह स्थिति में वह पड़कर वह अपने को एक बड़ी मुसीबत में पायेगी। यह सब चेतावनी देने के बाद इसी सदन में हमने खाद्य स्थिति पर सरकार को इस बात के लिये भी मजबूर किया कि इस परिस्थिति पर विचार किया जाय और आई हुई इस आपत्ति को हम समय रखते हुये समाप्त करें और जो आवश्यक कदम हों वे उठायें और इस प्रकार की परिस्थिति न पैदा होने दें कि इस परिस्थिति से हजारों और लाखों आदमी हमारी असावधानी से, हमारे निकम्मेपन से, हमारी अदूरदर्शिता से और हमारी गलत नीतियों से काल के गाल में पहुंच जायं। इसलिये जैसा मैंने निवेदन किया उत्तर प्रदेश की विधान सभा में विरोधी दल ने पहले सरकार को चेतावनी देकर सारी समस्या की गम्भीरता को बताकर यह प्रार्थना की

कि इस गम्भीर समस्या को समाप्त किया जाय और समय से सम्भव कदम उठाये जायं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और अगर सरकार ने ध्यान दिया भी तो ध्यान देने के बाद भी यह मानना पड़ेगा कि वह असफल रही है। हम ऐसी स्थिति में आज पहुंच गये हैं कि आज सारे प्रदेश में त्राहि-त्राहि मची हुई है और स्थिति इतनी भयावह है कि मैं स्वयं कल्पना नहीं कर सकता। जो लोग उस ओर भी बैठे हैं, जिनका प्रान्त के कोने-कोने से सम्बन्ध है, वह भी इस बात को अनुभव करते होंगे कि प्रदेश के हजारों लाखों नर-नारी बिना खाये हुये अपने बच्चों की फाकाकशी देखकर सो जाते हैं।

हम यह बिडम्बना देखते हैं कि १७ वर्ष से इन योजनाओं की नीति चल रही है, इनका ढोंग हम देख रहे हैं जिनसे हम यह समझते थे कि हम आत्म निर्भर होंगे और हमारी भूख मिटेगी, लेकिन इन सारी योजनाओं के बावजूद भी एक भयावह स्थिति आज पैदा हो गई। मैं जानता हूं कि सरकार कहेगी कि हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, सूचना नहीं है, लेकिन मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि भुखमरी प्रारम्भ हो गयी है। देहातों में लोग मर रहे हैं और आप उनकी हालत जानना नहीं चाहते हैं। ऐसी गंभीर परिस्थिति सरकार को चेतावनी देने के बाद ही उत्पन्न हुई है और सरकार आज उस वातावरण को चारों ओर देख रही है। अब वह प्रान्तीय खाद्य समिति बना कर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर देना चाहती है। मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं कि जब चार मास पूर्व जो हमने चेतावनी दी थी और कहा था कि आपकी दुर्व्यवस्था के कारण, आपके वितरण दोष के कारण, आपकी नीतियों के कारण भयंकर अन्न संकट का आपको सामना करना पड़ेगा, उस समय आपने हमारा सहयोग क्यों नहीं लिया। उस समय फूड कमेटी क्यों नहीं बनायी? उस समय हम आपको इस संकट से उद्धार का रास्ता बतलाते। लेकिन उस समय आपने सदन में कहा था कि हमको विश्वास है कि आप पैनिक फैलाना चाहते हैं, हमारे पास काफी स्टाक है और हम विश्वास दिलाते हैं कि अन्न की कोई कमी न होगी। इसलिये हमें आज अधिकार है कि हम आपसे पूछें कि अब तक आप चुप क्यों बैठे रहे। आज जब पानी गले के ऊपर है तो आप विरोधी दलों को मिला कर खाद्य समिति बनाना चाहते हैं और जनता को अपनी सफाई देना चाहते हैं। मेरी कल की बात परिस्थिति का पूरा चित्रण करती है। मैं खाद्य मंत्री जी के नोट के दो जुमले और पढ़ना चाहता हूं और अगर उसके आगे भी किसी प्रमाण की आवश्यकता हो तो उसके लिये मैं बाद में बात करूंगा। वह इस प्रकार है :—

"This has created an extremely dangerous situation in our state and without any exaggeration we have now starvation and ruin staring in our faces. Everyday thousands of distress telegrams and telephones are pouring in and we feel so terribly helpless."

अन्न के अभाव के कारण प्रदेश में एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गयी है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति न होगी कि हम भुखमरी और विनाश के गाल में आकर खड़े हो गये हैं, हजारों पीड़ित एवं त्रस्त लोगों के तार प्राप्त हो रहे हैं। हम लोग अत्यन्त असहाय और बेबसी का अनुभव कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह आप कहां से पढ़ रहे हैं?

श्री शारदाभक्तसिंह—

यह है "नोट आन यू० पी० फूड पोजीशन बाई मिस्टर जगमोहनसिंह नेगी"

श्री अध्यक्ष—

तारीख कौन सी है?

श्री शारदाभक्त सिंह---

क्या अब भी किसी प्रमाण की आवश्यकता है ? जो बात मैं कह रहा हूं वह विरोधी दल के लोगों की नहीं, उत्तर प्रदेश के खाद्य मंत्री ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हम ऐसी परिस्थिति में आकर खड़े हो गये हैं कि भुखमरी और विनाश हमारे सामने आकर खड़ा है और हजारों लोगों के तार हमारे पास आ रहे हैं और हमसे खाना मांग रहे हैं और खाना मांगने पर हम असहाय और बेबस हैं। इससे अधिक प्रमाण विरोधी दल नहीं दे सकता और अब भी सरकार अगर स्वीकार नहीं करती तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मैंने कल भी मंत्री जी के फूड-नोट से पढ़ कर सुनाया, वह कहते हैं कि मुझे नहीं मालम कि हम क्या करें और कैसे इस परिस्थिति का सामना करें अब विरोधी दल को कह दिया गया कि हम आपके साथ बैठकर कुछ करना चाहते हैं। यह ईमानदारी है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

माननीय मंत्री, श्री राममूर्ति सो रहे हैं।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)---

मैं सो नहीं रहा था, ध्यानावस्था में था।

श्री शारदा भक्त सिंह---

जैसे रबी की फसल खत्म हुई और माननीय चरणसिंह जी ने बतला दिया कि सवा लाख टन गेहूं कम हुआ है---पिछले दिनों में भी खाद्य में कमी हुई है, उस पर बाद को आऊंगा, पहले वर्तमान समस्या पर कहना चाहता हूं। तो प्रान्त में इस चेतावनी के बाद और यह भी अनुभव होने के बाद कि एक भीषण परिस्थिति का जन्म हो रहा है सरकार ने युद्ध-स्तर पर काम नहीं किया। आज यह कहना कि गल्ला हमारे पास कम है, केन्द्रीय सरकार नहीं देती है, जबकि लोग भूखों मरने लगे तो इस प्रान्त की जनता आपको क्षमा करने वाली नहीं है और एक व्यक्ति इस लोकतंत्र का, जिसकी जान इस भुखमरी से जा रही है, उसके लिए मंत्रिमंडल को जवाब देना होगा। उत्तर प्रदेश उसे माफ नहीं कर सकता।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि आपने यह समझ कर कि हमारे पास गल्ला थोड़े दिनों के लिए भी काफी नहीं है, आपने भंडार नहीं भरे और आज कह रहे हैं कि हम तो केन्द्रीय सरकार की डिस्ट्रिब्यूटिंग एजेंसी हैं। इसी फूड-नोट में लिखा है कि केन्द्रीय सरकार गल्ला न दे तो हम असहाय हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता आपसे नहीं पूछ सकती कि यह मंत्रिमंडल और खाद्य मंत्री क्या केवल इसलिए बैठे हैं कि गल्ला केन्द्र से आ जाय तो बांट दें और वह भी अच्छी तरह से नहीं बांट सके ? आपकी कोई खाद्य नीति नहीं है, कोई तैयारी नहीं है तो क्या इसके लिए यह मंत्रिमंडल दोषी नहीं है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने क्यों मोटा गल्ला प्रान्त के बाहर जाने दिया। चना अधिक मात्रा में प्राप्त हो रहा था लेकिन आपने उसके खरीदने की ओर ध्यान नहीं दिया। आपने कभी यह अनुभव नहीं किया कि हम कुछ दिनों के बाद भूखे लोगों को गल्ला नहीं दे सकेंगे। यह बिलकुल सही है कि नौकरशाही ने आपको भुलावा देकर, पैसा कमाने के लिये, ४ हजार बैगन चावल को बाहर भेजा उन व्यापारियों के द्वारा जिन्होंने खूब पैसा कमाया। पुराना चावल अच्छा होता है, यह सभी जानते हैं, लेकिन मंत्रि मंडल ने इसको महसूस नहीं किया। यह जो ४ हजार बैगन चावल बाहर गया, इसका दायित्व आप पर है। अगर जनता को सस्ता गल्ला नहीं मिल रहा है तो इसकी जिम्मेदारी आप पर है। यह आपकी असावधानी और निकम्मेपन का परिणाम है कि प्रदेश में आज यह परिस्थिति हो गयी। आज संकटकालीन स्थिति है, चीन के आक्रमण का भय है, इसमें एक एक कदम हमको सम्भाल कर रखना है, अगर ऐसे समय में सरकार की असावधानी के कारण प्रदेश में ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाय और भुखमरी की स्थिति हो जाय तो यह बड़े शर्म की बात है। आज चीनी हम पर हंस रहे होंगे। आज चीनी समर्थकों को अपने यहां इससे प्रोत्साहन

मिल रहा है। आज लखनऊ में ही, सबेरे ४ बजे आप निकल जाइये, सस्ते गल्ले की दूकान पर ५०० आदमियों की लाइन लगी हुई मिलेगी। हमने ४ महीने पहले ही सरकार को चेतावनी दी ताकि इस संकटकालीन परिस्थिति में सरकार अपने को सम्भाल लें, लेकिन आप उसमें असमर्थ रहे और मजबूर होकर हमें इस अंतिम अस्त्र का सहारा लेना पड़ा।

आपने कहा कि हमें केन्द्रीय सरकार से जितना गल्ला मिलना चाहिये था उतना नहीं मिल रहा है। अखबारों में छपा है कि माननीया मुख्य मंत्री एरोप्लेन से डैश कर गयीं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ३ महीने पहले, जब आपको चेतावनी दी गयी थी, तब आप यह नहीं कर सकती थीं। जब लोग भूखों मरने लगे, तब आपको सूझी है। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू को गये कुछ ही दिन हुये ह, केन्द्रीय सरकार आपको मौत के मुंह में डालना चाहती है, आज प्रदेश और केन्द्रीय सरकार में गुटबन्दी पैदा हो गयी है। यह गुटबन्दी प्रान्त को तबाह किये हुए है। आज केन्द्रीय सरकार को आप पर विश्वास नहीं रह गया है और प्रदेश की जनता को इस सरकार पर विश्वास नहीं रहा है। मैं चाहता हूं कि यह गुटबन्दी, जो प्रदेश को तबाह किये हुए है, पार्टी के अन्दर ही रहे और वह नौबत नहीं आना चाहिये कि उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों को भूखों मरना पड़े।

आज हम अमेरिका से गेहूं मांगते हैं, पाकिस्तान के सामने हाथ फैलाते ह, दुनियां के सामने ढिंढोरा पीटते हैं कि केन्द्रीय सरकार हमें गल्ला नहीं दे रही है, हम भूखों मर रहे हैं। (शर्म शर्म की आवाजें)। आज यह आपस की गुटबन्दी, इस संकटकालीन स्थिति में इस भुखमरी की छाया में भी खत्म नहीं हो रही है तो कब खत्म होगी। आज तरह-तरह की पैंतरेबाजी की जा रही हैं, इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हो और किसकी मिनिस्ट्री रहे। क्या जनता आपको इसके लिये माफ कर सकती है? दिल्ली आप इसलिये नहीं दौड़ते कि आज जो भीषण परिस्थिति पैदा हो गयी है, उसको दूर किया जाय बल्कि इसलिये दौड़ते हैं कि जो मामला आप का अन्दर-अन्दर चल रहा है, वह कैसे हल हो। आप कहते हैं कि हम सजग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे दुख है कि आज उत्तर प्रदेश की विधान सभा में इस खाने के रोने को हमें रोना पड़ रहा है। मैं इसको नहीं चाहता था, लेकिन अगर जनता की बात को हम आप से नहीं कहते हैं तो हम उनके साथ विश्वासघात करेंगे और आप भी समस्या को हल नहीं कर सकेंगे।

आपने कहा कि आपको सेंटर से गल्ला नहीं मिला, लेकिन क्या यह मंत्रिमंडल या खाद्य मंत्री कह सकते हैं कि आपकी जो यह वितरण व्यवस्था है वह दोष रहित है, आपने गल्ला देने की जो परिपाटी बनायी है उसके अनुसार गल्ला पहुंच रहा है?

(इस समय १ बजकर २ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीश शरण अग्रवाल एडवोकेट पीठासीन हुए।)

आप कहते हैं कि आपकी व्यवस्था में कुछ दोष हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आप उन दोषों को बताइये और उनको किस प्रकार से दूर किया जाय। आप यह भी कहते हैं कि राशन कार्ड जाली हैं, ब्लैक मार्केटिंग भी होता है। मैं पूछता हूं कि क्या इसमें भी सेंटर का हाथ है, क्या यह भी दोष उनके ऊपर मढ़ा जा सकता है? आज आप सीना उठाकर यह नहीं कह सकते कि वितरण में हमने दोष नहीं आने दिया। गल्ले की दुकानें उन्हीं व्यापारियों को ही दीं जो उसका काम करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि आपने ९० प्रतिशत दूकानें अपने दल वालों को दीं और ऐसे लोगों को दीं जो यह काम नहीं करते थे। हर जिले में और हर कस्बे में इसकी शिकायत है और इसलिये बहुत सा गल्ला ब्लैक मार्केटिंग में चला जाता है। जब हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहते हैं तो वह कहता है कि आप तो जानते ही हैं। जब तक आप खाने-पीने के मामले में भी दलगत स्वार्थ को नहीं छोड़ेंगे, प्रान्त को आप इस प्रकार की स्थिति से नहीं बचा सकेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इसकी जांच करायें और पूरे आंकड़े इस बात के सदन के सामने आने चाहिये कि कितने ऐसे लोगों को दूकानें दी गयीं जो पहले दूकानें नहीं करते थे। वे लोग आज उन दूकानों पर नहीं बैठते हैं बल्कि उनके नौकर अथवा दूसरे लोग उन दूकानों पर बैठते हैं।

एक सदस्य---

हमारे जिले में जनसंघ के लोगों के पास दूकानें हैं।

श्री शारदाभक्तसिंह---

आज सरकार यह कह कर नहीं टाल सकती कि जनसंघ के लोगों के पास दूकानें हैं अथवा सोशलिस्ट पार्टी के लोगों के पास दूकानें हैं। किसी भी पार्टी का वह क्यों न हो, सवाल यह है कि आप उसको क्यों रोक नहीं पाते हैं ? मैं इस बात का दावा करता हूं कि अगर आप मुझे मौका दें तो कांग्रेसी भी अगर कोई गलत काम करता है तो वह नहीं करने पायेगा।

अभी मैंने सुना कि खाद्य मंत्री ने कहा कि हम जखीरेबाजों के हाथों से गल्ला खींचना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उनके पास जो गल्ला रखा है वह जनता तक पहुंचे, लेकिन हमने विरोधी दल के लोगों से सलाह नहीं की थी, वे लोग हमें करने नहीं देते। अगर यही आपकी ईमानदारी है और इसी ईमानदारी के बूते पर आप प्रान्त की अन्न समस्या हल करना चाहते हैं, तब मैं क्या कहूं ? मैं आप से कहना चाहता हूं कि विरोधी दल के लोगों ने प्रारम्भ में ही आवाज उठाई कि यह सरकार निकम्मी है, इसकी पुलिस निकम्मी है, इसका सी० आई० डी० निकम्मा है जिसने जखीरेबाजों से गल्ला तक नहीं निकाला जब कि जनता भूखों मर रही है। भले ही आप कहें कि दूकानें जनसंघियों के पास हैं, और जनसंघ के लोग जखीरेबाजों को अन्न नहीं निकालने देते और सोशलिस्ट पार्टी इसी तरह से चिल्लाती है। इस बात को आप सदन में भले ही कह दें लेकिन उत्तर प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता आपको कभी क्षमा नहीं करेगी कि आप ऐसे मौके पर भी सच नहीं बोले जबकि लोग मर रहे थे। ऐसे मौके पर भी आप झूठ बोल कर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि कहीं तो ईमानदारी राजनीति में आनी चाहिये और इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके अन्न वितरण की जो व्यवस्था है वह बहुत ही दोषपूर्ण है, और इसमें इस तरह का भ्रष्टाचार है कि लोगों का सांस लेना भी मुश्किल है। अगर हमारे पास अन्न की कमी होती और अन्न की वितरण व्यवस्था अच्छी होती, जनता का स्तर ऊंचा रखने के लिये आपके नीचे अधिकारी दौड़ते-धूपते दिखलायी देते तो हम भी कहते और जनता भी कहती कि इस संकट की स्थिति में आप उसके लिये कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप तो यहां गद्दी पर बैठे हुये हैं और आपके तमाम आफिसरों ने जिले जिले में भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है, फिर भी आप कहते हैं कि आपने अच्छा इन्तजाम किया है। हर जिले में १०-१० और ११-११ साल से इंस्पेक्टर एक ही जगह पड़े हुए हैं और जो उसी जिले के रहने वाले भी हैं और जिनका स्थानीय रोजगारियों से निकट का सम्बन्ध है। वे एक-एक मिनट की खबर उन्हें देते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि एक बार नहीं बल्कि कई बार आपसे कहा गया कि १०-१० वर्ष से इंस्पेक्टर एक ही जिले में पड़े हुये हैं, लेकिन आपकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनको वहां से हटा कर दूसरे जिले में भेज दें। क्या आप समझते हैं कि वे भ्रष्टाचार नहीं करते हैं ? मैं कहता हूं कि आप अपने हृदय पर हाथ रख कर देखें तो मालूम हो जायगा कि असलियत क्या है। ऐसे मौके पर जब कि उत्तरी सीमा पर हमारे पौरुष को दुश्मन ललकार रहा है, पाकिस्तान हमारे साथ उल्टी सीधी बातें कर रहा है, और इसी देश के अन्दर पंचगामी चाऊ की फोटो लगाकर कान्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या आप समझते कि अन्न वितरण की व्यवस्था के इतना दोषपूर्ण रहते हुये देश की जनता से अपने को दूर रख कर आप मंत्रिमंडल में बने रह सकेंगे ? मैं कहता हूं कि आप को त्याग-पत्र देना होगा, लेकिन इस चीज को अगर देशद्रोह की संज्ञा दी जाय तो वही आपके लिये ठीक होगा। कम से कम आप भारत की इज्जत को तो देखते। और मैं क्या बताऊं, डी० आई० आर० का इस्तेमाल इस संकट काल में किया जाय तो आपका स्थान इसी कुर्सी पर न होकर जेल में ही होना चाहिये था....

श्री अधिष्ठाता---

माननीय नेता विरोधी दल, आपका निर्दिष्ट समय तो समाप्त हो गया है, अब आप और कितना समय लेंगे ?

श्री शारदाभक्तसिंह---

१० मिनट ।

श्री अधिष्ठाता---

ठीक है, आप बोलें ।

श्री शारदाभक्तसिंह---

अभी उधर से एक आवाज सुनाई दी कि आखिर हमारी सारी व्यवस्था दोषपूर्ण है, हमारी खाद्य नीति सही नहीं है तो आप क्या कहना चाहते हैं, आप ही कोई रास्ता बतलावें । तो मैं उस से मुंह नहीं मोड़ना चाहता । १० मिनट में हम संकेत मात्र में ही कुछ बातें कह सकेंगे । लेकिन मैं आप से कहना चाहता हूं कि तीन प्रकार की व्यवस्था की बात कही जा रही है । एक तो यह कि स्वतंत्र व्यापार कर दिया जाय, कोई हस्तक्षेप सरकार न करे और अपने ढंग से चलने दे । मैं उस पर ज्यादा न कह कर इतना कहूंगा कि सरकार कल्याणकारी राज्य में विश्वास करती है और व्यापार को या खाद्यान्नों के व्यवसाय को अपने ढंग से नहीं चलने देना चाहती और न उसे देना चाहिये । दूसरे पूरे तौर पर स्टेट ट्रेडिंग, सारे अधिकार को अपने हाथ में लेने की बात है वह ले और सारे भ्रष्टाचार और दोषों को अपने सिर पर ले जो कि उसके कारण पैदा होते हैं और सारी जनता की कठिनाइयों को और बुराइयों को अपने ऊपर ले और सारे बाजार की एकानामी को डिसटर्ब कर दें, वह रास्ता भी मेरी समझ से ठीक नहीं है । लेकिन चूंकि आपने राजनीतिक दृष्टि से समाजवाद का नारा लगाया है और आपने राष्ट्रीयकरण की नीति को अपनाने की बात कही है, उसमें चाहे जितना पैसा जाय, चाहे जितनी अव्यवस्था हो, चाहे माल कम मिले या न मिले, लेकिन आपने आखिरी बात कह दी । मैं साफ तौर से कहता हूं कि मैं भी उसमें विश्वास नहीं करता ।

केवल एक बीच का मध्यवर्ती रास्ता है और भारतीय जनसंघ उसमें विश्वास करता है। हम चाहते हैं कि आंशिक व्यापार के रूप में अगर सरकार बाहर से खाद्यान्न मंगा कर खुले बाजार और मंडियों में बेचने के लिये रखे, अपने भंडारों में न रखे । आप कहेंगे कि ९० हजार टन नेगी साहब के भंडार में भरा था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी खरीदा, यह सब तो सरकार कर रही है, लेकिन मेरा बल इस बात उस पर है कि सरकार अपने भंडारों में उस अनाज को भर कर भुखमरी के वक्त तक के लिये इंतजार न करे । वह एक एकोनामिक यूनिट की तरह, व्यवसाय के रूप में, खुले बाजार में गल्ला मंडियों में रखे और इस तरह से भावों पर नियंत्रण करे । आप शायद मेरी बात को समझ गये होंगे । गल्ला ९० हजार टन नेगी साहब के भंडार में भरा था और लाखों टन गल्ला केन्द्रीय सरकार के भंडार में भरा है, लेकिन उसका कोई दबाव बाजार पर नहीं है । भुवनेश्वर के बाद तमाम भाषण स्टेट ट्रेडिंग के लिये होने लगे । आपके नेगी साहब ने वक्तव्य दिया और बाजार में जो लाखों मन गल्ला था वह भी कहीं डाल दिया गया और उसका कोई दबाव बाजार पर नहीं हुआ । अगर हमें मालूम हो कि १० हजार टन गल्ला रखा है जो मंडी में लाया जा सकता है और जो खुले बाजार में आ सकता है, जनता को इसका पता हो, इसका डर हो कि ९० हजार टन किसी वक्त भी खुले बाजार में लाने के लिये सरकार उद्यत है, तो उसका भारी, दबाव बाजार पर पड़ेगा और इस डर से कोई जखीरेबाजी नहीं करेगा और दाम ऊंचे नहीं जायेंगे । अभी १५ दिन पहले जब तक खाद्य मंत्री का बयान नहीं हुआ था लोगों को मालूम है कि गल्ला ऊंचे दामों पर बिक रहा था, लेकिन जैसे ही जो दबाव था उसको काट दिया गया, जनता को विश्वास नहीं रहा कि गल्ला मिलेगा या नहीं । अगर जनता का विश्वास बनाये रखा जाता तो यह दशा न होती । आप समझते रहे कि हमारे भंडार उस दिन के लिये हैं कि जब क्राइसिस होगी और तभी हम देंगे । आपने फेयर प्राइस शाप्स चलाई और आप समझते रहे कि इससे प्राइसेस पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आप के यहां गल्ला २ सेर ८ छटांक बिकता रहा और बाजार में १ सेर ८ छटांक का बिकता रहा। आपने फेयर प्राइस शाप्स को राशनिंग बना दिया। आप खुले मार्केट पर कोई दबाव नहीं डाल सके। अगर आप आंशिक व्यापार के रूप में एक

[श्री शारदाभक्तसिंह]

एकोनामिक यूनिट की तरह आप बाजार के भाव पर वहां की एकोनामिक दशा पर असर डालते तो आज यह परिस्थिति न होती। आप तो अपने एकाधिकार से मार्केट की एकोनामी को ही खराब करना चाहते हैं और आप में ७ करोड़ जनता का पोषण करने का साहस नहीं है।

दूसरा प्रश्न यह है कि जब सरकार गल्ला लेगी तो उसे लेवी करना होगा, जबरदस्ती गल्ला लेना पड़ेगा और उससे तमाम कठिनाइयां होंगी। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को किसानों को अग्रिम रुपया देकर सट्टा कराना चाहिये। सरकार उनसे कहे कि तुम्हारी फसल आने पर हम इस भाव से इतना गल्ला लेंगे। अगर आप अग्रिम सट्टा उसके साथ करेंगे तो उसको आप उसकी बेबसी से बचा सकते हैं जिसके कारण उसको कम भाव पर ट्रेडर को गल्ला देना पड़ता है और आपको उचित मात्रा में गल्ला भी मिलेगा। रेम्युनरेटिव प्राइस पर उससे सरकार अग्रिम सट्टा करे। अगर आपने ऐसा किया तो आपको गल्ला मिलेगा और किसान को विश्वास भी होगा कि अगर हमसे कोई कम दाम पर लेता है तो उसको नहीं देंगे जब कि हमको सरकार पहले ही रुपया दे रही है। तो सरकार को उत्पादन और आंशिक व्यापार को लिंक कर देना चाहिये, इससे उसको गल्ला मिल जायगा और प्रारम्भ में ही किसानों को अपने उत्पादन की उचित कीमत मिल जायगी और जब गल्ला आपके पास होगा तो फ्री मार्केट में आंशिक व्यापार करके आप सारे मार्केट के मूल्यों पर नियंत्रण कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें, और ट्रेड भी नियंत्रित हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि समाजवाद के नाम पर आप दूसरी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। जनसंघ की ओर से कई सुझाव दिये गये और मुझे मालूम है कि जब आप बाहर गल्ला खरीदने जाते हैं तो गल्ला देने वाला आप को टर्म्स डिक्टेट करता है और यह इस वजह से होता है कि आप गल्ला लेने तब जाते हैं जब आपके भंडार समाप्त हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि आप के भंडार चलते रहें, भरते रहें और वह जनता तक सामान लगातार पहुंचा सकें। अगर निरन्तर मार्केट में गल्ला आता रहेगा तो आपकी हर कमी पूरी हो सकती है।

समय की कमी के कारण मैं पूरे विचार आप के सामने नहीं रख सकता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि कल आपने प्रदर्शन देखा, सब जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, आपके पास हजारों, लाखों तार आ रहे हैं, आप से जनता क्या चाहती है? एक बात मैं आपके फूड नोट से पढ़ देना चाहता हूं:

"Consumers are clamouring, the State govt. is unable to supply food grains to them, and they are demanding to quit office and follow the example set up by our present Prime Minister when he was Minister for Railways."

खाद्य मंत्री कहते हैं कि कंज्यूमर्स और उपभोक्ता हमसे निरन्तर मांग कर रहे हैं कि हम भूतपूर्व रेलवे मिनिस्टर, श्री लाल बहादुर शास्त्री की तरह अपने पद से इस्तीफा दें और लोगों को राहत मिलने दें। अब इसके आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। प्रदेश की जनता आपसे इस्तीफा मांगती है, आप स्वयं कह रहे हैं कि कन्ज्यूमर्स और उपभोक्ता बराबर मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा दें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अकेले नेगी जी के इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा। सच्ची बात कहने में कोई पाप नहीं है। सारी जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की है, जिसके कारण यह परिस्थिति पैदा हो गई है और यदि आपने अनुभव किया है कि जनता आपसे इस्तीफा चाहती है, विरोधी दल के सदस्यों ने मांग की है कि अब वह स्थिति आ गयी है कि आपको मंत्रिमंडल में नहीं रहना चाहिये, जनता चाहती है यह आपने अपने नोट में खुद लिखा है। लोकतंत्र में विरोधी दल भी जनता का प्रतिनिधित्व करता है, हम आपसे ईमानदारी से जनता की बात कहते हैं कि अगर आप जनता की बात नहीं मानते, अपनी वितरण व्यवस्था के दोष को नहीं मानते और कुर्सी से हटना नहीं चाहते, जनता पर भुखमरी आ गई है और आप हटने को तैयार नहीं हैं तो प्रान्त चुप नहीं बैठा रहेगा। प्रान्त में १९४३ की बंगाल वाली पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। वे दिन चले गये जब आप अपनी गद्दी पर आनन्द करते रहे। आपकी नीतियों के कारण ही प्रदेश में भुखमरी आ गयी है। इस भूख की ज्वाला में अगर आप कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो यह सरकार भस्म हो

जायगी और चल नहीं सकेगी। आप गद्दी नहीं छोड़ना चाहते, हमारे अविश्वास के प्रस्ताव पर भी, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका सदन में बहुमत है। पर वे लोग भी चिल्ला रहे हैं कि आप असफल हो गये और आप पर जनता का विश्वास नहीं रह गया। इसका यह भी परिणाम हो सकता है कि एक ऐसा आन्दोलन हो या तड़पन हो किसानों में और जनता में कि आपको ला ऐंड आर्डर पर व्यवस्था करना कठिन होगा। हमारे पुलिस मंत्री शायद यह कह देंगे कि जब तक हम बैठे हैं हजारों को ही नहीं लाखों को ठीक कर देंगे लेकिन मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि भूखों पर डंडे नहीं चलाये जाते। इसलिए मैं आप से भी कहना चाहता हूं कि आप नैतिक आधार को समझ कर भी यदि इस्तीफा नहीं देते हैं तो मैं आपको कहे देता हूं कि इस आन्दोलन से आपको मजबूर होना पड़ेगा। जनता के सामने कि आप इस्तीफा दें। बेइज्जत होकर हटें तो क्या हटे। इसलिए समय है कि उस आन्दोलन की लगन जो लोगों में है, उद्विग्नता है और समय की मांग समझकर अगर आप स्वयं हट जायं तो जनता और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ समझेगी और अगर आप नहीं हटे तो ऐसा आन्दोलन होगा कि न तो हम चैन से बैठेंगे और न आप को ही चैन से बैठने देंगे। मैं आप से पुनः कहना चाहता हूं कि लोगों को भूख से नहीं मरने दिया जायगा और अगर आप जबरदस्ती गद्दी पर बैठ कर अपनी गलत नीतियां चलायेंगे तो ऐसा आन्दोलन होगा जिसका सामना आपको करना कठिन होगा।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, भारतीय जनसंघ के नेता मेरे जिले के हैं। जो यह प्रस्ताव माननीय नेता भारतीय जनसंघ ने प्रस्तुत किया है उसकी भावना, उसका मकसद मैं केवल एक समझ पाया हूं और वह यह है कि खाद्य स्थिति उनकी निगाह में खराब है और कोई केस हमारे नेता विरोधी दल मेक आउट नहीं कर सके हैं। केवल अन्न की समस्या पूरे ५० मिनट में उन्होंने प्रस्तुत की है। मैं इसे मानता हूं और यह सरकार भी मानती है। माननीय खाद्य मंत्री ने जिस सफाई के साथ और जिस हिम्मत के साथ और जिस दूरदर्शिता के साथ स्पष्ट शब्दों में आपके सामने तथ्य प्रस्तुत किए हैं, कोई भी सरकार या जिम्मेदार मंत्री इतनी स्पष्ट बात नहीं कह सकता है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, उत्तर प्रदेश के किसान जानते हैं, जखीरेबाज नहीं जानते, उत्तर प्रदेश के मुनाफाखोर नहीं जानते, उत्तर प्रदेश के ब्लैक मार्केटियर्स नहीं जानते कि उसके ऊपर दैवी संकट आया है और "उन दैवी संकटों के कारण स्थिति ऐसी हुई कि इस प्रदेश में १४ लाख टन गेहूं कम पैदा हुआ, एवरेंज प्रतिवर्ष से। श्रीमन्, यह किसान जानता है कि कमी है गल्ले की और खाद्य मंत्री जानते हैं जिन्होंने स्पष्ट और साफ तरीके से माननीय विरोधी दल के नेताओं के सम्मुख अपना बयान दिया। जो उद्धरण माननीय विरोधी दल के नेता ने पढ़ कर सुनाये हैं वे सिल सिले के बाहर हैं। क्यों यह नौबत आई, उसके कारण क्या हैं, इस सम्बन्ध में आप अगर चाहें तो मैं कुछ बातें बतला दूं। कारण यह है कि अप्रैल में स्टाक हमारे पास था। मई में भाव नीचे आये। जनवरी में डायरेक्टर जनरल, भारत सरकार ने कहा था कि उनके पास स्टाक बहुत है। यह स्टेट अभी केन्द्र पर निर्भर करती है, लांछन आप भले ही किसी पर लगायें। मैं नेता विरोधी दल से जानना चाहूंगा कि वे बतलायें कि किन-किन चीजों में वे विश्वास करते हैं? फ्री मार्केट (स्वतंत्र व्यापार)। फ्री मार्केट जो शब्द है, वह अमेरिका की फ्री वर्ल्ड स्वतंत्र संसार तो नहीं है। मुझे फ्री स्वतंत्र से बड़ा डर लगता है। फ्री मार्केट का यह मतलब है कि सेर भर और १८ छटांक का गल्ला बाजार में बिके। ब्लैक मार्केट और भ्रष्टाचार को यह सरकार नहीं रोक पाई तो इसे तो गुलजारीलाल नन्दा और सुचेता कृपालानी कहती हैं कि ब्लैक मार्केट और भ्रष्टाचार अभी है। कौन सी नई बात आपने कही? उस पर काबू किया जा रहा है। उसमें समय लगेगा। (व्यवधान) सरकार ने ढाई सेर का गल्ला दिया फेयर प्राइस शाप्स के जरिये। आप चाहते हैं कि फ्री मार्केट के जरिये वह सेर भर का बिके? फिर उनके अविश्वास के प्रस्ताव के साथ यह भी धमकी है कि गल्ला जखीरेबाजों तथा मुफानाखोरों को छुआ न जाये। उन्हें कमाने का मौका दिया जाय और सेर भर का बेचने दिया जाय। इसके साथ यह भी धमकी है जिसे माननीय पुलिस मंत्री कान खोल कर सुन लें कि अगर वे अल्पमत का कहना नहीं मानेंगे तो यह जो सरकार वैधानिक तरीके पर बनी है, वह

[श्री जे० पी० मिश्र]

उलट दी जायगी और आवश्यकता पड़ी तो भस्म कर दी जायगी, यानी हिंसा की जायगी। और नेता क्या कहते हैं मुझे सुनने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमारे जनसंघ के नेता ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उसकी ओर मैं माननीय पुलिस मंत्री का ध्यान अवश्य आकर्षित करना चाहता हूं कि इसके पीछे हिंसा की धमकी है और हिंसा किसी भी समय प्रारम्भ की जा सकती है। (व्यवधान)

अधिष्ठाता महोदय, भुवनेश्वर में कांग्रेस ने कुछ बड़े अहम फैसले लिये। समाजवाद और प्रजातन्त्र के फैसले अभी कुछ महीने पहले हुये और मेरा यह विचार है और जहां तक मैं समझता रहा हूं वह यह है कि यह जखोरेबाज, मुनाफाखोर और ब्लैक मार्केटियर्स इस प्रस्ताव की भावना को खत्म कर देना चाहते हैं और इसके पीछे मैं प्रगतिशील पार्टीज की बात नहीं कहता हूं जिनका दृष्टिकोण हमसे मिलता है और जो समाजवाद के माफिक हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसके पीछे फ्री मार्केट वाली पार्टीज हैं, जो जखीरेबाजों को, मुनाफाखोरों को और ब्लैक मार्केटियर्स को पनपाना चाहती हैं और समाजवाद और प्रजातंत्र को खत्म करना चाहती हैं।

श्रीमन्, कल मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम गवर्नर को सिफारिश कर देंगे, आप आइये, सरकार बनाइये, गद्दी चलाइये और राज्य का संचालन कीजिये बशर्ते कि कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा वाली बात न करें। आप सब एक राय हो जायं। लेकिन यह सब कैसे होगा ? एक कहता है कि फ्री मार्केटिंग हो, दूसरा स्टेट ट्रेडिंग कहता है और तीसरा सोशलिज्म के खिलाफ कहता है, इस तरह से इन लोगों में कंट्राडिक्शंस हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आपके १३ मिनट हो गये हैं। २/३ मिनट और बोल लें।

श्री जे० पी० मिश्र--

श्रीमन्, उनको २० मिनट अधिक दिये।

श्री अधिष्ठाता--

नेता विरोधी दल का स्तर आपको नहीं मिल सकता। तीन मिनट में खत्म कर दें।

श्री जे० पी० मिश्र--

आप मेरे दिमाग से बात भुला देते हैं। अगर आप कहें तो मैं बैठ जाऊं। मैं अपनी बात तो कह लूं।

श्री अधिष्ठाता--

आप तीन मिनट बोल लें।

श्री जे० पी० मिश्र--

श्रीमन्, इनकी स्ट्रैंग्थ १४४ थी जो आज घटते-घटते १२१ ही रह गई है और १९६६ तक यह केवल ५० तक ही सीमित रह जाने वाले हैं, क्योंकि हमारी नीति प्रगतिशील है, हम समाजवाद और प्रजातंत्र की ओर जा रहे हैं और जो अड़चनें पड़ेंगी उनको कुचलते हुए आगे चलते जायेंगे। मैं हरदोई के मुताल्लिक कहना चाहता हूं कि हमारा त्याग देखिये। हमने १५० टन गल्ला कानपुर का पेट भरने के लिये दिया। मैं कहना चाहता हूं कि जितने गल्ले से हमने मदद की है उससे अब आप हमारी भुखमरी दूर करें।

दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में राज्य व्यापार निगम (स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन) फौरन स्थापित करें, एंटी जखीरेबाजी के खिलाफ अध्यादेश आप फौरन इजरा कीजिये। स्टाकिस्ट्स को नोटिस दीजिये कि १५ दिन के अन्दर अपने गल्ले की रिपोर्ट दें और जो न दे उसको

३ साल की सख्त कैद की सजा दें । उसके साथ किसानों को रिलीफ दें । १२ साल का बकाया आप माफ करें । कुएं, ट्यूबवेल्स, रहट सरकार की तरफ से किसानों के लिये दिये जायं, ५ या १० साल के लिये वसूली में सहूलियत हो, खरीफ की फसल पैदा करने के लिये मदद दी जाय, अन्न संकट में किसानों के दिल-दिमाग को जुटाने के लिये खरीफ का पूरा लगान छोड़ देने का ऐलान हो। यह सब हो जाय तो मैं आपसे कहता हूं कि अन्न का संकट बहुत जल्द दूर होगा। इसके साथ ही रबी का बीज भी अभी से मंगाने की व्यवस्था हो । इतना ही मुझे कहना था।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं किसी पूर्व वक्ता की बात का जवाब इस सदन में नहीं देना चाहता, किन्तु एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के नाते उत्तर प्रदेश की वास्तविक स्थिति के विषय में अपने विचार रखूंगा। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। इसमें लोहे की, इस्पात की, या दूसरी चीजों की कमी पड़े तो बात समझ में आ सकती है क्योंकि यहां यह चीजें पैदा नहीं होतीं लेकिन, जहां पर ८७ फीसदी काश्तकार हों, जहां पर ४ करोड़ एकड़ जमीन खेती योग्य हो, वहां पर अन्न की कमी हो, इससे ज्यादा शर्म की बात हो नहीं सकती ।

मैं रसद कमेटी की मीटिंग में आया था । माननीय नेगी जी ने बताया कि १६ लाख टन गल्ले की कमी है । माननीय चरणसिंह जी ने अपने भाषण में फरवरी में यह कहा था कि इस प्रदेश में अन्न की कमी पड़ने की कोई संभावना नहीं है। नेगी जी ने भी बार-बार यह कहा था कि हमारे पास पूरा राशन है और हम सप्लाई करेंगे। मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का इस वर्ष १५८ लाख टन अनाज पैदा करने का लक्ष्य था, नेगी जी के शब्दों में सिर्फ १४२ लाख टन पैदा हुआ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सिर्फ १३२ लाख टन अनाज पैदा हुआ। तो २६ या २७ लाख टन अनाज की कमी निश्चित है जो उत्तर प्रदेश की पूरी आबादी के लिये २ छटांक के हिसाब से भी कम पड़ती है। तो यह बात तो फरवरी में ही आपको विरोधी दलों की ओर से बता दी गयी थी कि गल्ले की कमी पड़ेगी। आपका अनुसंधान विभाग सोता तो नहीं था । आपको २७ लाख टन की जगह पर ५४ लाख टन अनाज मार्च में मंगाना चाहिये था और अगर आपने वह कर दिया होता तो आज अन्न का यह संकट न पड़ता ।

मैं एक मोटी बात और रखता हूं । अर्थशास्त्र का एक नियम यह है कि यदि प्रदेश या देश के अन्दर किसी चीज का नियमित तरीके से बटवारा हो तो उसकी कमी पड़ने में काफी समय लगता है । लेकिन फरवरी में आपने कहा कि आपके पास पूरे दिनों के खाने के लिये है। मार्च में नयी फसल आयी और अप्रैल से ही अन्न का कलह मच गया। अब की तो फसल में ही कलह मच गया। किसी कर्मचारी को १०० रुपये या २०० रुपये महीना वेतन मिलता हो और वह अपने घर में कहे कि पहले भूखे मर लो फिर पिछले दिनों में खायेंगे, क्योंकि पीछे कम पड़ेगा तो यह बात कितनी असंगत होगी । दो महीने के लिये कुल, अन्न की कमी पड़ सकती थी अगर वितरण व्यवस्था ठीक होती । आपको तो सही बात मालूम थी कि गल्ले की कमी थी । जितना गल्ला आज मौजूद है १३२ लाख टन, वह साढ़े सात करोड़ जनता के लिये जब तक दूसरी फसल नहीं आती तब तक सिर्फ दो महीने के लिये कम पड़ सकता था । उसके लिये पहले से आपको इन्तजाम करना चाहिये था । ३० से ४० लाख टन चावल की पैदावार अधिक होने का अन्दाजा इस साल है। तो मैं दोनों बात रखना चाहता हूं कि सरकार कहे कि केन्द्रीय सरकार ने हमको अनाज नहीं दिया और केन्द्रीय सरकार कहे कमलापति जी के शब्दों में कि सूबा सरकार ने लिखा ही नहीं, तो इन बातों में कितना विरोधाभास है । सूबे की सरकार भारतीय सरकार की ही एक इकाई है । न तो कोई दूसरी सरकार दिल्ली में है और न यहां ही कोई दूसरी सरकार है । अगर ऐसी बातें कही जाती हैं तो हंसी आती है सबको सुनकर । साफ-साफ उत्तर प्रदेश की सरकार को कहना चाहिये आंकड़ा लगाकर कि कितने गल्ले की कमी पड़ती है । उसका इन्तजाम करना चाहिये। नहीं कर पाई है तभी तो श्रीमन्, साढ़े सात करोड़ जनता में हाहाकार मचा हुआ है, उसको जवाब देना पड़ेगा । हम इस्तीफे की बात कहें या न कहें, अविश्वास में यह सरकार गिरे या न गिरे, यह सरकार ढाई साल पहले की चुनी हुई सरकार है, पर आज जो

[श्री राधेश्याम शर्मा]

स्थिति है, एक-एक इलाका मिनिस्टर जाकर देख लें, मालूम पड़ जायगा। मैं जानता हूं, मंत्रियों और एम० एल० एज० को तो भूख सताती नहीं। तनख्वाह और भत्ता तो हमने डेढ़ गुना करा ही लिया और मिनिस्टरों का जो हाल है वह आप जानते ही हैं। लेकिन आज मध्यम वर्ग की हालत देखिये, मजदूरों की हालत देखिये, किसानों की हालत देखिये, सारे प्रदेश में एक कलह का वातावरण मचा हुआ है और उस पर भी सरकार यह कह दे कि सरकार की खाने की जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर सरकार की जिम्मेदारी काहे की होती है। सरकार के चार ही पांच काम तो हैं, सुरक्षा, खाने-पीने का इन्तजाम करना भी इसी में है और जो सरकार इसका इन्तजाम न कर सके, वह ऊपर से एक बयान यह और दे दे कि रोटी का इन्तजाम सरकार का काम नहीं है, यह जले पर नमक छिड़कने का काम करता है।

तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह कांग्रेस सरकार सोलह सालों में बिलकुल फेल हो चुकी है। दूसरे प्रगतिशील मुल्कों में २० मन फी एकड़ के हिसाब से पैदा होता है और हमारे यहां ४ मन फी एकड़ से ज्यादा कभी १६ साल से पैदा हुआ ही नहीं। आदरणीय डाक्टर राममनोहर लोहिया ने पहले ही कह दिया था कि ६४ और ६५ में आपकी योजनाओं का कुफल आपके सामने आयेगा। अगर लघु सिंचाई योजनाओं को अपनाया होता, अगर ठीक बीज और खाद दिया होता, अगर सही तरह की दाम नीति को चलाया होता तो यह सरकार कभी भी पचड़े में नहीं पड़ सकती थी। इस सरकार के पास कोई हिसाब रहता ही नहीं। गेंहूं जैसे ही फसल में तैयार हुआ १६ रुपये, १७ रुपये मन बिकता है और वही काश्तकार जब दो महीने बाद मांगने जाता है तो २७–२८ और ३०–३२ का भाव हो जाता है। यह बिलकुल ही दकियानूसी और वह परम्परा है जिसमें समाजवाद कभी फलफूल नहीं सकता है। सोशलिस्ट पार्टी बार-बार यह बात कहती है। इससे पहले भी सोशलिस्ट पार्टी ने अनेक बार इस सदन में भी और इस सदन के बाहर भी यह कहा कि प्रगतिशील मुल्कों में हर जगह दाम नीति होती है। अब जाकर केन्द्रीय सरकार का कुछ माथा ठनका है, लेकिन वह भी प्रगतिशील दाम नीति नहीं चाहते हैं। यह कहने लगे हैं कि दामों में कुछ सन्तुलन होना चाहिये। हमारी बात अगर इसलिये नहीं मानते हैं कि हम विरोधी दल के लोग कहते हैं या समाजवादी खयाल के लोग कहते हैं, इसलिये नहीं मानेंगे, तो यह आपकी भारी भूल है। अगर दाम नीति निश्चित बन गई होती, दो फसलों के बीच एक आने से ज्यादा उतार चढ़ाव दामों में न हो और कल-कारखानों और मशीनों इत्यादि से बनने वाली चीजों के दाम लागत के ड्योढ़े से ज्यादा न हों तो कभी भी १६ साल के अन्दर यह बात न उठती। यह तो उठायी जा रही है इसलिये कि जखीरेबाज फलें फूलें और मिल मालिकों को फायदा हो। जब कभी यह बात उठायी जाती है तो यह सरकार हमेशा बास्तविक स्थिति से हटकर दुनिया भर की अंड-बंड बातें करती है।

आपको इसकी चिन्ता नहीं करनी है कि विरोधीदल सरकार बना पायेगा या नहीं। आपको यह जवाब देना है कि इस प्रदेश में भुखमरी है या नहीं और उसके लिये आप क्या उपाय करने जा रहे हैं। वस्तुस्थिति क्या है और जवाब आप क्या देते हैं। आप कहते हैं कि ५, ७ पार्टी के नेता लोग हैं तो गवर्नर से किसका नाम रिकमेन्ड करें और कौन प्रधान मंत्री हो। अगर हम किसी का नाम एकमत हो कर भी आपको लिखकर दे दें तो क्या उसका नाम आप गवर्नर को भेजकर उसको मुख्य मंत्री बना देंगे? आपकी पार्टी के ही एक नेता हैं कमलापति त्रिपाठी, जो रोज त्याग-पत्र देने की बात करते हैं और दिल्ली जाया करते हैं उनको तो आप मुख्य मंत्री बनाने को तैयार हैं ही नहीं, तो फिर विरोधी दलों को सरकार देने की तो बात बहुत बड़ी होती है। अगर मैं यह कहूं कि अंग्रेजी राज्य में जो ढांचा था उसमें जो कठिनाई थी वही आज भी बनी हुई है सिवाय इन असेम्बली को छोड़कर जहां पर हम लोग आ गये हैं। भुखमरी, बेकारी, जुल्म, ज्यादती, बीमारी, अशिक्षा, आज सभी बने हुये हैं। मैं इस सम्बन्ध में १०१ साल पुराना कार्ल मार्क्स का एक पैरा पढ़ दूं तो आपको मालूम होगा कि कितनी सही बात उस समय मार्क्स ने लिखी थी जो आज ज्यों की त्यों लागू हैं। कार्ल मार्क्स "हिन्दुस्तान में सभी गृह युद्ध, आक्रमण, क्रान्तियां, विजय, दुर्भिक्ष, एक

के बाद दूसरे से कितने ही जटिल, उग्र और विनाशकारी क्यों न जान पड़ते हों, फिर भी वह ऊपरी स्तर तक ही रहे, नीचे गहराई तक वह नहीं जा पाये। परन्तु इंगलैंन्ड ने तो भारतीय समाज का सारे का सारा ढांचा क्षत विक्षत कर दिया और पुनर्निर्माण का अभी तक कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा। इस भांति एक तरफ अतीत का सब कुछ छिन जाना और दूसरी तरफ नया कुछ भी न मिलना, इससे भारतीय जनता की वर्तमान दुखपूर्ण स्थिति और भी निराश हो उठी है। भारत पर ब्रिटिश शासन ने उसका अपनी सभी प्राचीन परम्पराओं, अपने समूचे पिछले इतिहास से सम्बन्ध विच्छेद कर दिया है।" इस प्रकार विधान सभा में हमारे चुनने की बात छोड़कर और कोई बात अब भी नजर नहीं आती है। मार्क्स की १०१ साल पुरानी कल्पना आज भी ज्यों की त्यों सही मालूम पड़ती है।

मान्यवर, अधिक बात नहीं कहना चाहता हूं, समय की कमी के कारण केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक यह सरकार सही दाम नीति पर नहीं चलेगी और पैदावार के लिये एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करेगी और एक निर्धारित लक्ष्य को लेकर आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक कोई काम कर नहीं सकती है। तब तक यह प्रदेश भूखा मरता रहेगा। अकेले नेगी जी का कोई कसूर नहीं है। यह तो सामूहिक जिम्मेदारी की बात है। मैं भी इसको मानता हूं। जब किसी घर की महिला का पति सामान लाकर घर में रखेगा तभी वह महिला घर का इन्तजाम कर सकती है। उसकी निजी जिम्मेदारी कम होती है। लेकिन यहां पर तो सभी मंत्रिगण के लोग अपना-अपना काम करते हैं पर कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करते। कोआपरेटिव का कर्जा बांटा जाता है, लेकिन कुसमय में डंडे मारकर बुरी तरह से वसूल कर लिया जाता है। पिछले मार्च-अप्रैल, मई-जून में सारी नहर सूखी पड़ी रही, लेकिन गिरधारीलाल जी सिंचाई मंत्री न मालूम कहां बैठे रहे। यहां सदन में तो वह कभी दिखाई देते ही नहीं हैं। न मालूम उनका सिंचाई विभाग क्या करता रहता है जो जरूरत पर लोगों को पानी नहीं दे पाता। यह इन लोगों की जिम्मेदारी है? हमारे वित्त मंत्री जो इस प्रान्त के कुबेर हैं मगर उनका कमरा हमेशा बन्द ही पड़ा रहता है। यहां पर सदन में भी वह कभी नहीं आते हैं। कभी दिल्ली और कभी कहीं, इस तरह से उनका दौरा लगा रहता है। कभी वह सरकार पलटने की बात करते हैं और कभी त्याग-पत्र की बात करते हैं। वित्त मंत्री जी ने अपना इस्तीफा गवर्नर को दे दिया है। मैंने अखबार में पढ़ा था कि कई महीने उनको इस्तीफा दिये हुये हो गया पर आज तक उसको मंजूर नहीं किया गया है। मुख्य मंत्री जी कहती हैं कि उनका इस्तीफा मंजूर करने में उनको कोई हिचकिचाहट नहीं है। जब कोई हिचकिचाहट नहीं है तो देर क्यों है? तो मैं ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी की बात कहना चाहता हूं। प्रदेश की जनता जानती है कि आपके मंत्रि-मंडल में आपस में कितना मतभेद है और उससे आपका सभी को खोखलापन नजर आता है। हमारा तो इस सरकार में अविश्वास है ही, आज साढ़े सात करोड़ जनता को भी अविश्वास हो गया है। मुश्किल से एक दो फीसदी लोग आज सरकार के साथ होंगे। आज कोई भी मंत्री इस भूख के प्रश्न पर चुनाव लड़ सकता है और आठ दिन के नोटिस पर, अगर इनकी जमानत लौट कर आ जाय तो मैं कोई भी सजा पाने के लिये तैयार हूं।

*श्री रामाधीन राय (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप के माध्यम से सब से पहले विरोधी पक्ष में बैठने वाले प्रत्येक सदस्य से यह आग्रह करना चाहूंगा कि मैं जो भी विचार इस समस्या के संबंध में व्यक्त कर रहा हूं उसे पार्टीबाजी से ऊपर उठ कर देखने की कृपा करें।

मान्यवर मैं यह मानता हूं कि खाद्य संकट है और यह प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में है और यह भी मानता हूं कि आज इसका स्वरूप राष्ट्रीय संकट का हो गया है। आज के पूर्व जब भी यह संकट आया, एक किसी विशेष क्षेत्र में आया, लेकिन आज यह पूरे देश में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायणराय]

अपना प्रभाव जमा चुका है। यह सही है कि विभिन्न राज्यों में गल्ले के मूल्यों में अन्तर है। साथ ही साथ यह भी सही है कि प्रत्येक राज्य में गल्ले के मूल्य तेजी से आगे बढ़े। मैं समझता हूं कि कोई ऐसी समस्या हो कि जिसका संबंध सारे देश से हो तो उस पर हमें गंभीरता से और पार्टीबाजी से ऊपर उठ कर विचार करना चाहिये। हमारे नेता विरोधी दल ने अपने भाषण में कहा था कि जब हमारे देश की राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता पर संकट आया हो तो उस समय हमारे प्रदेश में फैला हुआ अन्न संकट बहुत महत्व का हो सकता है। मैं उनकी बात मानता हुआ यह कहना चाहता हूं कि ऐसा होने पर तो हमें उस समस्या पर और गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये।

जहां तक मेरी निजी राय का संबंध है, मैं समझता हूं कि इस संकट का हल हमें दो प्रकार से करना होगा। सब से पहले मैं सदन के सामने वर्तमान स्थिति में हमें क्या करना चाहिये, इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करूंगा और उसके बाद इसका दीर्घकालीन हल क्या होना चाहिये, इस संबंध में निवेदन करूंगा। माननीय नेगी जी के एक पत्र का उद्धरण देते हुए नेता विरोधी दल ने कहा कि उन्होंने अपने फूड नोट द्वारा स्वीकार किया है कि हम एक विपत्ति में फंसे हुए हैं। मैं तो यह सोचता था कि हमारे खाद्य मंत्री के उस पत्र के पढ़ने के बाद माननीय नेता विरोधी दल उनको इस बात के लिये बधाई देंगे कि उन्होंने प्रदेश की वास्तविक खाद्य स्थिति को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। जहां तक इसके प्रति उदासीनता का प्रश्न है, जब हम इसके ऊपर विचार करते हैं तो सबसे पहले हमारी दृष्टि उस वक्तव्य की ओर जाती है जिसमें श्री लालबहादुर शास्त्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वर्गवासी होने के बाद कहा था कि नीतियों के संबंध में हमको किसी नीति का निश्चय नहीं करना है, लेकिन हम संपूर्ण राष्ट्र को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारा सबसे पहला कार्यक्रम होगा देश में बढ़ती हुई कीमतों को रोकने का प्रयास।

उसके बाद मैं आपका ध्यान धेबरभाई कमेटी की उस रिपोर्ट के ऊपर ले जाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने यह कहा था कि इस समस्या का अगर कोई स्थायी हल हो सकता है और देर तक चलने वाला कोई तरीका है तो वह एक ही है कि स्टेट ट्रेडिंग हो। उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली में खाद्यान्न व्यापारियों का एक सम्मेलन होता है। उसके बाद कुछ आश्वासन भी सरकार को दिये गये। उसके बावजूद बराबर खाद्यान्न के मूल्य बढ़ते गये। आज स्थिति क्या है? जो जखीरेबाज हैं उन्होंने नयी विधि से गल्ले का संचय करना आरंभ किया है। उन्होंने जब यह देखा कि खाद्य संकट की स्थिति में हमारे गोदामों पर सरकार कब्जा कर सकती है, तो उन्होंने यह किया कि ऐसे स्थानों में गल्ला संग्रह कर रखा है जहां से खरीदा करते थे। सौदा कर लिया है, लेकिन गल्ला पड़ा हुआ है। हमारी सरकार ने देश की दरिद्रता को मिटाने के लिये नियोजन का माध्यम मान रखा है। उसमें आवश्यक होता है कि अक्यूमुलेशन आफ वेल्थ हो, पूंजी का एकत्रीकरण हो। फिर बाजार में इनफलेशन कम होना स्वाभाविक है। तो लोग यह समझते हैं कि यह समस्या कुछ महीने दो महीने की है। मैं यह मानता हूं कि यह अगले १०-५ वर्षों तक चलने वाली है। जिसका प्रारम्भ में ही इतना भयंकर रूप हमारे सामने हो, उसके बाद हमारी सरकार को एक निश्चित नीति अख्तियार करनी चाहिये।

मैंने आज प्रातः काल कल जनसंघ के द्वारा जो स्मृति-पत्र सरकार को पेश किया गया था, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा। उसमें दो मुख्य मांगे रखी गयी थीं। पहली सबसे मजबूत मांग यह थी कि मुक्त-व्यापार होना चाहिये। "लेसेफेयर" में जो विश्वास करते हैं उन्हें यह ध्यान में रखना है कि एक नियोजित अर्थ-व्यवस्था में इसका क्या मतलब होता है। दूसरी मांग स्टेट ट्रेडिंग की बात छोड़ दीजिये। आपके इरादे को कमजोर करने के लिये, केन्द्रीय सरकार के इस निश्चय को डिगाने के लिये कि हम भविष्य में जनता को सस्ता गल्ला दे सकें, उसको सुविधापूर्वक गल्ला मिल सके, यह सारा आन्दोलन और उपक्रम किया जा रहा है। उन्होंने स्वयं कहा कि जब समस्या गले तक पहुंच गयी तब हमारा सहयोग चाहते हो। किसी भी स्टेज

पर अगर आप स्वयं यह महसूस करते हैं कि यह बहुत बड़ा संकट है और संकट में सरकार आपका सहयोग चाहती है, तो आपको सरकार को सहयोग देना चाहिये। सहयोग देने के बजाय जो कुछ आप कर रहे हैं क्या उससे समस्या हल हो जायेगी ? मैं समझता हूं कि इस समस्या का सबसे बड़ा कारण कृषि का जन-संख्या के अनुपात में न बढ़ना है।

उधर से यह कहा गया कि माननीय खाद्य मंत्री ने यह कहा था कि वे सस्ते गल्ले की दूकानों से इतना गल्ला देंगे कि उससे बाजार में गल्ले के भाव गिर जायेंगे। इस संबंध में मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। सन् १९६१ में १.८ मिलियन सस्ता गल्ला, सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा दिया गया। सन् १९६३ में २.८ मिलियन दिया गया और इस वर्ष के प्रारम्भिक ५ महीनों में २ मिलियन गल्ला दिया जा चुका है। सस्ते गल्ले की दूकानों की संख्या भी बढ़ाई गयी है। हमारे विरोधी दल के नेता जो फ्री ट्रेड की बात करते हैं, उससे तो मैं समझता हूं कि का जनता का जीवन और संकट में पड़ जायेगा। फ्री ट्रेड करने वाला हमेशा सस्ते गल्ले की दुकानों का माल अप्रत्यक्ष विधि से खरीद कर खुले बाजार में ज्यादा दामों पर बेचेगा। लखनऊ में २०-२० हजार जाली राशनकार्डों की चर्चा सुनने में आती है। इस समस्या के तत्काल हल के लिये मैं यह आवश्यक समझता हूं कि जखीरेबाजी को तुरन्त समाप्त करने के लिये जिन लोगों के पास गल्ला जमा है, जिन्होंने छिपा रखा है, उसे निकालने का प्रयास किया जाना चाहिये और हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि हमारा जो निर्धारित कोटा है वह हमें बराबर केन्द्रीय सरकार से मिलता रहे। इसके अतिरिक्त, भविष्य में हम कभी ऐसे संकट में न पड़ें, उसके लिये हमें एक बफर स्टाक भी रखना चाहिये। हमारे यहां बफर स्टाक बनाया भी गया। अगर वह न होता तो आज की स्थिति और भी भंयकर होती।

स्टेट ट्रेडिंग की जो बात कही गयी, मैं समझता हूं आज उसकी भी नितान्त आवश्यकता है। फ्री ट्रेड सुनने में बहुत अच्छी बात लगती है, मगर उसके परिणाम सबसे भयंकर होते हैं। उससे हमारी सारी योजनायें ही खटाई में पड़ जाती हैं। इसलिये मैं फ्री ट्रेड के पक्ष में नहीं हूं। उससे हमारे नियोजन का सारा कार्य-क्रम ही फेल हो जायेगा।

मान्यवर प्रारम्भ में ४८ हजार के करीब सस्ते गल्ले की दूकानें थीं, जो बढ़कर करीब ७७ हजार के हो गयी हैं। (लालबत्ती होने पर) अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि जखीरे-बाजी तथा दोहरे बाजार को खत्म किया जाय, और पुलिस के जरिये से तुरन्त इस बात का पता लगाया जाय कि फ्री ट्रेड वाले कहां से गल्ला मंगाते हैं। और उन तमाम सूत्रों के ऊपर कब्जा किया जाय ताकि जनता में सस्ता गल्ला बांटा जा सके।

जहां तक वितरण का सवाल है, उसके लिये हमें केवल सरकारी अधिकारियों पर ही नहीं निर्भर रहना चाहिए। उस पर उपभोक्ताओं का पूरा-पूरा नियंत्रण हो, ईश्यू गोडाउन से लेकर उपभोक्ता को मिलने तक। मैं ऐसा समझता हूं और आशा करता था कि जिस समस्या को माननीय नेता विरोधी दल राष्ट्रीय संकट की समस्या मानते हैं, चीनी संकट का हवाला देते हैं, उसके लिये फ्री ट्रेड के लिये कहना और स्टेट ट्रेडिंग की मुखालिफत करना, इसे मैं उचित नहीं समझता। अगर यह बात मानी जाती है तो देश में नियोजन की बात करना भी असम्भव हो जायगा। जिन लोगों की समाजवाद में आस्था है वे बराय मेहरबानी स्टेड ट्रेडिंग को मजबूती के साथ लेकर आगे चलें, जिसकी मांग वे स्वयं करते रहे हैं। वे लोग सरकार को पूरा पूरा सहयोग दें तभी इस भीषण समस्या का हल किया जा सकता है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बात मानी हुई है कि हमारे प्रान्त में हर आदमी अन्न-संकट से परेशान है। मेरी राय में खाली अन्न-संकट ही नहीं है, बल्कि अन्न-संकट के फलस्वरूप तमाम चीजों के दाम इस महीने में बहुत तेजी से बढ़े हैं। गेहूं का दाम हमारे यहां इस महीने में ३८ रुपये मन तक है। पिछले इतवार को १ सेर १ छटांक का गेहूं मैंने पर्सनली खरीदा

[श्री सन्तसिंह युसुफ]

है। इसी १, २ दिन में १ या २ छटांक बढ़ा है। अगर गेहूं महंगा होता था तो मजदूर मोटा अनाज खाता था। लेकिन अब चना और मकई भी वही भाव है। कड़ुआ तेल हमारे शहर में ४ रुपये सेर बिक रहा है। हर चीज का दाम इसी तरह से चढ़ा है। अनाज तो बुनियाद है। अगर अनाज के दाम बढ़ेंगे तो सब चीजों के दाम बढ़ेंगे। माचिस ६ से १० पैसे की हो गई हैं। डालडा का दाम ८ रुपये १० या ९ आने २ कीलो का हो गया है। १ रुपया उसमें भी बढ़ गया। इतने दाम दो या खाली घर लौट आओ। ऐसा मालूम होता है कि इस सूबे में कोई सरकार नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। मुझे दुख है कि कांग्रेस के भाई असलियत को जानते हुए भी पार्टीबाजी में पड़कर डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। ऐसी मनोवृत्ति से यहां भी बंगाल हो जायगा। कानपुर में अधिकतर लोग ४५, ५० रुपये माहवार पाते हैं। अब जिसके ४,५ आदमी या बच्चे हुए वह १ सेर २ छटांक का गल्ला खरीद कर कैसे पेट भर सकता है। अगर पेट नहीं भरेगा तो ये कल-कारखाने कैसे चलेंगे और पैदावार कहां से होगी? सब्जी की भी यही हालत है। २ रुपये सेर टमाटर, सवा रुपये सेर बैंगन, और तोरी, और पाटा। तमाम अन्धेर नगरी और अन्धेर राजा, तमाम चौपट कर रखा है। टका सेर भाजी और टका सेर खाजा इस सरकार के राज्य में हो रहा है। यह तो दामों की हालत है।

मिलने की हालत इस महीने के दूसरे वीक में यह रही है कि कानपुर शहर में कहीं गल्ला नहीं मिलता था। पिछले हफ्ते से दूकानों में कुछ गल्ला दिखाई देने लगा है, लेकिन अभी भी वहां २, २ हजार आदमियों की भीड़ लगी रहती है। मैंने खुद अपनी आंखों देखा है कि १२ बजे रात से सैकड़ों आदमी जाकर या तो खुद लाइन में लगते हैं या अपने बच्चों को लगाते हैं ताकि उनका नम्बर आने तक गल्ला खत्म न हो जाय। कानपुर जैसे इंडस्ट्रियल टाउन में लड़ाई और लाठी-चार्ज हुआ है। कलेक्टरगंज में जाइये तो कहीं गल्ला है ही नहीं। कुछ मंत्रि-मंडल के सपोर्टर हमारी तरफ भी हैं। अभी तो आषाढ़ का महीना है, गल्ला कहां गया? किसलिये बैठे हैं आप यहां? क्यों नहीं गल्ला निकलवाते हो? यह मैजारीटी या माइनारिटी का सवाल नहीं है। मारेलिटी का सवाल है। जो सरकार अपनी रिआया को ८ छटांक गल्ला नहीं दे सकती है उसे मारेली रूल करने का कोई अधिकार नहीं है। हम यह नहीं कहते कि आप उग्रसेन जी को मुख्य मंत्री बनाइये। अपने में से ही जो लोग कहते हैं कि हम गल्ला देंगे, उनको आप मंत्री बनाइये। दो मौका इन नये नौजवानों को। न करते हैं और न करने देते हैं, कहते हैं कि आप सरकार बनाइये। कैसे बनावेंगे? इस सरकार की फौरी और बुनियादी, दोनों पालिसी गलत हैं। मैं नेगी जी की इज्जत करता हूं। मेरा व्यक्तिगत उनसे कोई विरोध नहीं है, दोस्ती है। लेकिन उन्होंने जो जखीरेबाजों को धमकी दी कि तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही करेंगे, वह खाली गई। या तो धमकी न दीजिये, अगर देते हो तो कार्यवाही करो। उन्होंने दी धमकी और नतीजा यह हुआ कि जखीरेबाजों ने सारा गल्ला ले जाकर देहात में रख दिया और यहां जलूस निकाल रहे हैं कि फ्री ट्रेड करो। आप धमकी न देकर चुपके से सी० आई० डी० से मालूम कराके छापा मारिये, २, ४ को जेल कीजिये, सब हालत ठीक हो जायगी। लेकिन जखीरेबाज तो जानते हैं कि यह खाली धमकी है। आपका जो इन्तजाम है वह करप्ट इन्तजाम है। जो दूकानें आपने दी हैं वह सब गलत टाइप के आदमियों को दी हैं। वह एम० एल० एज० की सिफारिशों पर दी हैं और वे एम० एल० ए० तो आप जानते ही हैं कि रूलिंग पार्टी के हैं। मिनिस्टरों से चिट्ठी लिखा-लिखा कर दूकानें दिलवाई गयी हैं। अब उनको कोई डर भी नहीं। पकड़ भी लिये जायं तो सीधे कलेक्टर तक पहुंच जाते हैं और उनको फिर से दूकान रेस्टोर हो जाती है। नतीजा यह होता है कि भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है। जितना गल्ला इश्यू होता है उसका आधा ही दूकान तक पहुंच पाता है। आपका यह सी० आई० डी० विभाग किसके लिये है? आपने इसको पकड़ने के लिये क्या किया है? कुछ नहीं। यह तो फौरी खराबी है।

अब रही बुनियादी खराबी। हिन्दुस्तान एक खेतिहर देश है वह अमेरिका, इंगलैंन्ड और रूस की तरह से इन्डस्ट्रियल देश नहीं है, लेकिन इस देश को करोड़ों रुपये का गल्ला बाहर से मंगाना पड़ता है। आप अपने देश में गल्ला पैदा क्यों नहीं कर पाते हैं। आप क्यों नहीं देहात के अन्दर खेतिहर मजदूर को जमीन, बीज, इम्प्लीमेंट्स और दूसरी चीज देते। दूसरे देशों में यहां से जमीन कम है, लेकिन गल्ला ज्यादा होता है। आस्ट्रेलिया को ही देख लीजिये, वहां गल्ला ज्यादा होता है। इसलिये सच्चे खेती करने वालों को जमीन और सारी सुविधायें दीजिये।

इसके अलावा तीसरी चीज यह है कि जो गल्ला पैदा होता है उसको सरकार खरीद कर स्टेट ट्रेडिंग करे। याद रखिये यह जनसंघ की दोस्ती आपको बरबाद कर देगी। अगर यह दोस्ती न होती तो यहां भी होर्डर्स के खिलाफ कानून पास हो जाता, उनके खिलाफ कार्यवाही हो जाती। बंबई में आर्डिनेंस निकल गया, लेकिन यहां क्यों नहीं हुआ? इस सरकारी पार्टी में भी कुछ होर्डर्स के हिमायती हैं। यह कानून क्यों नहीं बना दिया जाता कि खाने से ज्यादा जो गल्ला रखेगा वह गैर कानूनी होगा।

आखिरी बात यह है कि दिल्ली के निर्दलीय सम्मेलन में एक फैसला लिया गया कि जिस इस्टैब्लिशमेंट में ३०० मजदूर काम करते हैं, उसमें गल्ले की दूकान खोली जायगी और अभी नैनीताल में निर्दलीय सम्मेलन में फिर इसी मांग को दुहराया गया। मेरा कहना यह है कि अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को आप मुतवातिर जारी रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जारी रहे तो जो फैसला पिछले कांफ्रेस में एक राय से हुआ है उसको पूरा कीजिये और इन इंडस्ट्रियल कंसर्न्स में ज्यादा से ज्यादा सस्ते गल्ले की दूकानें खुलवाइये। इससे बाजार का भाव भी ठीक रहेगा और ब्लैक मार्केटिंग भी कम होगी।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय नेता विरोधी दल के भाषण को आज बहुत गौर से सुना और मैंने यह देखा कि उनके भाषण का बहुत बड़ा हिस्सा लगभग १६–१७ मिनट तक एक ही बात पर रहा कि सरकार देर से चेती। साथ ही वह यह भी कहते रहे कि हमने उस वक्त कहा था कि परिस्थिति गम्भीर है परन्तु सरकार ने उस समय कुछ ध्यान नहीं दिया। लेकिन यह उन्होंने नहीं बतलाया कि सरकार को उन्होंने यह सजेशन दिया था जिसे सरकार ने नहीं माना। केवल यही बराबर कहते रहे कि हमने कहा था कि परिस्थिति गम्भीर है और सरकार ने कुछ नहीं किया। आगे चलकर फिर उन्होंने यह बतलाया कि सरकार ने कुछ किया तो लेकिन देर से किया। सरकार ने एक कमेटी बनायी और उनसे सहयोग मांगा। अब उसकी क्या हिस्टरी रही, मैं नहीं जानता। इसके लिये मैं माननीय खाद्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर रोशनी डालेंगे कि क्या बात हुई जिससे विरोधी दल के नेताओं को त्याग-पत्र देना पड़ा। जहां तक मुझे मालूम है मीटिंग तो हुई, ज्यादा की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक मीटिंग अवश्य हुई, अब उसमें क्या सुझाव उन्होंने दिया जिसको माननीय खाद्य मंत्री ने या माननीय मुख्य मंत्री ने नहीं माना या मानने से इन्कार कर दिया। यह उन्होंने नहीं बताया। इसके तो दो ही अर्थ हो सकते हैं। एक तो यह कि उनकी जो योजना थी वह व्यावहारिक नहीं थी या उन्होंने वास्तविक परिस्थिति को समझ लिया और इस परिणाम पर पहुंचे कि अब उनकी अक्ल काम नहीं कर रही है जिससे वे कोई सुझाव देते। उन्होंने उस कमेटी का बायकाट कर दिया।

(व्यवधान)

श्री भगवान सहाय—

सुझाव का सवाल आता कहां से जब कि आपने सिचुएशन की ग्रेविटी को ही नहीं माना। विरोधी दल ने तो कहा था कि स्थिति गम्भीर है।

श्री जगदीशप्रसाद--

एक तरफ तो माननीय सदस्य कहते हैं कि सुझाव का सवाल ही नहीं आया क्योंकि उसकी गम्भीरता को ही सरकार ने नहीं माना और दूसरी ओर माननीय नेता विरोधी दल ने खाद्य मंत्री के वक्तव्य के उस भाग को पढ़ कर सुनाया जिसमें लिखा है कि मेरे पास बहुत से पत्र व तार आते हैं कि स्थिति गम्भीर है और त्याग-पत्र दे दो। उन्होंने वह भी भाग सुनाया जिसमें स्थिति को गम्भीर बताया है। इसके दो ही अर्थ है कि सरकार ने स्थिति की गम्भीरता को समझ कर ही मीटिंग बुलायी थी, लेकिन आपके पास कोई सुझाव ही नहीं था जिसे आप देते या जो कुछ भी आपने वहां कहा उसके अनुसार कुछ ज्यादा नहीं किया जा सकता था और जो सरकार कर रही थी उससे आप सन्तुष्ट व सहमत थे।

श्रीमन्, देश और प्रदेश में यह एक मुसीबत का समय है और इस समय नारों से, दलबन्दी से, जलूसों से हम इस समस्या को नहीं हल कर सकते हैं। एक बात मैं और बतला दूं कि हम सियासत में यह काम रोज ही करते हैं और यही करने के आदी हैं। कुछ लोगों की यही विचार-धारा होती है कि किसी न किसी तरह से जनता को भड़का कर सरकार के खिलाफ परिस्थिति पैदा करें। लेकिन इतना आपको मालूम होना चाहिये कि आग दूसरे के घर में लगने पर ही लोग उसे तापते हैं, लेकिन यह आग तो आपके अपने घर में ही लगी हुई है और अगर आपने इस आग से खिलवाड़ करना शुरू किया तो खुद ही इस आग में झुलस जायेंगे। जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा, उन्होंने सुझाव न देकर धमकी दी कि त्याग-पत्र दो वरना आप नहीं रहेंगे। इस परिस्थिति से फायदा उठाने की कोशिश करना किसी के लिये भी ठीक नहीं होगा। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही। एक सुझाव उन्होंने दिया है, स्टेट ट्रेडिंग के विषय में मैं बाद में कहूंगा। इस वक्त मैं यही कहता हूं कि इस वक्त तो प्रदेश में एक आग लगी हुई है, आप उस का लाभ उठा कर तापिये नहीं, क्योंकि यह आग आप के घर में ही लगी है, अगर आप तापने की कोशिश करेंगे तो उसका नतीजा आप को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने अन्त में कहा कि स्टेट ट्रेडिंग की तो मुखालफत ही होना चाहिये, लेकिन फिर भी परिस्थिति की गम्भीरतावश उन्होंने इतना कहा कि सरकार आंशिक व्यापार करे और वह केवल इस वास्ते कि किसी तरह से बाजार के भाव काबू में रखे जा सकें। खैर, कुछ तो आये रास्ते पर, थोड़ा वह ऊपर उठे और उनकी अक्ल में यह बात आई कि सरकार भी आंशिक व्यापार कर सकती है। हम आशा करें कि वह अभी और प्रगति करेंगे।

अब मैं आप के सामने यह रखूंगा कि वास्तविक परिस्थिति क्या है। क्या हमें करना चाहिये। पहले के इतिहास को हम देखें, बंगाल का अकाल सन् ४३ में पड़ा था और हमें उस के बाद यह भूलना नहीं चाहिये कि शायद ही कोई साल ऐसा गुजरा हो कि हमें बाहर से अनाज न मंगाना पड़ा हो और इस दिशा में कोई न कोई प्रयत्न न करना पड़ा हो। इस के माने हैं कि हमारे देश में या प्रदेश में यहां की आवश्यकता के अनुपात में पैदावार कम होती है। हमारे सूबे की परिस्थिति का जहां तक सवाल है, यहां के भी आंकड़ों से यह जाहिर है कि लगभग आखिर के कुछ महीनों के लिये हमें भी प्रतिमास २ लाख टन अनाज की जरूरत हो जाती है। इतने के लिये हमारा केन्द्र से वादा था। हम हर साल यह करते थे कि जब अनाज के महंगे होने का समय आता था, बाजार में गल्ले की कीमतें कुछ ऊंची हो जाती थीं तो सस्ते गल्ले की दूकानों पर कुछ अनाज भेजा। हमने टोटल राशनिंग तो कभी नहीं की लेकिन हम भावों को नीचे लाने के लिये कुछ न कुछ करते रहे हैं। लेकिन इधर परिस्थिति में कुछ अन्तर पड़ा और जो कमी थी वह २-३ साल की फसल की कमी के कारण और ज्यादा बढ़ गयी। इस वर्ष जैसा कि मिश्रा जी ने बताया १४ लाख टन हमारे यहां गेहूं कम हुआ, ४० हजार टन चावल हम सेन्टर को देते रहे, हम अपना कमिटमेंट पूरा करते रहे, इस के अलावा हम दूसरी स्टेट्स को भी देते रहे, लेकिन हमारे लिये सेन्टर का कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ। एक लाख टन प्रति मास का जो सेन्टर का वादा था और जो अनाज कबाल टाउन्स और मेरठ, बरेली को मिलता था और जो माल आटा मिलों को मिलता था कदाचित् ६८ हजार टन, वह भी कम आया।

विरोधी दल की ओर से कहा गया कि पहले से कुछ नहीं किया गया, मई में तो भाव ऊंचे नहीं गये थे उस वक्त भाव २०–२२ रुपया चल रहा था, उस के बाद जून-जुलाई २ मास बीते, ३० जून तक जो एलाटमेंट हमारा सेन्टर से आना चाहिये था वह नहीं आया, अगर वह आता तो शायद यह परिस्थिति न होती। अगर वह गल्ला मिलता रहता तो क्या आप समझते हैं कि यही परिस्थिति होती ? अगर हम लगभग १२,००० दूकानों पर उतना अनाज जितनी कि पहले योजना बनाई थी चाहे वह कम था, पहुंचाते रहते तो भाव इतने ऊंचे न जाते। सरकार की साख बनी रहती, लोगों में विश्वास रहता, कोई नहीं जानता था कि सरकार के पास कितने स्टाक्स हैं कितने नहीं हैं। हम कह रहे थे बराबर कि केन्द्र के और हमारे पास काफी स्टाक्स है, लेकिन जब हम नहीं दे सके इसलिये एक हवा उड़ गई और सरकार की साख जाती रही, कम हो गई। नतीजा यह हुआ कि जो बाजार में था वह भी गायब हो गया और वह दशा किसी से छिप न सकी। परन्तु यह सब हुआ इसीलिये कि हमारा कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ, हमारे स्टाक्स खत्म हो गये और सेन्टर का वादा पूरा नहीं हुआ। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि यह प्राब्लम क्रीएट कर दी गई है। यह भी नहीं कि सेन्टर ने क्रीएट कर दी, कुछ भी डिफिकल्टीज हों उनकी। लेकिन इस समस्या का मुख्य कारण यह था कि हमारा गल्ला पूरा नहीं आया। अगर आता तो समस्या का मुकाबला कर लेते। अब मैं निराकरण बताना चाहता हूं। एक दो सदस्य ने कहा कि यह हालत आज की नहीं। ठीक है, यह हालत जैसा मैंने कहा १९४३ से बराबर बढ़ रही है और आगे और भी गम्भीर हो सकती है, इसलिये कि अभी तक तो एक ही एलीमेंट था जो व्यापार करता था और वह होर्ड करके महंगे भाव पर गल्ला बेचता था, हम उनको बुरा कहते थे कन्डम करते थे। लेकिन अब अच्छे काश्तकार ने भी गल्ला रोकना शुरू कर दिया और अगर यह प्रवृत्ति जड़ पकड़ गयी तो हालत खतरनाक हो जायगी, अकाल और भुखमरी आती ही रहेगी। करना क्या होगा ? हमारी एक बुनियादी गलती हो रही है, हमने नियोजन किया है आवश्यकताओं की पूर्ति करने का, चाहते हैं कि अनाज का कंजम्पशन बढ़ता चला जाय, प्रति व्यक्ति १०, १२ व १४ औंस। लेकिन हम एक चीज नहीं कर रहे हैं, उत्पादन का तो नियोजन कर रहे हैं कि वह बढ़े पर यह नहीं कर रहे हैं कि उत्पादन को वितरण में कैसे पहुंचायें, यह हमारी कमी है। उसका कारण है कि १९६० में सेन्टर की पालिसी के कारण लैवी बन्द हो गयी, लेकिन अगर प्रोडक्शन को थोड़ा बहुत काबू नहीं करेंगे तो आप डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं कर सकते। आपको करना होगा कि जितना अनाज आपको फेयर प्राइस शाप्स द्वारा देना है उसकी उपलब्धि किस प्रकार हो ? मेरा सुझाव है दीर्घकालीन समस्या को हल करने के लिये आपको इस प्रकार से कानून बनाना होगा कि एक किसान जो इतनी जमीन रखता है, जमीन की सीमा आप जो भी मुनासिब समझें रखें, उसको सरकार को इतना अनाज देना पड़ेगा। उसको उचित कीमत दी जाय जिससे उसकी मेहनत वसूल हो। लेकिन आपको फसल में इकट्ठा करना होगा, जो प्रवृत्ति कैश क्राप्स पैदा करने की बढ़ गयी है इसको कम करना होगा। अब अगर आप अनाज लेना जरूरी कर देंगे कि हर किसान को प्रोक्योरमेंट के समय इतना अनाज सरकार को उचित भाव पर देना होगा तो उससे हमारी साख रहेगी और व्यापारी और किसान जानेंगे कि सरकार भाव को बढ़ने नहीं देगी।

(इस समय २ बजकर ३५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

अब मैं अल्पकालीन समस्या के लिये सुझाव देना चाहता हूं। एकदम आपको १५ रोज के अन्दर इस प्रकार का हिसाब लगा लेना चाहिये। मेरे विचार में बी० डी० ओ०, प्रमुख, और कुछ कार्यकर्त्ता प्रत्येक गांव में जायं और इस बात का हिसाब लगायें कि आने वाले ३ महीने के लिये अनाज की कितनी कमी है। मेरा विचार है कि अगर हम किसी गांव में जायेंगे और वहां पर ४–५ आदमी यह कहेंगे कि तुम्हारे पड़ोसी भूखों मर रहे हैं, तुम गल्ला दे दो, तो मुझे, विश्वास है कि वे अपने पड़ोसी को नहीं मरने देंगे। इस तरीके से हमें एक अनुमान हो सकता है कि हमें ३ महीने के लिये कितने अनाज का प्रबन्ध करना होगा।

श्री शशिभूषणसिंह (जिला कानपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति यह है कि हमारी सरकार सर्वांगीण रूप से असफल हो गई है। हर दिशा में, हर काम में उनकी असफलता सिद्ध हो गयी है। पहले आप लीजिये कृषि उत्पादन को। खेती का उत्पादन हम देखते हैं कि दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है। सन् १९५२ से घट रहा है जब कि हालत यह है कि सारी ऊसर, बंजर भूमि खेती के लिए ले ली गयी, जंगल साफ हो गये हैं, रास्ते जुत गये हैं। यह बात ठीक है कि आबादी बढ़ी है, लेकिन जितनी जमीन कृषि में, जितना रुपया, जितने साधन और समय इस काम में खर्च हुआ है उसके होते हुये भी हमारा कृषि उत्पादन घटा है। आखिर इसका कारण क्या है। इसका एक ही कारण स्पष्ट है और वह है हमारी सरकार के तुगुलकशाही फरमान। मिसाल के तौर पर एक फरमान निकला कि साहब गांव की सहकारी समितियो से जो किसान कर्जा ले उसको उतना फर्टिलाइजर लेना ही होगा बिना यह खयाल किये कि किस किसान के पास जमीन है या नहीं, उस किसान के पास सिंचित भूमि है या असिंचित भूमि है। उसके ऊपर जबरिया फर्टिलाइजर लादा गया। उसने उसको अपने खेत में जाकर डाल दिया। नहरों ने समय पर पानी नहीं दिया जिन किसानों के पास सिंचित भूमि थी। नतीजा यह हुआ कि फसल नष्ट हो गयी, जल गयी। जब यह हाहाकार मचा तो फरमान निकला कि कुएं बनाए जायं। कहीं पर चकबन्दी हो रही है, कहीं सीलिंग। कहीं-कहीं पर नये-नये कानून लागू हो रहे हैं। ऐसी सूरत में किसानों को यह भरोसा नहीं है कि कौन-सी जमीन उनके पास रहेगी और वह वहां पर कुवां बनवावें या नहीं। उससे कहा जाता है कि तुम कुआं बनवाओ, कुएं के लिए तकावी ले लो। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि जब तक उसे अपने खेतों का यह भरोसा न हो कि कौन खेत उसे मिलेगा तो वह कैसे कुएं बनवा सकता है।

सरकार का दूसरा फरमान निकला कि मुर्गियां पालो, सूअर पालो। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इससे खाद्य समस्या हल हो जायगी। केवल उस पर रुपया बरबाद किया जा रहा है। आश्चर्य तो यह है कि मुर्गियों के और सूअरों के पालने पर अनुदान दिया जा रहा है। आज यह देखने में आता है कि मुर्गियां तो बिक गयीं केवल मकान बाकी है। इस प्रकार से धन का अपव्यय अदूरदर्शितापूर्वक हो रहा है, जिससे कृषि का उत्पादन बढ़ने के बजाय घट रहा है। मौजूदा परिस्थिति में हर कोई जानता है कि बरसात के दिनों में कोई भी किसान चाहे उसके पास १० मन अनाज हो या २ हजार मन हो वह बाहर नहीं निकालता। बरसात भर के खाने के लिए बाहर रख कर वह अपने अनाज को सील कर देता है। महीनों पहले सरकार को यह मालूम था और विरोधी दल के नेताओं ने बार-बार यह चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की कि वह बरसात के लिये इन्तजाम कर लेती। भारतवर्ष का इतिहास मैंने पढ़ा है, किसी भी काल में जून और जुलाई में अकाल पड़ते नहीं सुना। फरवरी अथवा अक्तूबर, नवम्बर में अकाल पड़ा है, लेकिन इस सरकार की गलत नीतियों ने यह स्थिति पैदा कर दी है कि आज लोग दाने-दाने को तबाह हैं। पैसे वाले घूमते हैं और अनाज नहीं मिलता और इसका परिणाम आज हमारे प्रान्त की जनता भुगत रही है। आज यह सरकार यह नहीं देख पा रही है कि किन कामों को प्राथमिकता देना चाहिये। ब्लाकों पर अन्धाधुन्ध करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, मुर्गी पालन, सुअर पालन, समाज कल्याण, हरिजन कल्याण, परिवार नियोजन पर। १०, २० वर्ष तक गलियां पक्की न होतीं, पुलियां पक्की न होतीं तो कौन-सा आसमान फट पड़ता? अब तक किसान ऐसे ही रहता आया है, और रहते चला जाता। आज प्राथमिकता देनी चाहिये कृषि उत्पादन पर और सारा पैसा उसी पर खर्च करना चाहिये था। मैं तो यहां तक कहता हूं कि परीक्षण के तौर पर आज किसी गांव का एक स्कूल, अस्पताल, मवेशीखाना तोड़ दीजिये। हजारों दरख्वास्तें आ जायंगी। हाहाकार मच जायगा, लेकिन महिला कल्याण या समाज कल्याण संस्था को तोड़ दीजिये, वहां की स्त्रियां मिठाई बांटेंगी, अच्छा हुआ हमारे यहां से बला टली। एक भी दरख्वास्त आ जाय तो आप कहियेगा।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)--

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहती हूं। यह मवेशीखाने और पशुपालन का संबंध महिला कल्याण से कैसे है और दोनों में क्या सामंजस्य है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री शशिभूषणसिंह--

आज खाद्य मंत्री ने प्रश्नोत्तर के समय एक बात कही कि बम्बई बन्दरगाह पर जहाज लदे खड़े रहे और अनाज हम उतार न सके हड़ताल के कारण जिसके कारण अनाज नहीं पहुंच सका। मुझे मालूम है कि १ मास से बम्बई बन्दरगाह पर जहाज लदे खड़े रहे और डेढ़ करोड़ डालर, जिन डालरों के लिये हमने अपने प्रदेश की हजारों एकड़ भूमि गन्ने की काश्त में ले ली और उस गन्ने से बनी हुई शक्कर लागत मूल्य से कम मूल्य में घाटा उठा कर भेजते हैं कि हमें डालर मिल जायं और उनको यह बरबादी कि डेढ़ करोड़ रुपया डैमरेज दें इसलिये कि हम समय पर गल्ला न उतार सके। इस देश में भुखमरी फैल रही थी और मौतें हो रही थीं और इस समस्या का हम हल नहीं कर सके। मैं जानना चाहता हूं कि क्या फौजें नहीं थीं जिनसे यह काम कराया जाता या स्वयं सेवकों से यह गल्ला नहीं उतरवाया जा सकता था ? अब अखबारों में आया है कि इसको उतरवाने के लिये तथा कैसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाय इसके लिये अमेरिका से विशेषज्ञों को बुलाया जा रहा है। मैं इस नाकाबलियत के लिये क्या कहूं ? वास्तविकता तो यह है कि आज इस अविश्वास के प्रस्ताव की जरूरत नहीं थी बल्कि इस सरकार को स्वयं इस्तीफा देना चाहिये था और जिसे यह चाहती उसको बनाती। इसके लिये विरोधी दल कुछ नहीं कहते। लेकिन आज भ्रष्टाचार देखिये, पक्षपात देखिये, भाई-भतीजावाद देखिये, अन्याय देखिये तथा देहात में आज किसी भले आदमी की न तो जान सुरक्षित है न इज्जत। गुन्डेशाही का सब जगह बोलबाला हो रहा है। हमारी सरकार ला एण्ड आर्डर को मेन्टेन करने में असमर्थ हो रही है।

आज एक-एक दाने के लिये लोग तरस रहे हैं। अकाल की स्थिति देहात में मौजूद है। खेतिहर मजदूर के पास खाना नहीं है। अगर आज आप मजदूर को बुलायें तो वह पैसे के स्थान पर अनाज मांगता है। वह कहता है कि आप हमको पैसे देंगे तो हम कहां से खायेंगे, कानपुर जिले में सस्ते गल्ले की दुकानों पर २०-२५ दिन से आटा नहीं है। मैं सरकार की नीति नहीं बता सकता हूं, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि ऊपर से आर्डर्स है कि देहात में आटा न भेजा जाय। ठीक है, आज पेड़ की पत्तियां लोग मवेशियों को खिलाने लगे है। लेकिन चार दिन बाद आप सुनेंगे कि मनुष्य भी उनको खाने लगे हैं। आप इस्तीफा देकर इस जगह को खाली कीजिये और उसको दीजिये जो इसको चला सके। मुझे अधिक नहीं कहना है।

*श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव उस तरफ के बैठने वालों ने रखा है, उनके भाषणों को मैंने बड़े गौर से सुना और खास तौर से अपने जिले के मित्रों का भाषण भी मैंने बड़े गौर से सुना। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज भी सामंतशाही की भावना उनके अन्दर है। वह किसान की पैरवी करना चाहते हैं लेकिन यह नहीं देख सकते हैं कि किसान का रास्ता अच्छा हो, किसान के बैल आराम से रहें। इस तरह की भावना उनमें नहीं है। उसका मखौल उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते है,। आज हम संकट से गुजर रहे हैं। हम मुसीबत में है हम परेशानी में है और हमारा प्रदेश संकट की हालत से गुजर रहा है। हमारे प्रदेश की सरकार ने उनको आमंत्रित किया था, उस तरफ के बैठने वाले सदस्यों और नेताओं से प्रार्थना की थी कि मिलकर, बैठकर कोई योजना तैयार की जाय। हमें और प्रदेश की जनता को मालूम है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नित्यानन्द पांडेय]

२–३ दिनों तक वह कांफ्रेंस हुई, मंत्रियों की और विरोधी दलों के नेताओं की बैठकें हुई। विरोधी दलों के नेताओं ने अनुभव किया कि इस समय इस स्थिति का सामना करने के लिये कोई और अवलम्बन नहीं है सिवाय इसके कि केन्द्र पर दबाव डालें। उन्होंने स्वयं इस बात के लिये तकाजा किया विरोधी दलों के नेताओं को लेकर खाद्य मंत्री दिल्ली जावें। लेकिन उन्होंने स्थिति की गम्भीरता देखी, और जब उन्होंने यह अनुभव किया कि सरकार ने जिन मार्गों का अवलम्बन किया है वही मार्ग है और सरकार उन पर योजनाबद्ध रूप में चलने पर कटिबद्ध है तब उन्होंने वह मार्ग छोड़ दिया। क्योंकि उनकी परम्परा रचनात्मक कार्यों के करने की नहीं रही है, उन्होंने कभी कोई कार्य जनता के बीच योजनाबद्ध रूप में किया नहीं है, इसलिये इस संकट के समय भी योजनाबद्ध रूप से कार्य करने में वे पीछे हटे। आजादी मिलने के बाद बहुत से ऐसे दलों का निर्माण हुआ है और उन दलों में कुछ लोग ऐसे भी आ गये हैं जिनकी पहुंच जनता के पास कभी नहीं रही, जिन्होंने जनता का कोई काम नहीं किया है, कुछ मजहब के नाम पर, कुछ भगवा वस्त्रों के नाम पर जनता के आज हिमायती बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि यह सारे प्रयत्न तो सरकार स्वयं कर रही है, उनके पास और कोई मार्ग नहीं रह गया। उन्होंने इस्तीफे भेजे और यह कह दिया कि हम अब इस कमेटी में नहीं रह सकते। जब वह समझते थे कि हम बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो उनमें विवेक होता, साहस होता, मर्दानगी होती तो सरकार से सहयोग करके वे इस संकट का मुकाबला करते। लेकिन वह तो इस परिस्थिति का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। वे समझते हैं कि इस परिस्थिति का राजनीतिक फायदा उठाने से उनके कर्त्तव्य की इतिश्री हो जायगी। वह समझते हैं केवल प्रदर्शन कर देने से, सरकार के खिलाफ नारे लगा देने से या जनरोष को भड़का देने मात्र से उनका कर्त्तव्य समाप्त हो जाता है। वे नहीं सोचते कि प्रदेश में आने वाले संकट का मुकाबला कैसे हो, उनके कोई रचनात्मक सुझाव नहीं हैं। अगर वे कोई सुझाव रचनात्मक देते तो सरकार उन पर गम्भीरता से विचार करती, लेकिन वे दो-तीन दिन की कांफ्रेंस के बाद डिग गये और प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने इस प्रदेश के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया। जिन भावनाओं से प्रेरित और उद्वेलित होकर सरकार ने अपनी गुप्त बातों को उनके सामने रखा, उन्होंने उसका राजनीतिक फायदा उठाया, यह कहां तक उनकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता, विवेक और मर्दानगी का परिचय उनका है? उन्होंने अपने-अपने दलों की शोहरत बढ़ाने के लिये ऐसा किया। मैं समझता हूं कि ऐसा करके उन्होंने अच्छी परम्परा इस प्रदेश और देश में नहीं कायम की है।

एक तरफ तो हम अनुभव करते हैं कि हम संकट से गुजर रहे हैं, बड़ी-बड़ी दिक्कतें हमारे सामने हैं और विरोधी दल की तरफ से जितनी भी बातें कही जाती हैं, उनमें यह नहीं बताया जाता है कि आखिर इस समस्या का हल क्या है इसके निराकरण के उपाय क्या है? हम यह मानते हैं कि गल्ले की बड़ी कमी है, जैसा कि युसूफ साहब ने कहा कि कानपुर में बड़ी लम्बी-लम्बी कतारें गल्ले की दूकानों पर लगती हैं। रात भर लोग वहां खड़े रहते हैं। लेकिन यह भी अनुभव किया उन्होंने कि हम और वह और दूसरे लोग भी जब हमारे साथ उन कमेटियों में आते हैं जहां हम निराकरण करने के लिये कुछ सुझाव रखते हैं तो जितने भी ऐसे सुझाव दिये जाते हैं समस्या के निराकरण के लिये उन पर हमारे अधिकारी चलने के लिये तैयार होते है और वह सब कुछ करना चाहते है, कर रहे हैं। तब फिर क्या बात है कि आज वह यह कहते हैं।

एक तरफ तो कहते हैं कि गल्ले के खुले व्यापार पर कुछ रोक लगनी चाहिये और दूसरी तरफ उनका समर्थन भी करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से कुछ अजीब तरह का मामला है कि हर पार्टी और हर दल का अगुवा इस मौके का एक नाजायज फायदा उठाना चाहता है। वह यह समझता है कि यह संकट क्या आया है, उसके लिए राजनीतिक लाभ का एक बड़ा अवसर आ गया है। इससे प्रदेश का कोई लाभ होने वाला नहीं है और न लोगों को गल्ला मिलने वाला है। इस तरह से समस्या का निराकरण नहीं हो सकता है। समस्या का निराकरण

तो तभी हो सकता है जब हम इस संकट का मुकाबिला सहयोग से मिलजुल कर एक योजनाबद्ध कार्यक्रम को लेकर करें, गांवों में चलें, शहरों में चलें, जो जखोरेबाज हैं, जिन किसानों के पास गल्ला है उनको समझा बुझाकर इस समस्या का निराकरण करें। लेकिन वह तो कहते हैं कि यह सरकार इस्तीफा दे दें और नेगी साहब के उस बयान को बार-बार कोट किया जाता है जिसके लिये उनकी स्पष्टवादता की प्रशंसा होनी चाहिये। कितनी स्पष्टवादिता के साथ और निहायत साहस और हिम्मत के साथ एक बात जो साफ थी, उसको उन्होंने छिपाया नहीं, यह कह दिया कि खतरा है और इस खतरे का हम मुकाबला करें। लेकिन मुकाबिला करेंगे कैसे? आप यहां बैठ कर यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमी सबसे ज्यादा इस प्रान्त के अन्दर ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि जन-साधारण का लाभ हो और जन-साधारण आराम की जिन्दगी बसर करें और इधर के बैठने वाले लोग इस तरह का चिन्तन नहीं करते हैं, जबकि बात बिलकुल उलटी है। सब बातें अवास्तविक आधारों पर लेकर उधर के माननीय सदस्य चलते हैं। वह केवल इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। इस आन्दोलन के बाद यह हो सकता है कि वह थोड़े से और आगे चले जायं और बस यहीं वह अपने कर्तव्य की समाप्ति समझते हैं। वह अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे और कर रहे हैं। आज चाहिये तो यह था, उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को कि वह इधर के बैठने वाले सदस्यों और सरकार को बधाई देते और सरकार को यह बताते कि आज यह-यह कठिनाई है और इस-इस तरह से इस समस्या का निराकरण हो सकता है और इस तरह से लोगों को राहत दी जा सकती है। (लाल बत्ती जलने पर) आपने लाल बत्ती कर दी। अभी बहुत-सी बातें और कहनी हैं।

आज हमारे यहां गल्ले की कमी है। ठाकुर साहब ने कहा, ऊसर टूट गये, बंजर टूट गये, जंगल टूट गये, रास्ते और खलिहान जोत लिये गये, लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं, वह भी बहुत बड़े खेतिहर हैं और बड़े अच्छे व्यवसायी भी हैं, एक अच्छी बड़ी आढ़त की दूकान भी है... (व्यवधान) पहले थी और आज भी शायद है, क्या वह यह बता सकते हैं कि गल्ला कहां है? गल्ले का किस तरह से पता लगाया जा सकता है, इसका बहुत कुछ पता उनसे मिल सकता है, लेकिन यह बात तो उन्होंने बतायी नहीं। ऊसर और बंजर के तोड़ने की बात कही। एक बात मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जैसा कि जगदीश प्रसाद जी ने कहा कि बहुत से आजकल के किसान राई, सरसों और तिलहन बोते हैं जो कि १४ छटांक, १३ छटांक और सेर भर को बिकती हैं, जिससे गल्ले का उत्पादन कम होता है। जो जमीन टूट रही है उस जमीन में ७५ फीसदी नहीं, बल्कि ९५ और ८५ फीसदी राई और दूसरी चीजें बोई जा रही हैं। गल्ला भी बोया जाता है। यह बात ठाकुर साहब को मालूम है। सरकार को इस दिशा में कुछ सोचना पड़ेगा कि सरकार कोई ऐसा प्रतिबन्ध लगाये कि एक काश्तकार गल्ले को छोड़ कर दूसरी चीज बोने के लिये अधिक जमीन का उपयोग न कर पाये। इसके लिये सरकार को कोई अवलम्बन करना पड़ेगा। मैं चाहता था कि आज इधर से रचनात्मक सुझाव आते जिसके प्रकाश में इस समस्या का निराकरण हो जाता। इसको न कह कर दूसरी बातों का जिक्र किया गया। यह मौका नाजुक है। इतिहास में इस तरह के मौके कभी-कभी आया करते हैं जो लोग इस समय नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं इतिहास उनको माफ नहीं करेगा और उनको कभी स्मरण नहीं करेगा। यह किसानों के साथ एक दुश्मनी का तरीका है। उनके पेट में आप छुरा भोंक रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि यह सरकार मजबूती के साथ इस समस्या को हल करना चाहती है, लेकिन उधर के लोग इसमें व्यवधान पैदा करके राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं जिससे सरकार सावधान रहे।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय जिस महत्वपूर्ण विषय पर बहस चल रही है, इस सदन के अन्दर, एक दूसरे पर आलोचना करके इस समय को पूराकर दिया गया तो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। सोचने की बात यह है कि यह समस्या कैसे पैदा हुई और कौन इसके लिये जिम्मेदार हैं। अच्छा तो यह होता कि जिस प्रकार से लालबहादुर जी शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था उसी प्रकार से यहां भी इस्तीफा हो जाता तो बड़ी अच्छी बात थी और दूसरी बात

[श्री लखपतराम शर्मा]

यहां यह भी याद दिलाऊं कि जिस समय बंगाल के अन्दर अकाल पड़ा उस समय पंडित जवाहर लाल जी नेहरू, ने कहा था कि मरने से तो यह अच्छा था कि शहरों को लूट लिया जाता। जिन लोगों के पास जखीरे थे, उनको लूट लिया जाता। यह शब्द हमारे प्रधान मन्त्री के थे जो बंगाल के अकाल के समय उन्होंने कहे थे। अगर कोई आदमी भूखा मरता है तो उसको मरने के पहले जिन्दा रहने के लिये इस तरह के भी काम करने की बात उन्होंने कही थी कि जिन्दा रहने के लिये हर काम किया जा सकता है। यह कोई सामाजिक अपराध नहीं है। हमारे प्रान्त के अन्दर इतना बड़ा अकाल आया, कैसे इस पर हमको ठंडे दिल से विचार करना है और विचार करके जब हम देखते हैं तो इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि आपने हर मामले में पार्टी का सहारा लिया है। आपने यदि किसी को परमिट दिया है तो अपनी पार्टी के ही लोगों को दिया है और गल्ला, चीनी, सीमेंट और लोहे की दूकान खोलने के लिये यदि आपने लाइसेंस दिया है तो वह अपनी पार्टी के लोगों को ही अधिकांश रूप में दिया है। अगर वे लोग कोई गलत काम भी करते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है और उनका लाइसेंस कैंसिल नहीं किया जाता है। उन लोगों को ब्लैक मार्केटिंग करते हुये पकड़ा गया है लेकिन उनके लाइसेंस कैंसिल नहीं किये गये हैं। आप अखबारों की बात ही ले लीजिये। आजमगढ़ में ही ११ कांग्रेसी सदस्यों को पकड़ा गया, लेकिन उनके विरुद्ध क्या किया गया ? झांसी के अन्दर जितने भी दूकानदार हैं उनमें से अधिकांश की शिकायत बराबर की गई, देहात के लोगों को एक किलो भी चीनी नहीं दी गई पर उनके विरुद्ध सिर्फ इतना ही किया गया कि उनके लाइसेंन्स कैंसिल किये गये। क्या समाज में इस तरह से लोगों को भूखा मारने वाले के लिये इतना ही काफी था ? क्यों नहीं उनको दंडित करके जेल भेजा गया ? आप आज एक्सपेरीमेन्ट करना चाहते हैं। होना तो यह चाहिये था कि सरकार अपने आप ही इस्तीफा दे देती और किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब सरकार से इस्तीफा मांगा जाता है तो यह सरकार के लिये बहुत शर्म की बात है। अगर सरकार यह शासन नहीं चला सकती और जनता को खाना-कपड़ा नहीं दे सकती तो सरकार को चाहिये था कि वह स्वयं इस्तीफा दे देती जिससे जनता का मनोबल बढ़ता, लेकिन जब सरकार से ऐसा करने को कहा जाता है तो शर्म की बात है वह कुर्सी नहीं छोड़ना चाहती।

कल यहां पर जनसंघ की तरफ से एक जुलूस निकला और शहर में हड़ताल हुई। मुझे यह बताया गया कि लखनऊ में १ सेर ६ छटांक का चने का आटा बिक रहा है। इतने भाव में इन्सान कैसे जिन्दा रह सकता है। इस तरह से हम कैसे चीन का मुकाबला करेंगे और कैसे देश का मनोबल ऊंचा होगा और जनता कैसे जिन्दा रह सकती है। आज इस लखनऊ के अन्दर यह स्थिति पैदा हो गई कि इन्सान और जानवर में कोई फर्क नहीं रह गया है। इसके बाद भी आप कहते हैं कि आप को इन कुर्सियों पर बैठने का अधिकार है, तो मैं समझता हूं आप एक शर्मनाक तरीका अख्तियार कर रहे हैं। इसके लिये आपको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने मिलों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया। अगर आप जखीरेबाजों के साथ नहीं थे, पूंजीपतियों के साथ नहीं थे तो प्रदेश में आपने क्यों नहीं ऐसा आर्डिनेंस अब तक जारी किया कि प्रत्येक जखीरेबाज को तीन दिन के अन्दर अपना स्टाक सरकार को देना चाहिये। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसके खिलाफ डी० आई० आर० के अन्तर्गत कार्यवाही की जायगी। अगर आपने इस तरह के कानून का इस्तेमाल किया होता तो लाखों मन गल्ला आपको आसानी से मिल सकता था और अगर वे सही पोजीशन न बतलाते तो आप आसानी से उनको जेल भेज सकते थे। आप बुन्देलखंड की हालत को देखिये। केन्द्रीय सरकार ने उसे पिछड़ा हुआ इलाका माना है। वहां सवा सेर तक का गल्ला बिका। वहां बेकारी है, भुखमरी है, गरीबी है, और वहां के लोग कोदों, किखार, और मठा, महेरी बेर पर जीवन निर्वाह करते हैं। वे लोग कैसे देश की रक्षा कर सकते हैं। आप देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। आप अपनी हुकूमत में अपने देश के नागरिकों को जिन्दा कब्रिस्तान मशानों में भेज देना चाहते हैं। आप अपनी हुकूमत जिन्दा दिलों पर नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप हुकूमत छोड़ने के लिये तैयार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप जरा धीरे बोलिये। लिखा नहीं जा पा रहा है।

श्री लखपतराम शर्मा---

आप झांसी का नकशा देखिये। वहां सीमावर्ती कानून लगाने का क्या असर पड़ा है। वह इलाका मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। वहां ५ मील के इलाके से राशन नहीं आ सकता। नतीजा यह हुआ कि कृष्णचन्द्र शर्मा जी के क्षेत्र की ही गाड़ियां जो यू० पी० की तरफ ही आ रही थीं, वहां के पुलिस वालों ने पकड़ लीं। गांव में हलचल मच गयी कि गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं और नतीजा यह हुआ कि गल्ला देहात में ही रुकना शुरू हो गया। अगर अकेले बुन्देलखंड में जखीरेबाजों की जांच की जाय तो ३.४ लाख मन गल्ला वहां आसानी से मिल सकता है। इस प्रचार के बाद कि गाड़ियां पकड़ी जाती हैं और मुकदमा चलाया जाता है, मध्य प्रदेश व देहातों से गल्ला आना बन्द हो गया और देहात के अधिकांश किसानों को काफी लम्बी रकमें दौलतमंदों ने दीं और वे लोग उन देहातों का गल्ला जहां भी भाव बढ़ता है वहां आसानी से भेज देते हैं। बनारस में १ सेर व १४ छटांक तक का गल्ला बिका। आपकी राजधानी में कल एक प्रतिष्ठित नागरिक से बात हुई जिन्होंने चन्द्रशेखर आजाद जैसी हस्तियों को अपने घर में रखा है। जो आटा मैंने आपके सामने अभी पेश किया है और जिस में भूसा मिला हुआ था वह १ सेर ६ छटांक का आटा उनको खरीद कर खाना पड़ा जो कि जानवरों को दिया जाना चाहिये था। वे अपने बच्चों के साथ दो दिन से दाल और दाल के पानी पर रह रहे थे। सरकारी दूकान में गल्ला नहीं था। तीसरे दिन जब कोई चारा नहीं रहा तो यह आटा खरीदना पड़ा। मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रकार उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा? यह सत्ताधारी दल देश के मनोबल के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यह चीन से कम विश्वासघात नहीं कर रहा है देश के साथ। आपको समाज को उठाना है, नौजवानों को हिम्मत देनी है, देश को मजबूत बनाना है। उसे भूखा रख कर आप मजबूत नहीं बना सकते। आप केवल कागज पर जिन्दा हैं। मैं नेगी जी से पूछना चाहता हूं कि एक महीने के अन्दर कितने आदेश उन्होंने अपने विभाग को दिये। उनको स्वयं इस बात का अन्दाजा न होगा कि एक दिन के अन्दर कितने आदेश विभाग से दिये जाते हैं। जो मंत्री प्रदेश को खाना देने के लिये जिम्मेदार हो, उन्होंने स्वयं न जाने कितने आदेश दिये वह स्वयं नहीं जानते होंगे। हम विभाग से देते हैं, झांसी के अन्दर गुड़ नहीं आ सकता था, जबकि ललितपुर व मऊ में आ सकता था, क्या कारण है? आप परमिट की बात कहेंगे तो परमिट के अन्दर कितनी बेईमानी और भ्रष्टाचार है? अगर मंत्री जी को स्वयं ५-५ सौ आदमियों की कतार में खड़े होकर गल्ला लेना पड़ता तो मैं कहता हूं कि एक लाख बार यह कानून तोड़ दिया जाता। मंत्री जी को कभी अनुभव ही नहीं हुआ कि जनता को कितना कष्ट होता है। न उन्होंने कभी भूसा मिला हुआ आटा खाया। अगर खाते तो बलरामपुर अस्पताल का रास्ता देखते। आज इस कानून का असर मिडिल क्लास पर और बाबू क्लास पर और छोटे किसान व मजदूरों पर बड़े भयंकर रूप में पड़ रहा है। महंगाई अपनी सीमा पार कर चुकी है। हुकूमत पर से सब का विश्वास हट गया है। हमारी कभी भी यह मांग नहीं है कि इधर के लोग उधर जाकर सरकार संभाले। हमारी तो मांग यह है कि जब आप शासन नहीं कर सकते, इन्तजाम करने में फेल हो गये हैं, तो अपनी जगह किसी दूसरे मंत्री को लाइये। कोई मजबूत आदमी यहां आना चाहिये। लेकिन आपको तो फुर्सत ही नहीं है। आज आप का ध्यान उधर है कि पी० सी० सी० का प्रेसीडेंट कौन रहे, सुचेता कृपालानी जी को कब हटा दिया जाय, हमारा कोई मंत्री चीफ मिनिस्टर हो जाय। जब लोग मौत से खेल रहे हैं और भूख से मर रहे हैं आप कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। इतिहास काले अक्षरों में आप के कारनामे लिखेगा। जनता जाग चुकी है। यह ठीक है कि ईमान चुनाव में बेचा जाता है प्रापरली देने में माहिर हैं, लेकिन रुपया लेकर वोट किसी और को दिया जाता है। वक्त आ गया है कि अगर आप ने जनता की दशा नहीं सुधारी और कुर्सी पर बने रहे तो जनता स्वयं आप को उखाड़ कर फेंक देगी। वह जाग चुकी है।

[श्री लखपतराम शर्मा]

मेरा आखिरी सुझाव यह है कि जनता के हित में और सूबे के हित में आप मिलों का राष्ट्रीयकरण सेंट्रल गवर्नमेन्ट से कराइये। आप तुरन्त एक आर्डिनेंस राज्यपाल महोदय की तरफ से कानून की शक्ल में जारी कीजिये कि जिसके भी पास इस मात्रा से अधिक गल्ला हो और उसने तीन दिन के अन्दर हिसाब नहीं दिया और हिसाब से ज्यादा गल्ला निकाला तो वह नजरबन्द कर दिया जायगा व जायदाद जब्त कर ली जायगी। आप का कानून गरीबों के लिए है, लेकिन ब्लैक मार्केट करने वालों के लिए वह जहन्नुम में चला गया है। इस तरह से लाखों मन गल्ला आप के सामने आ जायगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिये कि आप को दौलत वालों से रुपया और वोट लेना है और जनता को भूखों मारना है। यह आप की नीति है कि जनता भूखों मरे लेकिन दौलत वाले जिन्दा रहें। राशन देने की जिम्मेदारी आप के ऊपर है। आज आप के लिए मुर्दा दिलों के कब्रिस्तानों और श्मशानों के ऊपर हुकुमत करने से अच्छा है कि आप इस्तीफा दें। एक बार नहीं लाखों बार इस्तीफा देकर जायं, आप जनता की इस मांग के आगे नहीं टिक सकते।

श्री उपाध्यक्ष--

शर्मा जी, आप का समय समाप्त हो गया।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ अपने विचार इस सिलसिले में रखना चाहता हूं इस सदन के आदरणीय सदस्यों के सामने। सबसे पहले मैं सभी लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि अगर आप यह समझते हैं कि खाद्य स्थिति भयंकर है, तो उसकी भयंकरता को भी आप को महसूस करना चाहिये। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि प्रान्त की जो आज स्थिति है उससे चीन लाभ उठा सकता है। मैं, श्रीमन्, यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप लोग ऐसा समझते हैं तो फिर आप को कोई ऐसी तरकीब भी सोचनी चाहिये जिससे चीन वाले वह फायदा न उठा सकें। आप लोगों से सुझाव प्राप्त करने के लिये ही माननीया मुख्य मंत्री जी ने आप लोगों की एक कमेटी बनायी, लेकिन यह मुल्क की बदकिस्मती है कि इन नेताओं ने अपने को उससे बाहर रखने का फैसला किया। मैं उधर के बैठने वाले नेताओं से यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो बातें यहां कहीं हैं और जो सुझाव यहां पर दिये हैं अगर उन को उस समिति में कहा होता तो उन की बातों को कहीं अधिक बल मिला होता।

मान्यवर, मैं उस जिले का रहने वाला हूं जहां पर कि खाद्य समस्या हमेशा ही भयंकर रहा करती है। वहां हमेशा अकाल की स्थिति रहती है। वहां का करीब एक चौथाई एरिया फ्लड एफेक्टेड एरिया है। (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या कभी इनके जमाने में देवरिया और गोरखपुर में १८ आने सेर आटा बिका था?

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है।

श्री कल्पनार्थसिंह--

आप जरा जल्दी कर गये, मेरी पूरी बात को कृपया सुन लें। मैं यह अर्ज कर रहा था कि गोरखपुर का करीब एक चौथाई एरिया बाढ़ से प्रभावित रहता है। कभी ओले का प्रकोप रहता है तो कभी दूसरी मुसीबत रहती है। १८ आने सेर आटा बिकने की बात को मैं गलत नहीं बताता, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उस के लिये जिम्मेदारी आप की भी है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उरवा बाजार में लूट करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? किन

लोगों का उसमें हाथ था ? आखिर बाजार में ब्लैक करने वाले कौन लोग हैं ? बाजारों में इस बात का प्रोपेगन्डा कौन लोग करते हैं कि जो व्यापारी गल्ला लायेगा वह लूट लिया जायेगा ? यह सब कौन करता है ? मैं तो इस सरकार को और सरकारी मशीनरी को धन्यवाद देता हूं कि उसने इस बात का जगह-जगह समुचित प्रबन्ध किया है कि कहीं पर गल्ला न लूटा जा सके, लूटमार न हो सके। मैं यह कहना चाहता हूं कि १८ आना सेर बिकवाने वाले आप भी हैं सरकार की जिम्मेदारी इससे कम नहीं हो जाती। (शोर) आप कहते हैं कि यह सरकार इस्तीफा दे दे लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस महंगाई के लिये आप की जिम्मेदारी नहीं है ? मैं जानना चाहता हूं कि बम्बई में किसने हड़ताल कराई। हड़ताल कराकर फूड क्राइसिस पैदा कराने वाले आप कौन लोग हैं। आप यह न सोचें कि सरकार से इस्तीफा तो मांग लिया जायगा और असेम्बली के मेम्बरों से न मांगा जायगा, क्योंकि आप ने भी तो अपना फर्ज अदा नहीं किया है। यहां बैठ कर आप ने क्या किया ? जनता आप से पूछेगी कि कांग्रेस तो हुकूमत में थी अगर उसने कुछ नहीं किया तो आप ने क्या किया, कौन-सा सुझाव दिया ? मैं समझता था कि दो प्रकार के सुझाव आयेंगे--१ लांग टर्म और दूसरा शार्ट टर्म। अगर आप सुझाव देते और सरकार न करती तो यह हो सकता था कि यह सरकार गद्दी पर रहने के काबिल नहीं है।

कहा गया कि कांग्रेस में गुटबंदी है। ठीक है, गुटबंदी है। लेकिन इस गुटबंदी के रहते हुए भी जनता ने उस को चुन कर भेजा। (व्यवधान) मुझसे पूछा गया कि मैं कैसे चुन कर आया था। यह भी कहा गया कि उन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिये जो लोग उधर से कांग्रेस में चले गये हैं। स्पीकर साहब ने उसको आउट आफ आर्डर करार दे दिया। लेकिन रामसुन्दर जी जरा बतायें कि वे तो पी० एस० पी० के चुनाव घोषणा-पत्र पर आये थे वे एस० एस० पी० में चले गये हैं तो उन की क्या स्थिति है ? इसी प्रकार सोशलिस्ट पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र पर आये हुए सदस्यों को भी बिना एस० एस० पी० के घोषणा-पत्र पर आये यहां बैठने का हक नहीं है आज जिसकी कोई नीति नहीं है वह हमें नीति सिखाने चला है। पहले स्वयं अपनी नीति रखो तब सिखाने का दावा करो।

अब अगर नीति की ही बात है तो कम्युनिस्ट पार्टी और जनसंघ की नीति कहां मिलती है। स्वतंत्र पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी की नीति कहां मिलती है लेकिन यहां एक साथ खड़े हुए। मैं एक साथ खड़े होने का स्वागत करता हूं। अच्छी बात है। लेकिन अगर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अपनी नीति को सामने रखते तो सोचने का मौका उन को मिलता। इनमें एक तो स्टेट ट्रेडिंग चाहता है और दूसरा फ्री एन्टरप्राइज को पसंद करता है। दोनों का मेल है कहां ? मैं कहना चाहता हूं कि आप जरूर क्रिटिसिज्म कीजिये, और जम कर कीजिये, लेकिन ऐसा क्रिटिसिज्म कीजिये जिसे जनता सुने और आप के प्रति भी उस की आस्था बनी रहे। ऐसा न कीजिये कि दूसरे की साइट बिगाड़ने के लिये आप अपनी ही नाक को कटा डालें।

(व्यवधान)

जो यह कहा जाता है कि माननीया सुचेता जी की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये, इस सरकार को गद्दी पर रहने का कोई हक नहीं है, तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि यह सुचेता जी का ही नेतृत्व है जिससे इस प्रान्त में जातीयता व प्रान्तीयता नहीं है और कोई वंशी विभेद की भावना नहीं है। यह सुचेता जी का ही नेतृत्व है जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान में दूसरे नम्बर का प्रान्त है। अगर आप लोग मध्य प्रदेश में होते, बम्बई में या राजस्थान में होते या वहां की मार्केट प्राइस पढ़ते तो मैं समझता हूं कि इस तरह की बात न करते। मेरा कहना यह है कि मेरे एक दोस्त जो बम्बई से गांव की तरफ जा रहे थे, उनसे मालूम हुआ कि बम्बई में २० आने सेर गेहूं बिक रहा है जब कि उत्तर प्रदेश में ३२ रुपये मन है। ऐसी हालत में जब बम्बई की सरकार इस्तीफा नहीं देती तो फिर उत्तर प्रदेश की सरकार से इस तरह की मांग करने का क्या औचित्य है, मेरी समझ में नहीं आता ?

[श्री कल्पनार्थसिंह]

एक बात कही जाती है कि केन्द्र की सरकार को हमारी मदद करनी चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र की हालत क्या है? केन्द्र के सामने केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं है। उत्तर प्रदेश का स्थान तो सारे हिन्दुस्तान में सेकेंड बेस्ट है और आप को तो इस तरह का सुझाव देना चाहिये कि इस उत्तर प्रदेश को हिन्दुस्तान का बेस्ट सूबा कैसे बनाया जाय? उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहां की लीडरशिप है, यहां बड़े अच्छे-अच्छे लोग हैं, जो देश में अपना अच्छा स्थान रखते हैं। यह गंगा-यमुना के बीच की उर्वरा भूमि है, जो सारे हिन्दुस्तान को खाने के लिये गल्ला दे सकती है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिये आप को कोई सुझाव देना चाहिये था। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस संकटकाल में जनता के साथ खिलवाड़ न करें। यह तो ऐसा वक्त है जब कि हर आदमी को कंधे से कंधा मिला कर इस संकटकाल का मुकाबला करना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र---

श्रीमन्, जरा श्री कल्पनार्थसिंह जी से पूछ लिया जाय कि आज से एक हफ्ता पहले माननीया सुचेता जी की सरकार के प्रति उनका क्या विचार था?

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जायं।

श्री कल्पनार्थसिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने खाद्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिये कि आज हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश की हालत क्या है? मैं यह नहीं कहता कि खाद्य मंत्री जी को इस की जानकारी न होगी। जानकारी होगी, लेकिन मैं इस तरफ उनका विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की हालत निहायत खराब है। एक दूकान पर ४ क्विंटल गल्ला रोज देने से लोगों को खाना नहीं पहुंचाया जा सकता है। जैसे-जैसे आप का स्टाक बढ़ता जाय वैसे वैसे आप उसको रिलीज करते जाइये और लोगों तक खाना पहुंचाने का प्रबन्ध किया जाय तथा जनता में एक विश्वास की भावना पैदा हो जिससे लोगों के अन्दर जो एक भय समाया हुआ है वह दूर हो तभी इस मुसीबत का मुकाबला किया जा सकता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज गोरखपुर, देवरिया, बस्ती आजमगढ़ व बलिया जिले में अन्न की बड़ी कमी है। इधर बहराइच तो सरप्लस डिस्ट्रिक्ट था पर अब पता नहीं क्या हालत है इस साल और कुछ खराब हुई। मैं कहूंगा कि उन जिलों में आज सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये और वितरण के मामले को ऐसे ढंग से ठीक करें लोगों की राय लेकर वह इंतजाम चलना चाहिये। मैं अधिक उसके डिटेल में न जाकर केवल इतना ही कहूंगा कि अभी तक जो वितरण का प्रबन्ध है वह दोषपूर्ण है। इस लिये खाद्य मंत्री को स्वयं इस चीज को देखना चाहिये, लोगों से राय लेना चाहिये और अल्पमत के लोगों की भी उन्हें राय लेना चाहिये और इस तरह से परिस्थिति का मुकाबला करने में मैं समझता हूं कि उन को अधिक दुश्वारी नहीं होगी। हमें अपने नागरिकों में एक ऐसा मनोवैज्ञानिक बल पैदा करना चाहिये कि जिस से इस मुसीबत के वक्त में भी अगर पाकिस्तान या चीन कोई हमारी तरफ देखे भी तो सारा देश एक हुंकार के साथ खड़ा हो सके। यह देश का सवाल है और अगर इस परिस्थिति में इस चीज को राजनैतिक शक्ल देने की कोशिश की गई तो परिस्थिति को बिगाड़ने का ही दावा वह कर सकेंगे। इस तरह की चीज से जनता का बल गिर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो आप कोई भलाई न कर सकेंगे, स्थिति भले ही बिगड़ जाय। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो कुछ उधर से कहा जाय उसको अपोजीशन की बात न समझें और इस मामले में कांग्रेस पार्टी की और उन की आवाज की बराबर कद्र होना चाहिये। मैं कहूंगा कि जो खाद्य समिति बनी है उसमें सारे विरोधी दल के लोग

आयें और वहां पर अपने विचारों को देकर प्रदेश की खाद्य स्थिति को सुधारने में सहयोग दें। वह इस समिति के द्वारा प्रदेश की अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं जिसका उन्होंने और हमने व्रत लिया है।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

अध्यक्ष महोदय, आज माननीय नेता विरोधी दल की ओर से जो प्रस्ताव आया है और समस्त माननीय विरोधी दल के सदस्यों ने जिसका समर्थन किया है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर ! आज की परिस्थिति तो वाकई में बहुत विषम और गम्भीर है और प्रदेश में इसी बात को जानकर सरकार से यह मांग की गई है कि वह अपना इस्तीफा पेश करे। सरकार अपनी कुछ नीतियों के आधार पर अपना कार्य करती है और आज प्रदेश में जब उनकी सारी नीतियां असफल हो गईं तो आज इसी हालत में प्रदेश के प्रायः सभी चुनकर आने वाले प्रतिनिधियों ने उनसे इस्तीफे की मांग की है। अभी श्री कल्पनाथसिंह जी ने कहा कि यहां प्रदेश की एक खाद्य समिति बनाई गई और जिसमें सभी विरोधी दलों के नेताओं को बुलाया गया था। अपनी असफलताओं के साथ जनता को भूखा रख कर इन्होंने जो पाप कमाया है उसमें भागीदार बनाने के लिये विरोधी नेताओं को बुलाया गया और उन्होंने उसमें शामिल होने के लिये अगर इन्कार कर दिया तो कोई बुरा नहीं किया। मान्यवर, आज यह परिस्थिति आई क्यों ? मालूम होता है कि यह धोखा उनको उन के अधिकारियों ने ही दिया। हमारे मंत्री जी ने इस प्रदेश की खाद्य स्थिति को ठीक ठीक नहीं समझा क्योंकि उनके अफसर उनको ठीक बात नहीं बता सके। हुआ यह कि जाड़े में पाले की हानि को जो माननीय भानुप्रताप जी द्वारा ४ करोड़ मन आंका गया इसी वास्ते कि रेवेन्यू में अधिक माफी न देना पड़े। सरकार ने कम एस्टीमेट किया उस समय खाद्य समस्या की चेतावनी देने पर भी सरकार न चेती और उसका नतीजा यह हुआ कि उस स्थिति को देख कर यहां के लिये अलाटमेंट भी केन्द्र से कम हुआ और गल्ला कम मिल सका और उसके बाद भी जो अलाटमेंट भी हुआ वह भी केन्द्र ने अपना वायदा पूरा नहीं किया जो १ लाख टन प्रतिमास देने का भी था। यद्यपि इस परिस्थिति को उस समय खाद्य मंत्री जी नहीं समझते थे। आज भी मक्का की फसल खराब हो गई जो फिर भविष्य में कमी करेगी। मान्यवर, केन्द्रीय सहायता के आधार पर सम्भवतः उन्होंने अपना बयान दिया था कि हम बाजार में गल्ले की कमी को पूरा कर देंगे। पर वह नहीं करा सके। और आज जनता भूखों मरने लगी इस लिये यह प्रस्ताव रखा गया। आज प्रदेश में करीब १२ हजार सस्ते गल्ले की दुकानें हैं जहां आप गल्ले का वितरण ठीक से नहीं कर सके। गल्ला आप का चोर बाजारी में जाता है। हमारी पार्टी की ओर से मांग थी कि जितना गल्ला आप के पास है उसे उचित अनुपात से देहातों में खेतिहर मजदूरों के लिये और उन किसानों के लिये जिनके पास १ एकड़ से कम जमीन है बंटवाने का प्रबन्ध करें और इसके लिये उनके परमानेंट राशन कार्ड बना दें ताकि उनकी पूर्ति होती रहे। शहरों में भी आप वितरण पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपको २०० रु० से ऊपर आमदनी वालों के कार्ड वापस ले लेने चाहिये थे। यह अविश्वास का प्रस्ताव इसलिये नहीं आया कि हम को विरोध करना है, न कोई राजनीतिक चाल है, वास्तविकता यह है कि आज जनता इस बात को चाहती है कि आप इस स्थान को छोड़ें केवल इसलिये नहीं कि हम वहां बैठना चाहते हैं। पर आवश्यकता इस बात की है कि सेंटर तक आपकी बात नहीं मानता तो आप कैसे मंत्रि-मंडल बनाये बैठे हैं ? जनता भूखों मरती है आप उसका विश्वास खो बैठे हैं आप को स्वयं ही स्थान छोड़ना चाहिये। जब सेन्टर ही आप की बात नहीं मानता तो आप को विरोध स्वरूप इस्तीफा देना चाहिये। फिर चाहे दुबारा आप यहीं या कुछ अन्य नये लोगों को लेकर मंत्रि-मंडल बनायें। लेकिन इस समय आप को त्याग-पत्र देना चाहिये।

खाद्य संकट की हालत हर जिले में है। मैं अपने जिले जालौन की कहता हूं जिसे अधिक अन्न उत्पादन पर स्वर्ण कलश मिला है, वहां भी खेतिहर मजदूरों को गल्ला प्राप्त नहीं हो रहा है और कहीं भी गल्ला नहीं दिखाई देता है। इसका कारण यह नहीं है कि गल्ला वहां

[श्री विजयसिंह]

नहीं है, बल्कि यह है कि आपके अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। जनता भूखों मरती है और आप की मशीनरी दिनों दिन करप्ट होती जाती है आप इसे रोक नहीं पा रहे हैं। हमको गौरव है कि हमारे प्रदेश के मंत्रि-मंडल में एक ऐसा मंत्री है जो कृषि का विशेषज्ञ है, उन्होंने क्या सुझाव दिये यह तो वही जानें। आज सरकार के पास चर्चा हो रही है कि देहात में किसान के पास गल्ला है। मैं कहता हूं कि उनके पास नहीं है। हमारे उन मंत्री महोदय को जो कृषि विभाग दिया गया था वह भी एक तरह से पोस्टमार्टम करके दिया गया। फिर कैसे पैदावार बढ़े यह एक अहम प्रश्न हो गया है? आज किसान को कृषि उपज का उसे उचित मूल्य प्राप्त नहीं इसीलिये इस कृषि प्रधान क्षेत्र में गल्ले की पैदावार घटती जाती है। कृषि की अन्य आवश्यक वस्तुओं में कोई सामंजस्य नहीं है। अगर आप बीज देते हैं तो पानी नहीं दे पाते, खाद देते हैं तो अच्छा बीज समय पर नहीं मिलता। इसलिये इस परिस्थिति को सम्हालने के लिये सरकार ने पालिसी में कुछ थोड़ा चेंज किया पर उसका भी कोई फल नहीं निकला। एक मुख्य कारण यह भी हो गया कि किसान को अपनी पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिलता। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसलिये वह कृषि उपज बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं दिखाता। अतः जब तक उसको इस बात का विश्वास नहीं होता कि उसको अपनी उपज का उचित दाम मिलेगा तब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा। जरूरत थी कि सरकार उसको उसके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाये। सरकार को कृषि उपज का मूल्य निर्धारित कर देना चाहिये था समता के सिद्धान्त पर कि बाजार में उसके उपयोग की अन्य चीजें किस भाव पर मिलती हैं। अगर मूल्य निर्धारित हो जाय और उससे यदि २० प्रतिशत भाव कम होता तो सरकार को उस गल्ले को ले लेना चाहिये था। जो चोर बाजारी वाले कम दाम पर गल्ला खरीदते हैं उसी दाम पर अगर सरकार ही खरीद ले तो कोई आपत्ति नहीं है। मान्यवर, यदि २० परसेन्ट भाव ऊपर चला जाता है तो चाहे वह किसान हो या व्यापारी हो उसको सरकार को सजा देना आवश्यक है। मान्यवर, किसानों के पास कोई गल्ला नहीं है। उनके पास केवल बीज बोने के लिये और ३–४ महीने के खाने भर के लिए ही है। सरकार उस की ओर निगाह न उठाये वर्ना आतंक पैदा हो सकता है। अगर किसी के पास थोड़ा बहुत है भी तो वह अपने पड़ोसी को मरने से बचने के लिये देगा। किसान अपने मजदूरों को गल्ले में ही मजदूरी देता है। आज जो प्रदर्शन आप शहरों में देखते हैं वे देहातों में नहीं है। उसका कारण यह है कि आज वहां के किसान अपने पड़ोसियों की अनाज से मदद करते हैं और अपने मजदूरों को अनाज में मजदूरी देते हैं। परन्तु अगर यही परिस्थिति रही तो देहातों से भी मरने की सूचना आने लगेगी। यह बात मैं बुन्देलखंड की कह रहा हूं। पूर्वी जिलों में तो और भी हालत खराब है। वास्तव में आज व्यापारी सरकार का ध्यान किसानों की ओर ले जा रहे हैं। उनकी एक कूटनीतिक चाल है ताकि सरकार उनकी ओर से ध्यान हटा कर किसानों में उलझ जाये और उनका जखीरा सुरक्षित रहे। यह केवल बड़े व्यापारियों और जखीराबाजों की ही चाल है और सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी भ्रम में तमाम गलतियों के साथ एक और भूल न कर बैठें।

मान्यवर, आज सरकार के पास बड़े-बड़े साधन हैं। उनके पास सी० आई० डी० और पुलिस है। यद्यपि उनकी पुलिस यह काम नहीं कर सकती। पर यह काम सी० आई० डी० द्वारा अवश्य हो सकता है। यदि यह काम पुलिस को सौंपा गया तो और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सी० आई० डी० द्वारा ही काम कराकर गल्ले को इकट्ठा किया जा सकता है। मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश के अपने जिले जालौन की बात कह रहा हूं। यह जिला बार्डर जिला है जहां से मध्य प्रदेश में गल्ला आदि जाता रहता है और पुलिस वाले ठेलों पर हजारों रुपया लेकर हजारों मन गल्ला मध्य प्रदेश ले जाने देते हैं। हमारे जिले का लाखों मन गल्ला कानपुर में आता था पर पुलिस की साजिश से वह गल्ला अब मध्य प्रदेश में चोरी से चला जाता है।

देहातों में जो दुकानें हैं खासतौर पर जालौन जिले में, किसी भी दुकान पर गल्ला सप्लाई नहीं हुआ। जिले के कस्बा और शहरों में थोड़ा बहुत गल्ला किसान मजदूरों को दे भी रहे हैं पर अगर यही हालत रही तो वहां के मजदूरों की भी हालत खराब हो जायगी। अतः मेरा अनुरोध है कि शासन अपनी बात में, अपनी नीतियों में, अपने सिद्धान्तों में असफल होने के कारण और जनता की और उनके प्रतिनिधियों की मांग को देखकर सरकार के लिए आवश्यक है कि वह तुरन्त इस्तीफा दे और वह या तो एक संयुक्त मंत्री-मंडल बनायें या अपने में ही से दूसरी सरकार बनायें। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है उसका मैं विरोध करता हूं। जिस समय विरोधी दल के नेता बोल रहे थे तो मैं सोचता था कि क्या उनका उद्देश्य है? सचमुच वे चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार न रहे अथवा कुछ प्रस्ताव ला कर पोलिटिकल कैपिटल वह बनाना चाहते हैं? अगर उनकी मंशा यही थी कि कांग्रेस की सरकार को हटा कर एक चूंचूं का मुरब्बा यहां रखा जाय तो कल मुख्य मंत्री जी ने जिस उदारता से कहा था कि आप सब मिल कर एक नाम हम को दे दीजिये तो आज आपमें उस चुनौती को स्वीकार करने का साहस होना चाहिये था कि अमुख व्यक्ति मुख्य मंत्री होना चाहिये परन्तु उनके अन्दर यह साहस नहीं था और उनके पास किसी व्यक्ति का नाम नहीं था जिसका नाम वह प्रस्तुत कर सकते। उधर से कहा जाता है कि हमारे मंत्रियों में से ही दूसरा मुख्य मंत्री बनाया जाय पर रहेगी तो वह कांग्रेस की ही सरकार चाहे उसे सुचेता जी चलायें या कोई दूसरा उसका मुख्य मंत्री बने। आज कांग्रेस सरकार को हटाने की विरोधियों में शक्ति नहीं है। बहुत दावा किया गया कि जनता को हम में विश्वास नहीं है। इस प्रकार की बातें बहुत समय से हम सुनते चले आ रहे हैं। इस बात की परीक्षा करनी है तो ६७ में जनता फैसला देगी और मेरा विश्वास है कि कांग्रेस को सरकार फिर बनाने का अवसर मिलेगा।

एक बात कही रामसुन्दर पांडेय ने उन साथियों के विषय में जो प्रजा समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में आ गये कि उनको त्याग-पत्र देना चाहिये। आज रामसुन्दर पांडेय भी पी० एस० पी० के सदस्य नहीं रहे और उनको भी त्याग-पत्र देकर परीक्षा करनी चाहिये कि जनता उनके साथ है या हमारे साथ है।

यह बात निर्विवाद है कि आज खाद्य स्थिति खराब है और जनता के सामने गम्भीर स्थिति है परन्तु क्या यहां इस प्रकार का प्रस्ताव लाने से, प्रदर्शन करने से, जनता को भड़काने से खाद्य समस्या हल होने जा रही है। मैं यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि जनता जब यह समझेगी कि जिस समय वह मुसीबत में थी, परेशान थी, दुखी थी, त्राहि-त्राहि कर रही थी उस समय हमारे मित्र पोलिटिकल कैपिटल बना रहे थे तो वह उनको क्षमा नहीं करेगी।

बहुत चर्चा की गई नेगी जी के नोट की जो उन्होंने उदारता के साथ, शराफत से उनको दे दिया था और कह दिया था कि हमारी यह स्थिति है। यह नहीं मालूम था कि सच्चाई के साथ बात कह देने के उल्टे माने लगाये जायेंगे। उनसे कहा गया कि आइये हमारे साथ कमेटी में बैठिये, हल बतलाइये और सुझाव दीजिये। शुरू में उन्होंने सोचा कि शायद हम कुछ कर सकेंगे लेकिन जब आकर देखा कि वह कुछ कर नहीं सकते, कोई सुझाव उनके पास नहीं है तो सबने एक-एक करके, कहा हम क्षमा चाहते हैं हम इसमें काम नहीं करेंगे और जो नोट नेगी जी ने शराफत से दे दिया था उसको अनुचित ढंग से इस्तेमाल किया गया वह नैतिकता से गिरी हुई बात कही जायगी। शराफत के साथ एक नोट दिया गया, विश्वास में वह दिया गया उस समय उसका पोलिटिकल कैपिटल बनाना कहां तक उचित है?

मैं यह बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं जो यह बात कही जाती है कि इसमें किसकी जिम्मेदारी है, तो इसमें दो-तीन फैक्टर्स हैं।

[श्री जगवीरसिंह]

सबसे बड़ी जिम्मेदारी लगातार तीन फसल नष्ट हो जाने की है। दूसरे मैं सरकार को भी निर्दोष नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि सरकार दूरदर्शिता से काम कर सकती थी जिसके करने में वह असमर्थ रही है। मैं आपके सामने अप्रैल से जून, १९६३ तक के आंकड़े देना चाहता हूं। इस बीच में पिछले वर्ष भी १५,७५,३१३ क्विंटल अनाज मंडियों में आया था जब कि इस वर्ष कुल ११,७०,५२४ क्विण्टल ही आया। पिछले वर्ष में अनाज की होलसेल कीमत ४२.४५ थी जो इस वर्ष ५७.६५ है। रिटेल में ४५.१६ और इस वर्ष ६०.७१ है। इससे जाहिर होता है कि कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही थीं। यह कह देना कि इस महीने में कीमतें बढ़ीं यह सत्यता से परे है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष हर महीने में मंडियों में अनाज कम आया। इसके अतिरिक्त इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है। जो उसने प्रदेशीय सरकार से कमिटमेंट किये थे उनको वह पूरा नहीं कर सकी। प्रदेश में कैश क्राप का रकबा बढ़ा है। इस साल १४ लाख टन रबी की फसल कम हुई है। जब हम कहते थे कि ओलों से फसल को बहुत नुकसान हुआ है तो मंत्री जी को हमारी बात मानने में आपत्ति थी। वह ब्यूरोकेशी की नुकसान वाली बात को सही मानते थे। ब्यूरोकेसी तो काम से बचने के लिये कम नुकसान दिखाती है। इसलिये सरकार को हमारी बात के ऊपर जांच करानी चाहिये थी। उस समय फसल कम थी।

प्रश्न यह है कि इसका समाधान क्या है? इसका शार्ट टर्म और लांग टर्म हल क्या है? हमारे दोस्तों ने २, ३ बातें कहीं हैं। एक बात यह कही गई कि किसानों से गल्ला लिया जाय इस समस्या को सुलझाने के लिये। मैं किसानों की वकालत करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। परन्तु सत्य को नहीं भुला सकते आज हमें बड़े किसान जिसके पास गल्ला है लेना चाहिये लेकिन जमीन के ऊपर फैलाकर प्रक्योरमेंट के तरीके पर लेने से अन्याय होगा। किसानों ने मंडी में गल्ला बेचा है। उसके पास गल्ला नहीं है। मुझे सरकार की नीतियों से आभास होता है कि वह देहात के प्रति न होकर शहरों के प्रति होती हैं। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा कि अधिक दुकानें शहरों में हैं। हमें ज्यादा चिन्ता शहरों की है और देहात की चिन्ता बहुत कम है। अगर हमने आज किसी वजह से किसान के ऊपर हाथ डाल दिया तो जनता का विश्वास हमारे ऊपर से उठ जायगा। सरकार चलाने के लिये तीन चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो फौज की आवश्यकता होती है, दूसरे गल्ले की आवश्यकता होती है और तीसरे जनता के विश्वास की आवश्यकता होती है। फौज के बगैर काम चल सकता है, गल्ले के बिना भी चल सकता है, लेकिन अगर जनता का विश्वास नहीं होगा तो सरकार नहीं चल सकेगी। इसलिये हमें आज जनता का मनोबल बढ़ाना है। जनता में विश्वास पैदा करना है तो हमको किसी भी प्रकार के दबाव काश्तकार पर नहीं डालने चाहिये।

दो-तीन बातें और लांग टर्म समस्या के हल के लिये कहना चाहता हूं। किसानों को प्रोत्साहन देना होगा। यह एलान करना होगा कि जो इतना गल्ला बोयेगा उसको यह यह सुविधा मिलेंगीं। उनके सिंचाई के रेट्स को कम करना होगा, उनको तकावी को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देनी होगी। बिजली की दर कम करनी होगी और प्रतिबन्ध हटाने होंगे। (fertilisers) कम कीमत पर देना होगा इत्यादि किसानों को जब इंसेंटिव मिलेगा तभी यह समस्या हल होगी और जो हमारे मित्र आज चाहते हैं कि इस सरकार को हटाकर खुद बैठें उनके स्वप्न को समाप्त करना होगा।

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। विरोधी दल के सभी पक्ष उससे सहमत हैं। उसके विरोध में कुछ असली और कुछ फसली कांग्रेसी, जो अभी विरोधी दल को छोड़कर कांग्रेस में गये हैं बोले हैं। मैं फसली कांग्रेसियों की बात को तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महत्व देता नहीं हूं, लेकिन जो असली कांग्रेसी हैं उन्हीं की कहता हूं। उन्होंने दो बातें नेता, विरोधी दल के भाषण के संबंध में कही हैं। एक बात तो यह कि नेता, विरोधी दल ने यह सब राजनीतिक लाभ के लिये किया है। परन्तु जितने भी कांग्रेसी सदस्य यहां बैठे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनमें से एक भी सदस्य ईमानदारी से कह सकता है कि उनके क्षेत्र के अन्दर गल्ले की कोई समस्या नहीं है और क्या यही चलकर वह अपने क्षेत्र में खड़े हो कर कह सकता है ? अगर यह बात सही है कि वह नहीं कह सकता तो फिर विरोधी दलों पर यह लांछन कि राजनीतिक लाभ के लिये यह सब किया है, सरासर झूठ है, अन्याय है।

दूसरी बात यह कही गयी कि केवल गल्ले की बात ही अविश्वास के प्रस्ताव पर कही गयी है। यह सही है कि इस सरकार की जितनी भी नीतियां इस प्रदेश की प्रगति के संबंध में रही हैं सब असफल रही हैं, लेकिन उनको बार-बार दोहराने से कोई लाभ नहीं और विरोधी दल के नेता ने यही कहा सिर्फ फूड फ्रन्ट को लिया कि सरकार इसमें भी फेल कर गयी है और इसलिये सरकार को इस्तीफा देना चाहिये। मैं भी उन बातों को छोड़कर केवल तात्कालिक समस्या तक अपने को सीमित रखूंगा। वास्तव में स्थिति बहुत भयंकर है, समस्या बहुत कठिन है। देखना यह है कि यह समस्या कहां, क्यों, कितनी देर के लिये है और वह किस प्रकार दूर होगी ? एक समस्या तो ऐसी है जो दो महीनों ही रहनेवाली है। सर्वसाधारण जनता समझती है कि क्वार में जब किसान की बखारी से अनाज बाहर आ जायगा तब उस समय यह भयंकरता नहीं रह जायगी। यह सावन और भादों तक ही रहने वाली है। तो वास्तविक समस्या केवल २ महीने की है। इस समय किसके पास खाने के लिये नहीं है उस ओर विशेष रूप से ध्यान देना होगा क्योंकि अगर ७ करोड़ को गल्ला बांटने का प्रयास सरकार करेगी तो वह नहीं कर पायेगी इसलिये ८ किलो ग्राम गल्ला प्रति यूनिट के लिये जो शहरों में प्रबंध है वह जिनको नहीं मिलता है, जो साल भर के लिये खरीद-कर नहीं रख सकते, उनके लिये प्रबन्ध करना चाहिये। देहातों में जो बड़े-बड़े काश्तकार हैं, जो २०–२५ बीघे के काश्तकार हैं उनके लिये समस्या नहीं है परन्तु जो खेतिहर मजदूर हैं। दो बीघे, तीन बीघे चार बीघे वाला काश्तकार जो हैं उसके सामने ऐसी समस्या है और इसलिये यह और भी आवश्यक है कि जो खेतिहर मजदूर हैं जो मजदूर आज खेतों में जाकर निराई का काम कर रहा है, उसको और छोटे काश्तकारों को अनाज मिल सके, उनके खाने पीने का विशेष रूप से इन्तजाम सरकार को पहले करना चाहिये और फिर उसके बाद और लोगों का करना चाहिये। सरकार की दूकानें भाव सस्ता करने में बिलकुल असमर्थ रही हैं। आज सर्वाधिक अफेक्टेड क्लास किसानों, मजदूरों या बिना खेत वालों का है और शहरों के अन्दर के कर्मचारियों और छोटे छोटे मजदूरों का है, उनके लिये विशेष प्रबन्ध करने की आवश्यकता है।

यह श्रीमन्, बिलकुल असम्भव सी बात है जैसा कि एक सज्जन ने कहा कि जो किसान अपने साल भर के खाने के लिये गल्ला रखे है या क्वार में बोआई के लिये रखे हैं उसको भी खींचकर वितरण के लिये रख लें और उसको लेकर फतेहपुर का बरेली और बरेली का बांदा भेजें तो उससे समस्या और भी जटिल हो जायगी। परन्तु श्रीमन्, यह बात अवश्य है कि सरकार के पास इस बात के आंकड़े अवश्य होने चाहिये कि गांव में भी अगर किसी परिवार के पास साल भर के खाने के अतिरिक्त १०० मन गल्ला है, तो उसकी जानकारी सरकार को होनी चाहिये और गांव के लोगों को भी यह जानकारी सरकार को देनी चाहिये। मगर सरकार कुछ भी करने में असफल हो रही है।

सरकार की जो नीति है वितरण की उसके कारण सारे का सारा उपद्रव खड़ा हुआ है। माननीय मंत्री जगमोहनसिंह नेगी ने जूलाई में जो दौरा करने के बाद बातें कहनी शुरू कीं, उसने और समस्या को गंभीर बना दिया। एक बार तो उन्होंने कह दिया कि हमारे प्रदेश में केवल दो महीने का गल्ला है। उसका परिणाम यह हुआ कि लोगों ने यह सोचा कि दो महीने के बाद में गल्ला नहीं मिलेगा तो खरीदो इस समय, चाहे ब्लैक से मिले, चाहे खुले बाजार

[श्री रक्षपालसिंह]

से मिले, जहां से मिले खरीदकर रख लो। दूसरे दिन कह डाला कि गल्ला तो है, जो कुछ भी हमारा स्टाक है वह अभी तो नहीं देंगे, जब बहुत गंभीर समय आयेगा तब बांटेंगे।

दूसरी बात जो इनकी मशीनरी है वह कितनी नाकामयाब रही है। मार्च, अप्रैल में जब पूछा गया तो कह दिया कि कानपुर से आर० एफ० सी० के यहां से गल्ला चला गया और फतेहपुर पहुंच गया। लेकिन वह गल्ला जिले में नहीं पहुंचा था। तो इनका कोई भी नियंत्रण अपनी मशीनरी पर भी नहीं है। आर० एफ० सी० और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर अपनी मनमानी कर रहे हैं, इनके आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। मैं कम से कम फतेहपुर जिले की बात जानता हूं। वहां पर एक गल्ले का दूकानदार जाता है, अगर वह घूस दे देता है तो १०० बोरे का परमिट मिल जाता है और नहीं देता है तो २० बोरे का मिलता है और उसको भी लेने के लिये जब वह कानपुर जाता है तो तीन चार बार उसको लौटना पड़ता है, नहीं मिलता। अब थोड़ा-सा परिवर्तन आपने इस व्यवस्था में जरूर किया है। लेकिन श्रीमन्, उसमें भी गड़बड़ी है। जो गल्ला दिया जाता है, वह वहीं कहीं नजदीक की दूकान में या अधिक भाव के बाजार में सीधे चला जाता है जहां के लिये दिया जाता है वहां पहुंचता ही नहीं। इनके पास न कोई मशीनरी है जो चेक कर सके और न कोई जांच करने का तरीका ही है कि देखें कि जहां के लिये गल्ला दिया गया था वहां पहुंचा भी या नहीं। फतेहपुर के लिये दिया जाने वाला गल्ला वहीं अधिक भाव पर बेच दिया जाता है। कोई देखने वाला नहीं है। फतेहपुर को इन्होंने सरप्लस एरिया घोषित किया है। वहां का कई सौ मन गल्ला गोरखपुर भेज दिया गया, लेकिन वहां पर भुखमरी की स्थिति है। इनको किसी बात का ठीक से अन्दाज भी नहीं है।

तीसरी बात, वितरण करने में बड़ी गड़बड़ी होती है। कार्ड होल्डर जाता है, वह ५ किलो मांगता है, दकानदार पांच किलो की जगह ४० किलो अगर उसको कुल मिलना है तो सब पूरा ४० किलो चढ़ा लेता है और ३५ किलो ब्लैक में बेच लेता है। इनकी मशीनरी यह भी चेक करने में असमर्थ है। यह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। गल्ला जिनके लिये दिया जाता है उन तक नहीं पहुंच पाता है। सारा गल्ला फायदे के लिये, ब्लैक मार्केट में चला जाता है।

श्रीमन्, अब मैं कुछ ब्लैक मारकेटिंग के विषय में निवेदन करना चाहता हूं। जो हमारे यहां पर अमेरिकन गेहूं मिलता है वह ब्लैक में जाकर ३२ रुपये मन बिकता है। मैं निवेदन करूंगा कि अगर सरकार कोई कानून इसके लिये नहीं बना सकती है तो जो सस्ता गल्ला दिया जाता है वह तो उसी भाव बिकना चाहिये। इस तरह का कोई कानून नहीं है कि यदि कोई गल्ला एक जिले से दूसरे जिले को जाता है, उस पर उस कानून के द्वारा कोई प्रतिबंध लगाया जा सके। जिलाधिकारियों का ऐसा कहना है कि इस तरह का कोई कानून नहीं है जिसके अन्तर्गत गल्ला दूसरे स्थान पर जाकर यदि इस प्रकार से अधिक दाम पर बिकता है तो उन लोगों को पकड़ा जा सके। इस प्रकार का कोई नियन्त्रण नहीं है। इस तरह के कानून की कमी है। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये।

एक बात यह है कि बहुत से ऐसे खेतिहर मजदूर हैं जो सब जगह रहते हैं, शहरों के अन्दर भी रहते हैं और गांवों में भी रहते हैं। इनके बारे में यदि ध्यान दिया गया तो सारी समस्या हल हो सकती है और यह समस्या इतनी जटिल नहीं रह जायगी। इस समस्या के बारे में प्रमुख यह भी एक बात है कि जमीन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए। इसके लिए उधर से सुझाव दिये गये, लेकिन एक बात देखने में आई है और वह यह कि इस प्रदेश में आज बहुत सी जमीन ऐसी है जिस पर जितनी शक्ति लगनी चहिये उतनी नहीं लग रही है। अपना नाम खरने के लिये वे उनको रखे हुए हैं, केवल फार्मेलिटी आबजर्व करने के लिये अपने नाम खेत रखे हुए हैं। उन पर मेहनत नहीं होती है और उतनी पैदावार नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। यदि थोड़े समय के लिये छोटे छोटे काश्तकारों को शिकमी पर यह जमीन दी जाय तो वे पूरी शक्ति लगाकर उनमें काम कर सकते हैं और उससे पैदावार बहुत बढ़ सकती है।

कैश क्राप के लिये थोड़ा सा प्रतिबंध लगाने की जरूरत होगी। इसको निश्चित करना होगा कि कितने बिघे में वह कैश क्राम बोये। इसके बाद वह दूसरी चीज बोये।

अपने जिले के बारे में यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां जो अन्य है उसको दूसरे जिले में न भेजकर जो १४०० जितना मैट्रिक टन वहां का कोटा है उसको पूरा किया जाय। प्रदेश भर में जहां पर कस्बें हैं जहां पर कार्ड की व्यवस्था नहीं है वहां पर मजदूरों के लिये दुकाने खोलकर इस व्यवस्था को पूर्ण किया जाय। यदि सरकार इस प्रकार से व्यवस्था नहीं कर सकती तो वास्तव में इस प्रस्ताव के अनुरूप उसको इस्तीफा देना चाहिये और इस स्थान को खाली कर देना चाहिये।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक अन्न की समस्या का प्रश्न है यह सर्वविदित है कि हमारे प्रदेश और देश में अन्न की समस्या गम्भीर है, परन्तु गम्भीर क्यों है इस पर आदरणीय विरोधी दल के सदस्यों को एक ही बात दिखायी दी कि यह सरकार इस्तीफा दे क्योंकि यह सरकार निकम्मी है और इसमें बहुत-सी बुराइयां हैं। यह हो सकता है कि सरकार में कमजोरी हो जैसा कि राधेश्याम जी ने कहा, लेकिन मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनको अपनी बुराई दिखाई नहीं देती हैं। यहां पर जितने भी विरोधी दल के सदस्य हैं उनमें १०, १५ को छोड़ कर सब ऐसे हैं जिनको गाली देने के सिवाय और कोई काम सरकार के लिये दिखायी नहीं देता। उनकी तरफ से कोई सुझाव नहीं आता है। जितने भी परमिट दिये गये हैं वे सब विरोधी दल के सदस्यों ने ही पाये हैं। बहुत कम कांग्रेस के लोगों को मिले हैं। वे कहते हैं कि कांग्रेस वालों के पास अधिक हैं मगर ऐसी बात नहीं है। अगर वे देखें तो मालूम होगा कि कोई जनसंघ वाले के पास हैं, कोई सोशलिस्ट के पास है, कोई कम्युनिस्ट के पास हैं इस तरह से उनके लोगों के पास अधिक हैं। हम से लाइसेंस ले जाते हैं और फिर यहां पर बैठ कर बुराई करते हैं। जनता यह देखती है और जनता जानती है कि हम जनता के शुभचिन्तक हैं। उनका शुभचिन्तक होने का पता तो उस समय ही लग गया था कि जो अन्न कमेटी बनी थी, उसके सदस्य नेता, विरोधी दल भी थे। उन्होंने उस समस्या को हल करने में सरकार की कोई मदद नहीं की, लेकिन सरकार ने उस भार को वहन किया और आपकी तरह अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं। वह कहती है कि आप सुझाव दें इसलिये कि समस्या जनता की, प्रान्त की समस्या है। किसान तो हम उसे मानते हैं कि जिसके पास ५०, ६० बीघे तक जमीन हो। उससे ज्यादा जमीन रखने वाले को हम कारखानेदार ही मानते हैं, किसान नहीं। हम नहीं जानते हैं कि उस किसान के पास कहां से गल्ला आ जायगा? जिनके पास गल्ला है उनसे तो न आप ही निकाल सकते हैं और न ये। आपके तो वे भाई बन्द हैं और सरकार उनसे घबराती है। अगर वास्तव में यह समस्या है तो आपके साथ जनता क्यों नहीं है? मेरा तो निवेदन यह है कि आप उचित सुझाव दें और समस्या को सुलझावें। आप सरकार का साथ दें इसलिये कि वह समस्या को सुलझाने के लिये कटिबद्ध हैं।

यह मैं मानता हूं कि हमारे सिंचाई विभाग ने अन्न की समस्या पैदा की। उसने किसानों को समय पर पानी नहीं दिया, लेकिन अगर हमारे यहां जितनी जमीन है वह खेतिहर मजदूरों को दे दी जाय और प्लानिंग समाप्त कर दी जाय तो हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और यह समस्या सुलझ सकती है। जो कोटे बांट रखे गये हैं उनको समाप्त कर देने से भी समस्या बहुत हद तक सुलझ जायगी। यह सरकार मजबूत है और रहेगी और इसके सिवाय और किसी दूसरी पार्टी की सरकार इस देश में नहीं बन सकती। जहां तक इस पार्टी का सम्बन्ध है, मतभेद होते हुये भी वह संगठित है और अपने नेताओं का आदर करना हम जानते हैं। हम आपकी इज्जत करना चाहते हैं, लेकिन आप सरकार को पता नहीं एक ही सांस में क्या-क्या बातें कह जाते हैं। आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। आज अगर जनता की भूख का प्रश्न है तो उसके लिये आपको अन्न जुटाना चाहिये। आप अपने भंडारों को निकालें।

आप छोटे-छोटे दुकानदारों को गिरफ्तार करने की बात करते हैं, किसानों से अन्न निकालने की बात करते हैं, लकिन आप बड़े-बड़े फार्म वालों से अन्न निकालने की बात नहीं करते।

[श्री हरीसिंह]

आप सर्वे कराइये कि कितने फार्म हैं ? आज दो रुपया सैकड़ा के सूद पर इम्पीरियल बैंक से रुपया ले कर कोआपरेटिव से किसान को ९ रुपये पर कर्जा दे रहे हैं। जो कि किसान मेहनत करता है, उसी का गल्ला है, वही भूखों मर रहा है। अगर सरकार ने खेती पर ध्यान नहीं दिया तो ये सारे कल कारखाने बन्द हो जायेंगे और जनता भूखों मरेगी। इसलिये अधिक से अधिक उत्पादन कराने का प्रयत्न करें। हमारा सारा दारोमदार सरकारी कर्मचारियों पर है। उनको पता नहीं है कि कैसे हल चलाया जाय, वह रहट नहीं चला सकते, माघ के महीने में पानी नहीं गला सकते, उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। आप चाहें एक हजार की जगह १,५०० रुपया भत्ता दे दीजिये उससे कुछ होने वाला नहीं है।

यह जो समस्या है यह ढाई महीने का प्रश्न है। विरोधी दलों ने प्रोपैगंडा करके इसे इतना बड़ा बना दिया। भुखमरी तो जरूर है, लेकिन उसे हम प्रेम से, मुहब्बत से एक जगह बैठ कर हल कर सकते हैं। जो सरकार का कर्तव्य है करेगी, लेकिन विरोधी दल की पालिसी यह है कि जनता में भय फैल जाय कि साधन नहीं हैं। साधन हम जुटायेंगे और जिनके पास भडार हैं सरकार कोशिश करेगी कि उनसे गल्ला ले और अपने भाइयों को दे। सिंवाई विभाग के जितने इंजीनियर हैं उन्होंने कमी डाली, वक्त पर किसान को खाद और पानी नहीं मिला और न सरकार सुनती है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार का क्या कर्तव्य है जब कि सारे सदस्य बार-बार कहते हैं। प्लानिंग की यह हालत है कि आफिसर दौरा करते हैं, उन्हें पता नहीं है किसानों के लिये किस मौसम में किस चीज की जरूरत है। सब चीजें समय पर मिलनी चाहिये ताकि अच्छी खेती हो और प्रान्त की समस्या सुलझे।

जहां तक ५ और ६ बीघे की मालगुजारी माफ करने का सवाल है, तो सरकार को कभी माफी नहीं करनी चाहिये, मालगुजारी वसूल होनी चाहिये। लेकिन किसान की हालत सुधारने की जरूरत है। अगर किसान की हालत सुधरेगी तो खेतिहार मजदूर की सुधरेगी, व्यापारी की सुधरेगी और दस्तकार की सुधरेगी। फिर सरकार की भी सुधरेगी और हम मजबूत होंगे। मैं विरोधी दल के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आपको अधिकार है अविश्वास के प्रस्ताव को लाने का, लेकिन यह तो महज खिल्ली उड़ाना है, न आपके चलाये सरकार चल सकती है और न आप में योग्यता है। आज एक ही पार्टी सरकार को चला सकती है और वह कांग्रेस पार्टी है। उसी की सरकार इस समस्या को हल करेगी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय सुबेदार जी और रेवेन्यू मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि कई साल से मैं इस विभाग की ओर बारम्बार ध्यान दिलाता चला आ रहा हूं। स्वयं मंत्री जी और शास्त्री जी से इस उम्मीद के साथ मैं मिला कि नये-नये मंत्रिमंडल में आये हैं, गुटबन्दी से ऊपर उठ कर शायद कुछ कर पायेंगे। उनके सामने भी हाजिर हुआ और मैंने प्रार्थना की कि हमारे प्रान्त के अन्दर रेलवे लाइन के दोनों तरफ जो करोड़ों एकड़ भूमि बेकार पड़ी हुई है उसको केन्द्रीय सरकार से अपने अधिकार में ली जाय और उस पर खेती की जाय। केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकार को यह अधिकार अब दे भी दिया है कि वह उस जमीन को पट्टे पर दे दे। शायद फरवरी या मार्च में जिलाधीशों को यह आदेश चले भी गये हैं कि वे तुरन्त जो भी जमीन उपलब्ध हो उसे पट्टे पर उठा दें। उस ओर बार-बार सरकार का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद भी इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया और अभी तक वह तमाम जमीन काश्त के काबिल होते हुये भी नाकारा पड़ी हुयी है। अगर आपने उस तरफ ध्यान दिया होता, तो आज काफी अनाज पैदा हुआ होता और यह समस्या इतनी भयंकर न हुई होती। माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान मैं आज भी इस ओर दिलाना चाहता हूं और चाहता हूं कि इस तरफ ध्यान दें।

आपने २२ तारीख को तिलक हाल में कुछ विरोधी दल के नेताओं को बुलाकर एक कान्फ्रेन्स की। वहां पर भी मैंने एक अखबड़ सा सुझाव रखा कि आप मीटिंग खत्म होने के तुरन्त बाद ही एक आर्डिनेंस जारी करें जिसके द्वारा जिन-जिन के पास गल्ला गोदाम हो उन्हें लाइसेंस लेना पड़े। इस से तमाम जिलों की अनाज की स्थिति आपको पता चल सकती थी। किसान के लिये उसमें आप कुछ मात्रा तक छूट दे सकते थे, लेकिन ८ दिन हो गये अभी तक इस तरह के कोई आदेश नहीं निकाले गये।

इसके अलावा इतनी भारी तादाद में बासुमती के चावल हमारे यहां से बाहर भेजा गया। यह क्यों भेजा गया? आज खाद्य मंत्री जी ने बताया कि ६०-६१ रु० गेहूं का भाव और ७०-७७ रुपये चावल का भाव रहा। आपने ५४ रुपये के हिसाब से थर्ड ग्रेड का चावल लिया और ७४ रुपये के भाव से उन्हीं व्यापारियों के हाथ क्यों बेचा? ऐसा करके आप सबसे बड़े ब्लैकमार्केटियर्स साबित हुये। उसके अन्दर आपके अधिकारियों ने दसियों लाख रुपये की रिश्वत ली है।

किसी जिले के अन्दर किसी जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार नहीं है कि वह गेंहूं की कीमत निर्धारित करे। लेकिन अपने यहां के बारे में मैंने आपको पत्र लिख कर भेजा, आपने इसका कोई जवाब तक नहीं दिया। मैंने २९ जून को टेलीग्राम दिया, आपने बताया मुझे उसकी कोई सूचना नहीं। मैंने चीफ सेक्रेटरी तक को लिख करके दिया कि हमारे यहां २४ रुपये मन का भाव होते हुये जिला मजिस्ट्रेट ने २८ रुपये मन का भाव निर्धारित किया है, उस पर भी कोई ऐक्शन नहीं हुआ। मैं जानता हूं उसके अन्दर खूब घूसखोरी हुई, शराब चली, लेकिन माननीय मंत्री जी का ध्यान उस तरफ नहीं गया, हालांकि मैंने उस मीटिंग में भी इस चीज को कहा था कि मेरी यह शिकायत कोल्ड स्टोरेज में चली जायगी। उस वक्त चीफ सेक्रेटरी साहेब ने कहा कि यह मेरी नालेज में है और इस पर ऐक्शन होगा।

भ्रष्टाचार की एक मिसाल नहीं हजारों मिसालें यहां पेश की जा सकती हैं। हम जानते हैं कि विरोध-पक्ष के लोग आपस में सहमत न होते हुए सरकार बनाने के नाकाबिल हैं। लेकिन हम इस काबिल तो हैं कि आपको ईमानदारी से सलाह और सुझाव दे सकें। परन्तु आपके पास यह भी आला नहीं है कि आप यह जान सकें कि कौन ईमानदार और कौन बेईमान हैं। आप उनको ईमानदार मानते हैं जो आपकी मक्खनबाजी करते हैं। मैंने यहां आज सवाल पूछा कि मेरठ क्षेत्र में नियोजन समिति का प्रेसीडेंट आपने किसे नामीनेट किया। हमारे सदन के एक माननीय सदस्य जो पिछले २ साल से ही पालीटिक्स में आये हैं, गुटबन्दी के कारण सारे क्षेत्र की समिति का प्रधान उन्हें नामीनेट किया गया जो नहीं जानते कि नियोजन क्या है और पालीटिक्स क्या है? कल कालेज से निकल कर आये और आज उन्हें प्रेसीडेंट मुकर्रर कर दिया। कैलाशप्रकाश जी के स्थान पर आप उन्हें नामीनेट करते हैं। जिले में २ आई० टी० आई० कालेज हैं, ज्वालापुर और सहारनपुर में, उन्हीं को वहां प्रधान नियुक्त किया गया है। एक्साइज कमेटी का प्रधान सरकार ने नामीनेट किया। वही शख्स आपकी नजर में रहा। और कोई दूसरा नहीं। उसके बाद ऐंटी करप्शन कमेटी में भी उन्हीं को रखा गया। मुख्य मंत्रीजी, आपकी आंखें बन्द हैं। मैं जानता हूं कि अगर वह अपनी मर्जी से चलाना चाहें तो चल नहीं सकती हैं, लेकिन अगर यह चलें तो वह इस प्रान्त का कल्याण कर सकती हैं। चूंकि विरोध पक्ष में बैठकर आपने वे तमाम बातें अनुभव की हैं जो आज हमारे अनुभव में आ रही हैं। आप ईमानदारी से चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन इस कुर्सी के लालच में, मुझे क्षमा करेंगी, आप कुछ कर नहीं पा रही हैं। आपके समय में जब आप लेबर मिनिस्टर थीं, जिला परिषदों के नामीनेशन्स हुए, मैं सुझाव देने गया कि यह व्यक्ति उसमें लाजमी नामीनेट होना चाहिये। लेकिन उसी समय माननीय बनारसीदास जी और पांडेय जी आये और मुख्य मंत्रीजी अन्दर चली जाती हैं और वही सज्जन जिसका नाम वे लिखकर लाये थे नामीनेट हो जाते हैं। बहन जी, इस प्रकार काम चलने वाला नहीं है।

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

आपका वितरण का तरीका गलत है। जिस कोआपरेटिव के रजिस्ट्रार के बारे में हमारे भूतपूर्व मिनिस्टर चतुर्भुज शर्मा इस्तीफा देकर गये, उन्होंने विभाग लेने से इंकार किया और लिखा कि यह आदमी भ्रष्ट और नाकाबिल है, उस समय के मुख्य मंत्री ने उसे काटा और रजिस्ट्रार बदस्तूर रहे। इलेक्शन में हारे हुए लोगों को एकोमोडेट करने के लिये रजिस्ट्रार को यह पावर दी गई कि वह मिल्क यूनियन में उन्हें नामीनेट करे। तीन साल के लिये प्रेसीडेंट नामीनेट किया जा सकता है। यहां से उनको नामिनेट किया गया और उनको अख्तियार दिया गया कि उनका दो साल तक एक्सटेंशन किया जा सकता है। इस तरह से ५ साल तक के लिये उनका बन्दोवस्त कर दिया गया। ऐसे-ऐसे देश के कर्णधार हैं। इस प्रकार से काम करने से देश का काम नहीं चल सकता है। पंडित नेहरू जी के देहावसान के एक दिन पहले देहरादून में कोआपरेटिव के डायरेक्टर ने एक मीटिंग रखी थी। लेकिन डायरेक्टर महोदय वहां से उस दिन गायब थे। वे ४० हजार की कार खरीदने के लिये दिल्ली गये हुये थे, दिल्ली में रंगरेलियां मना रहे थे। उसी कोआपरेटिव यूनियन के लिये कार खरीदने गये थे जिसके पास पहले से ही १०-२० कारें मौजूद थीं। इसलिये कि वे सब नेताओं के काम आती हैं। उनके बंगले पर रात के दो-दो बजे तक ताश उड़ते हैं, रंगरेलियां होती हैं। दूसरे दिन वे देहरादून पहुंचे। दो घंटे मीटिंग अटेंड की और फिर उस कार को अपनी बीबी और लड़कियों को दिखाने के लिये नैनीताल चले गये। नैनीताल में कोआरेटिव का दफ्तर खाली कराकर उसमें रंगरेलियां मनाई गयीं और दफ्तर टेंटों में लगा है। जब पंडित नेहरू का समाचार उनको मिला तो उसी कार में यहां लखनऊ चले आये। इसमें हजारों रुपया फूंक दिया। इस प्रकार से टैक्स पेयर का रुपया जाया किया जाता है। क्या माननीय मंत्री जी ने उनके खिलाफ कोई ऐक्शन लिया है? २५ हजार से एक यूनियन कायम की गयी और फिर दूसरी यूनियन ढ़ाई लाख से कायम की गई और उस से उसमें शेअर खरीदवाये गये और माननीय मंगला प्रसाद जी को उसका चेयरमैन बना दिया गया इसके बाद कानपुर में भी एक मिल्क यूनियन स्थापित की जाने वाली है और वहां के प्रधान भी वही बनाये जायेंगे। अंधा बांटे रेवड़ी फिर-फिर अपने देय। देश की हालत यह हो रही है चारों ओर भुखमरी का साम्राज्य है, चारों तरफ लूट हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं जिस सिटी मैजिस्ट्रेट के खिलाफ एस० डी० एम० (ई०) ने रिपोर्ट दी ताड़ी खाने के बारे में, लेकिन आज तक वह रिपोर्ट आपके सामने नहीं आयी। सिटी मैजिस्ट्रेट के यहां पड़ी रही। उसका तबादला आपने बनारस कर दिया। उसने इंकार कर दिया और आप तक अपनी पहुंच की और फिर उसका तबादला मुरादाबाद को करना पड़ा। आप जो कुछ करना चाहती हैं नहीं कर पाती हैं। आपने पचासों ट्रांसफर्स किये, लेकिन एक को भी ट्रांसफर करने में कामयाब नहीं हो पायीं। क्या इसी प्रकार से टैक्स के पैसे का सदुपयोग किया जा रहा है? आज भिखमंगा भी बीड़ी दियासलाई के रूप में भी टैक्स देता है। उसकी गाढ़ी कमाई के पैसे को इस प्रकार प्रयोग में लाया जा रहा है, उससे इस प्रकार रंगरेलियां मनायी जा रही है। अगर इस तरह काम चलता होता तो नीरो अमर हो गया होता और हमेशा उसकी हकूमत कायम रहती।

हम जानते हैं कि हम उधर नहीं बैठ सकते। तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सदन के सामने यह रखना चाहता हूं कि इस प्रान्त में जो परिस्थिति आज है हो सकता है कि जिस तरह से बारिश हुई है और फसलें खराब हुई हैं, ज्वार, मक्का, और बाजरा अब तक बोया नहीं जा सका है और उसके बाद अगर कहीं चावल का तोड़ा पड़ गया तो परिस्थिति और भी बिगड़ सकती है, इसलिये लाजिमी है कि इस वक्त आप अनाज इकट्ठा करने का इन्तजाम करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, क्या शहर, क्या गांव, हर जगह अनाज है और जिले की बात न कहते हुये मैं अपने जिले की बात कहता हूं कि आप वहां के लिये आर्डिनेंस जारी कर दीजिये, फिर देखिये कि आपको मैं कितना अनाज दिलवाता हूं। लेकिन साथ ही इतनी बात बतला देता हूं कि उस वक्त आपके पास सिफारिशें आयेंगी तो कोई व्यक्ति छूटने न पाये। आर्डिनेंस

होने पर डी० आई० आर० के अन्दर लोगों को बन्द किया जा सके और पब्लिक के सामने उनको लाया जा सके तो अनाज अपने आप बाहर निकल आयेगा ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल की ओर से जो मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसका विरोध करने के लिये यहां खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, इस असेम्बली के इतिहास को अगर देखा जाय तो हमें यह देखने को मिलेगा कि जब से यहां कांग्रेस सरकार का गठन हुआ है तब से प्रति वर्ष हमारे माननीय मित्र इस प्रकार का एक नाटक खेला करते हैं और उसमें बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो प्रायः असत्य होती हैं जिनको सरकार के खिलाफ रख कर प्रचार करना मात्र ही उनका स्पष्ट उद्देश्य रहता है । उनका उद्देश्य केवल यही रहता है कि एक ऐसा वायुमंडल बनाया जाय जिससे उसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सके और अपनी लोकप्रियता सिद्ध हो सके तथा इस सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा सके । इस वर्ष दुर्भाग्य से हमारी खाद्य स्थिति जटिल हो गयी लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है जिसके लिये ऐसा वायुमंडल बनाने की कोशिश की गयी है । प्रजातंत्र का यह सिद्धांत है कि बहुमत दल शासन करता हो और अल्पमत दल विरोध करता है । उनका विरोध समय-समय पर ठीक भी होता है और साथ ही साथ उनका सहयोग भी होता है और उनके द्वारा आलोचना भी होती है । लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे विरोधी दल में बैठने वाले मित्रों का रवैया ऐसा है कि इस समय तक किसी भी क्षण किसी भी बात में उनका सहयोग नहीं हुआ है और सदैव वे केवल आलोचना का ही दृष्टिकोण रखते हुये आलोचना करते हैं ।

आज इस प्रान्त के अन्दर जो खाद्य समस्या उत्पन्न हुई है उसकी एक अजीब पृष्ठभूमि है । उसकी पृष्ठभूमि यह है कि दुर्भाग्य से देश और प्रदेश के अन्दर ४ फसलें बराबर फेल हो गयीं हैं । पार साल रबी की फसल फेल हुई, खरीफ की फसल फेल हुई और इस साल भी दोनों फसलें फेल हो गयीं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस प्रदेश के अन्दर एक बहुत बड़ा अंश भूमिहीन किसानों व खेतीहर मजदूरों का है जिसके पास कोई गल्ला नहीं है जिस से उनको बड़ी परेशानी है बुद्धिमत्ता का तकाजा था कि जिस प्रकार अन्न संकट आता है उसमें हम सब बैठकर उस संकट का निवारण का उपाय सोचते लेकिन इसमें भी राजनीतिक चाल खेली गयी और एक ऐसा वायुमंडल बनाया गया जिससे सारे हिन्दुस्तान व संसार के अन्दर एक ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट हो कि इस प्रान्त व देश के अन्दर भुखमरी है, तमाम लोग मरे जा रहे हैं लेकिन वस्तु स्थिति यह नहीं है । खाद्य की कमी तो है लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है इसको हमारे मित्र भी जानते हैं लेकिन राजनीतिक लाभ उठाने की दृष्टि से वे इस तरह की बातें करते हैं ।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां की बात आपके सामने रखना चाहता हूं । ३० प्रतिशत लोग देहातों में ऐसे हैं जिनके पास गल्ला नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास साल भर खाने के लिये गल्ला नहीं है लेकिन समाचार पत्रों में व मीटिंगों में इस तरह का प्रचार किया जाता है कि गल्ले की कमी है, गल्ले की कमी है इस प्रकार का जो वायुमंडल आज बनाया गया है उसका मनोवैज्ञानिक परिणाम यह निकला कि हर मनुष्य के मस्तिष्क में यह विचार पैदा हुआ कि अब आगे गल्ला नहीं मिलेगा और हम भूखों मर जायेंगे इसलिये गल्ला दबा कर रखो और इसका फल यह हुआ कि गल्ला जो बाजार में आता था वह भी आना बन्द हो गया । फिर इस अभाव का फल यह भी हुआ कि जो खेतिहर मजदूर जो रोज की मजदूरी करके शाम को गल्ला लेता था और अपने बच्चों का पेट भरता था उसको आटा मिलना दूभर हो गया और वह परेशान हो गया । आज देश में असाधारण मंहगाई है और हर एक आदमी के दिमाग में मंहगाई आ गई है और हर एक समझता है कि गल्ले की कमी है, लेकिन गल्ले की क्या, आज क्या तरकारियों की भी कमी है जो उनके दाम भी बेतहाशा बढ़ गये हैं । हर आदमी समझता है कि मेरी चीज के दाम ६ गुने और आठ गुने हो जायेंगे । ऐसी परिस्थिति की जिम्मेदारी, अगर आप क्षमा करें तो मैं कहूंगा

[श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल]

कि हमारे माननीय मित्रों की है। उन्होंने एक ऐसा वातावरण पैदा किया है जिसके लिये वह जिम्मेदार हैं। अकलमन्दी की बात तो यह है कि जरा देर को हम मान लें कि अगर किसी के घर में निर्धनता आ जाय तो उसको दूर करने के लिये होना यह चाहिये कि सब मिलकर उपाय करें। यह संकट जो आ पड़ा है हमें सोचना चाहिये कि उस से कैसे त्राण हो। लेकिन केवल शोर मचाने से और काल्पनिक भय पैदा करके देश का कल्याण नहीं हो सकता। यहां पर देश की स्थिति जो थी उसको और दूषित कर दिया गया है। वास्तविकता यह है कि गल्ले की जो कमी है उसको दूर करने के वास्ते क्या उपाय किये जायें। इसके लिये सबसे पहले आप को एक मनोवैज्ञानिक वायुमंडल बनाना होगा और इसमें प्रेस और प्लेटफार्म दोनों को सहयोग देना होगा। हमें अभाव का जो यह वातावरण पैदा हो गया है उसको दूर करना होगा। आज आपकी जो सस्ते गल्ले की दुकानें खुली हैं वहां यह होता है कि जिनके पास गल्ला है और जिनको उसकी जरूरत नहीं है वह भी वहां जा कर गल्ला लेते हैं। वह उससे ब्लैक करते हैं या उसको जानवरों को खिलाते हैं। जिनके पास सैकड़ों मन गल्ला है वह भी सस्ता होने के कारण इस को ले लेते हैं। तो आप सोचें कि क्या सरकार ऐसी स्थिति में है कि वह सबको गल्ला दे सके, ढाई सेर के रेट पर गेहूं दे सके। आज जो गल्ला छिपा रखा है, तेजी में ज्यादा मुनाफा लेने के लिये उसे हमें किसी न किसी तरह से निकालना चाहिये।

मैं नम्र निवेदन करूंगा कि मेरे दिमाग में कुछ सुझाव हैं। मेरा विचार है कि ४ फसलों से बराबर अभाव की स्थिति है इस वास्ते ज्यादा गल्ला तो नहीं है, किसानों के पास नहीं है, हो सकता है कि कुछ बड़े दुकानदारों के पास हो। आप उस गल्ले को प्राप्त करें, सरकार स्वतंत्र है और वह जस्टिफाइड होगी उसको निकालने में। हमें उन लोगों में भी एक मनोवैज्ञानिक विचार पैदा करना होगा कि आज तुम्हारे देश में एक संकट कालीन स्थिति है और ऐसे समय में गल्ला उनको निकालना चाहिये। कंट्रोल रेट से गल्ला न ले कर खुले बाजार का जो रेट हो वह किसान को देना चाहिये। इस तरह से कुछ गल्ला प्राप्त हो सकता है।

दूसरे हमारे सूबे के किसानों में इस वक्त शौक है मकान बनवाने का, उनमें खुशहाली आई है वह भी रहने के लिये पक्के मकान चाहते हैं जिसके लिये उनको लोहा, सीमेंट, टीन चाहिये। ऐसे समय में चाहे आप को निर्माण के अन्य काम कुछ दिन के लिए स्थगित करना पड़े, आप किसानों को उन की यह जरूरत की चीजें दें और उन से उचित दर पर गेहूं और गल्ला लें आप का काम चल सकता है। यदि हम यह चीजें उन को उपलब्ध करायेंगे तो गल्ला बाजार में आने लगेगा।

तीसरी बात यह है कि सस्ते गल्ले की दुकानों से ऊंची आमदनी वाले लोग गल्ला न लें, ऐसी व्यवस्था सरकार करे। केवल गरीब ही वहां से गल्ला लें। यही प्रबन्ध आपको देहातों में करना चाहिये। हमारे खाद्य विभाग को भ्रम है कि किसान के पास गल्ला ज्यादा है। मैं समझता हूं कि उनके पास गल्ला नहीं है। हो सकता है कि गांवों में कुछ बड़े किसानों के पास गल्ला हो १००, ५० मन, वह भी अपने बीज और जानवरों के लिए रख लिया है। इसलिये सरकार को उनके प्रति कोई सख्ती नहीं करनी चाहिये। मैं विरोधी दल और प्रेस के लोगों से कहूंगा कि प्रदेश में ऐसा वायु मंडल पैदा करें जिससे इस संकट का साहस के साथ मुकाबला कर सकें। वर्षा हो गयी है, दूसरी फसल बोयी गयी और क्वांर में वह हमको मिल जायगी तो यह संकट दूर हो जायगा। सावन भादों में तो हमेशा गल्ले की कमी हो जाती है। इसलिये विरोधी दल जो राजनीतिक लाभ उठाने की चेष्टा कर रहा है इससे परिणाम अच्छा नहीं होगा। यह भी व्यावहारिक नहीं है कि बाहर से गल्ला मंगा कर सब को ढाई सेर के भाव से दिया जा सके। अतः इस समस्या को हल करने के लिये हमको शांति के साथ, राजनीतिक लाभ उठाने की भावना को छोड़ कर, ऐसा वायु मंडल बनाना है जिससे सब गल्ला बाजारों में आवे और राशन की दुकानें खोलें। केवल धैर्य और साहस की आवश्यकता है।

श्री शिवचरण (जिला आगरा)---

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं अपने जिले की बात कहना चाहता हूं। प्रदेश के पश्चिमी जिलों में भुखमरी व्यापक पैमाने पर बढ़ती जा रही है। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा में मनुष्य दाने-दाने को भटक रहा है। मैंने अपने क्षेत्र में देखा कि हालत दिन पर दिन गिर रही है। सस्ते गल्ले की दुकान जिस न्याय पंचायत क्षेत्र में होनी चाहिये वहां न हो कर ८,१० मील के क्षेत्र में है। डी०एस० ओ० सेठों से सांठ-गांठ करके ऐसी जगह पर दुकान देते हैं जहां १०,१० मील दूर से लोगों को भूखे पेट गल्ला लेने के लिये आना पड़ता है। एतमादपुर ब्लाक में न्याय पंचायत की दुकान किसी सेठ को दे दी है जिससे जनता को बड़ी परेशानी है। कोटिला ब्लाक, एतमादपुर ब्लाक, टूंडिया ब्लाक तथा खदौली ब्लाक में लोग भूखों मर रहे हैं। बहरामपुर की दुकान एतमादपुर के सेठ को दे दी गयी है। अगर यही हालत रही तो आपके बंगलों और कोठियों पर हजारों की तादाद में भूखी जनता आपको घेरेगी और मजबूर करेगी। मैंने अपने गांव में देखा सस्ते गल्ले की दुकान न्याय पंचायत या गांवों में न होकर कस्बों व शहरों में खोली गयी हैं।

बढ़ रहो दिन पर दिन महंगाई रे कैसे सपरी।

बरों गुड़ और खांड बतासे आसमान को चूमें,
शक्कर चीनी सपनों लेने वाले दर दर घूमें।

महंगी आसमान में छाई रे।

दाल सेर नहीं मिले रुपये की मिर्चा महंगी तेल।
गेहूं चना ३६ रुपया मन बिलैक रेलम पेल।

महंगी देखो नौन खटाई रे।

हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि टके सेर भाजी टके सेर खाजा पर।
मैं तो कहता हूं कि रुपये सेर भाजी रुपये सेर खाजा।
साबुन आलू बैंगन सब्जी तेज जमाना कैसा
अब इन्सान बचेगा कैसे कीमत भई दस पैसा-बिक रही माचिस दियासलाई।
पांच रुपये का सेर डालडा घियु दूध भये सपने।
बैलों की सरकार बनाई ये बैल भये ना अपने

दीजो पूंछ काटि रपटाई रे।

गांव शहर कोई बचा न बाकी वहां थी तो जगमललो।
भूखी जनता मारी डोले मिलें पावों गल्लो-फैली चारों तर्फ तबाई रे।
मैं चौवरी गिने भूखों थनो पसीना खून।
लगों बायन में प्रान छोड़ि गयो मिलो न बाकू चून।

बच्चे भूखें बिलखाई रे।

जनता भूखी त्राहि त्राहि करे खाय रहे माल हरम्मा।
जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सासन वोही निकम्मा।

आगरे में गल्ले की दुकान लुटी, टूंडला में मिठाई के थाल लुटे। फिरोजाबाद में लड़ाई होने से बची।

बिलैक स्थिति टैक्स का जनता के गले में फंदा।
जोई जोई भ्रष्टाचार बढ़ि रहियो त्यो-त्यों रोके मन्दा।

मेरा नाहि समझ में आइरे।

[श्री शिवचरण]

आरत हबान केरे कुकर में लुटे दुकान बजार।
खाद्य स्थिति बिगड़ति जाय रही चुप बै ी सरकार। ऐसी ओढ़ी बे शर्माई रे।
उन्नीस सो सन् तैंतालीस में खून जिगर के सूखे,
बिना अन्न के बीस लाख बंगाल में मरि गये भूखे। वोही हालत यहां हो जाई रे।
भजा कैसे सपरी।

हम तो लड़ाई लड़ेंगे गांधी के बताये हुए शस्त्र के द्वारा। यह शस्त्र नजदीक है देर नहीं है। अभी तो आप ये प्रदर्शन देख रहे हैं कुछ दिनों में आप देखेंगे कि नंगे और भखी जनता आपके बंगलों को घेरेगी। वह दिन नजदीक आ रहे है।

इसे परदेसी मुल्क विदेशी दुनिया भी ऊबति है

कांग्रेस शासन पर भारत की जनता थूकती है। इनको शर्म ना आई रे।
संयुक्त सो० लि० जनता के दुख जादान सहिगे।
रोटी दो या जेल भेजे सरकार ये जाय कहेंगे।
सत्याग्रह की छिड़ें लड़ाई रे।

कहें शिवचरण जत्था लेकर अदालतों पर जाओ,
१ अगस्त प्रदर्शन करो सरकार को जाय हिलाओ।
कुरसी छोड़े या पड़ौ सुनाई रे।

सारे उत्तर प्रदेश का नक्शा है, तकरीरों में,
तस्वीरों में निर्माण हुआ है, तामीर हुआ तहरीरों में,
जनता की कोई स्कीम नहीं, स्कीम तो पूंजीवादी है।
अब भी तो तिरंगे परदे में सैयादी है, जल्लादी है,
निर्माण के झूठे नारों पर महसूल बढ़ाये जाते हैं।
महसूल की बोझिल वर्षा में कंगाल बढ़ाये जाते हैं,
अभी पुरानी भट्टी है मजदूर उसी का ईधन है।
सरकार की जो तारीफ करे जनता का वही दुश्मन है,
मजदूर की होली कब होगी किसान की कब दीवाली है,
निर्माण का आखिर क्या मतलब जनता म अभी कंगाली है।
महलों में उजाला होता है, झोपड़ियों में अंधेरा बसता है,
धनवान की मिट्टी महंगी है गरीब का खून भी सस्ता है।
सरकार के तेवर ठीक नहीं, बदअमनी है गुमराही है,
जनतंत्र मिटता जाता है बढ़ रही तानाशाही है।
देश के लोगों से देश की हालत छिपाई जाती है
हर एक विदेशी नीति की रूदाद सुनाई जाती है।
बल रूप तो अभी बदला है बदलेगी हकीकत भी जल्दी।
जनता के समझ में आयेगा रंग सयासत भी जल्दी।
नारों की गर्ज से हर दिल की फरियाद बदलन वाली है,
दीवार बदलना क्या मानो बुनियाद बदलने वाली है।
सब तार बदलने वाले है झंकार बदलने वाली है,
वह दिन नजदीक है सरकार बदलने वाली है।
आप रिक्शे में बैठ जाते मैं रिक्शे को खींच रहा।
तुम्हारी जीवन कलिका को रक्त बूंद स सींच रहा।
स्वतंत्रता संग्राम में मैंने तुम्हारा साथ दिया,
बना दिया गद्दी का मालिक जब डंडा तुमने हाथ लिया।

जो खाने को दे न सके वह वह मेरी सरकार नहीं है,
एक क्षणिक भी इस गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है,
क्या गरीब को जीने का दुनिया में अधिकार नहीं है ।
दुख दर्द वही अपना अपना दुख दर्द का कोई चारा न हुआ ।
इस देश का बंटवारा तो हुआ दुख दर्द का बंटवारा न हुआ ।
इस देश के खेवन हारों पर टूट पड़ा है धन कैसे,
इतने उजले कपड़ों में इतने गन्दे मन कैसे ।
जिनको था जगाना देश अभी वे ऐश के मारे सोते हैं,
आकाश के तारे हंसते हैं धरती के सितारे रोते हैं ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अगर कोई माननीय सदस्य अपनी क्षेत्रीय भाषा में भाषण दें तो इस सदन के अन्दर कुछ माननीय सदस्य मजाक उड़ाते हैं । अंग्रेजी में कोई भाषण दे तो एतराज हो सकता है । अवधि में, भोजपुरी में मिनिस्टर बोलते हैं, लेकिन अगर कोई ब्रज भाषा में बोलता है तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहां मजाक उड़ाया जाता है ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात बहुत दुख के साथ कहनी पड़ रही है कि हमारे प्रदेश की आज जो खाद्य स्थिति है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

रामप्रकाश,

लखनऊ :
२९ जुलाई, १९६४ ।

सहायक सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९९ पर)

इलाहाबाद शहर के स्टील ट्रंक के कारखानों की सूची

क्रम-संख्या	नाम और पता उन स्टील ट्रंक कारखानों का जो सरकार से लोहे का कोटा पाते हैं और सरकार को बिक्री-कर देते हैं।	धनराशि जो स्तम्भ २ में दिये गये १३ स्टील ट्रंक कारखानों से गत पांच वर्षों में बिक्री कर के रूप में प्राप्त हुआ।					
१	२	३					
		१९५८–५९	१९५९–६०	१९६०–६१	१९६१–६२	१९६२–६३	योग
१	मोहम्मद सादिक एन्ड संस, १२३, पानदरीबा इलाहाबाद	१०८०.७१	१३६१.०८	१२४४.४४	१०९९.५७	१०४२.२५	५८२८.०५
२	अब्दुल रहीम एन्ड संस, २१२, अटाला ..	२५७.४७	५८४.३२	९३५.५०	८९६.८१	९६६.७२	३६४०.८२
३	अब्दुल करीम एन्ड संस, ३३, सुल्तानपुर भामा ..	२१.२७	करमुक्त	२४४.००	करमुक्त	करमुक्त	२६१.२७
४	हाजी अब्दुल रहमान ८०, अटाला ..	३१८०.७२	३८३६.३९	४३१५.०८	४५०१.१०	१८२१.३५	१७६५४.६४
५	हाफिज जी शाप, अटाला ..	..	..	..	१०४.३०	२८.४३	१३२.७३
६	बेनी प्रसाद अयोध्या प्रसाद, नक्खास कोना ..	८५७.२५	१३८८.६८	११५५.८०	१०३७.७८	१०३५.००	५४७४.५१
७	प्रयोग ग्लोरिंग इंडस्ट्रीज ३५०, अटाला ..	४३८.७६	५५८.७४	३६०.४८	२६६.१०	१६१.०४	१७८५.१२
८	जहूर मोहम्मद एन्ड संस, अकबरपुर ..	..	७९९.९३	५१७.७७	५६०.०२	७९६.५१	२६७४.२३
९	हलीम ब्रदर्स ४४/१३, हमाम ..	२५३.७९	१४८८.५०	१३७६.७६	१५५७.६४	१३९४.२५	६०७०.९४
१०	आर० सी० ब्रदर्स ८५, पानदरीबा ..	१४५७.४४	१८९८.२८	२६००.००	२०००.००	२०७०.२५	१००२५.९७
११	रामा स्टील वर्क्स, अलोपीबाग ..	..	३६०.००	२५९.१६	५३२.२८	११४.०४	१२६५.४८
१२	स्वदेशी ट्रंक स्टोर्स बहादुरगंज ..	५०५.४७	५०६.४४	५३२.२०	४८९.७०	४२४.००	२३५७.८१
१३	कन्हैयालाल राजेंद्र नाथ, बहादुरगंज ..	..	..	..	२६२.७९	२४५.९४	५०८.७३
						कुल योग..	५७६८०.३०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०७ पर)

,परिशिष्ट (६)

ग्रामीण जनशक्ति सहयोग योजना के अन्तर्गत जिला फैजाबाद में लिये गये कामों की सूची

क्रम-संख्या	ब्लाक का नाम	काम का नाम		अनुमानित लागत	नवम्बर, १९६४ तक व्यय की गई धनराशि	वर्ष ६४–६५ में व्यय होने वाली धनराशि का अनुमान	अन्य विवरण
१	२	३		४	५	६	७
					(लाख रुपयों में)		
१	जलालपुर	कादीपुर ड्रेन	..	१–९९	१–३८	०–१०	द्वितीय चरण
२	सुल्तानपुर	कूड़ भार ड्रेन	..	०–९०	०–५०	०–१०	,,
३	मिलकीपुर	उजेला ड्रेन	..	२–४०	१०–४५	०–६०	,,
१	अकबरपुर	अकबरपुर रतफातगंज रोड ४ मील	..	२–१६	४–४५	०–८०	तृतीय चरण
		सीमेंट टिगडी नाला	..	०–७५	०–१२	७–१५	,,
		घुटनपुरा माइनर	..	०–७६	०–००४	..	,,
		६ गांवों का ऊंचा करना	..	०–२०	०–०६	०–७२	,,
		कच्ची गूलें १० मील	..	०–१५	..	०–०६	,,
२	बीकापुर	मिल्कीपुर पुराहत रोड ४–५ मील	..	२–९३	०–३४	१–००	,,
		कच्ची गूलें १० मील ..	..	०–०५	–	०–७६	,,
३	हरिमन्टनगंज	मिल्कीपुर खजुराहट रोड ८–५ मील	..	४–३४	०–७६	२–००	,,
		कच्ची गूल १० मील	..	०–१५	–	०–७६	,,
							अतिरिक्त कार्यक्रम द्वितीय चरण।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	ब्लाक का नाम	काम का नाम	अनुमानित लागत	नवम्बर, १९६४ तक व्यय की गई धनराशि	वर्ष ६४–६५ में व्यय होने वाली धनराशि का अनुमान	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७
१	जलालपुर	कच्चीगूलें १० मील ..	०–१५	–	०–०६	चूंकि यह अतिरिक्त कार्य-क्रम अभी हाल ही में स्वीकृत हुए हैं इन पर वर्ष १९६३–६४ में कोई व्यय नहीं हुआ है।
		जलालपुर बरमानी रोड ६ मील ..	३–६०	–	०–०६	
		नहर की गूलें १० मील	१–५०	–	०–०६	
२	मिलकीपुर	नहर की गूलें १५ मील	०–१५	–	०–०६	,,
		मिलकीपुर खजुराहट रोड १–४ मील ..	०–९७	–	०–१५	,,
		भिलकीपुर खंडसा रोड ६ मील ..	३–६०	–	०–५०	,,
		अतिरिक्त कार्यक्रम तृतीय चरण				
१	बीकापुर	३० मील कच्ची गूल	०–४५	–	०–१०	,,
२	अकबरपुर	२० मील कच्ची गूलें	०–३०		०–०८	,,
		नहर की गूलें ३८ मील	०–३८	–	०–०८	,,
३	हरीमन्टन गंज	कच्ची गूलें २० मील	०–३०	–	०–०८	,,
		बिलकीपुर खजुराहट रोड (नालियां) ..	०–९५	–	०–१५	,,
		नहर की गूल १ मील	०–०१	–	०–०१	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११७ पर)

३१ जनवरी, १९६४ को विकास आयुक्त कार्यालय में कार्य कर रहे चपरासियों की सूची

क्रम-संख्या	नाम अधिकारी	नाम चपरासी जो काम कर रहे थे
१	२	३
	सर्वश्री:—	
१	कृष्ण चन्द्र, विकास आयुक्त	१—खेम सिंह
		२—दीवान सिंह
		३—अर्जुन सिंह
२	पी०ए० का कार्यालय	४—राम किशन
		५—परतू राम
३	एस०के० दीक्षित, अतिरिक्त विकास आयुक्त	६—चन्द्र सिंह
४	एस० एस० सिद्धू, संयुक्त विकास आयुक्त	७—सुल्तान अहमद
५	टी०पी० तिवारी, उप-विकास आयुक्त	८—राम नाथ (प्रथम)
६	राम कृष्ण, उप विकास आयुक्त (कृषि)	९—हरद्वार (प्रथम)
७	आर० एल० शाह, सहायक विकास आयुक्त (लेखा)	१०—बदलू
८	जी० बाजदानी, सहायक विकास आयुक्त (बजट)	११—दान बहादुर
९	पी० सी० सक्सेना, सहायक विकास आयुक्त (प्रशासन)	१२—सिराजुल हसन
१०	रामेश्वर सहाय, सहायक विकास आयुक्त (सहकारिता)	१३—कोदई
११	पी० सी० श्रीवास्तव, सहायक विकास आयुक्त (एस)	१४—रामेश्वर
१२	सी० बी० डी० द्विवेदी, सहायक विकास आयुक्त (स०शि०)	१५—रामानन्द
१३	के० एम० श्रीवास्तव, सहायक विकास आयुक्त (मुख्यालय)	१६—भरतसिंह
१४	ऐ० डी० मुकरजी, सहायक विकास आयुक्त (मी०)	१७—मोहनराम (जमादार)
१५	एच० सी० कौशल, उप-विकास आयुक्त (टैक्नीकल)	१८—हरद्वार (द्वितीय)
१६	एस० पी० सिंह, टैक्नीकल सहायक	१९—सीताराम
१७	आर० पी० सक्सेना, टैक्नीकल सहायक	२०—माता प्रसाद
१८	आर० पी० दुबे, टैक्नीकल सहायक	२१—मुन्ना लाल
१९	भगवान शंकर, टैक्नीकल सहायक	२२—कामता प्रसाद
२०	के० एल० शाहनी, सहायक निदेशक (पशुपालन)	२३—राम लाल
२१	मनोहरलाल, निदेशक सवरण	१४—रामनाथ (द्वितीय)
२२	पी० एम० खन्ना, सहायक विकास आयुक्त (अल्प० सि०)	२५—राम नारायन

क्रम-संख्या	नाम अधिकारी	नाम चपरासी जो काम कर रहे थे
१	२	३
२३	सी० के० बलबीर, ई० ई० (पी०)	२६--रामपाल
२४	पी० एम० गोबिल, सहायक इंजीनियर	२७--मोहनलाल
२५	के० एस० श्रोती, सहायक विकास आयुक्त (आई० यस० टी०)	२८--सुल्तान सिंह
२६	बी० दयाल, सहायक लेखा अधिकारी	२९--श्याम लाल
२७	एस० एम० सहाय, सीनियर मैकेनिकल इंस्पेक्टर	३०--भृगुनारायन
	अनुभाग:--	
	२८-पी-१	३१--हरदेव बख्श
		३२--राम लाल
२९	अल्प सिंचाई अनुभाग	३३--मुरली मनोहर शुक्ला
३०	ट्रेनिंग अनुभाग	३४--खलील अहमद
३१	बजट- व अनुभाग	३५--अमर पाल यादव
३२	बजट-व अनुभाग	३६--गुलशेर
३३	बजट-ई-२ अनुभाग	३७--बाबूलाल
३४	ई- २ अनुभाग	३८--सत्य नारायन
३५	आर० एम० पी०	३९--अब्दुल हसन
३६	एकाउन्ट अनुभाग	४०--रामेश्वर
३७	सवण अनुभाग	४१--अन्ने खां
३८	ऐ० वी० ए० अनुभाग	४२--राज बहादुर
		४३--भगवती सिंह
३९	सामान्य अनुभाग	४४--गोबिन्द राम
४०	कोषाध्यक्ष	४५--शिवराम
४१	स्टोर	४६--कन्हई
४२	स्टेशनरी	४७--गया प्रसाद
४३	प्राप्त अनुभाग	४८--शिवसरूप ४९--सईदुल हसन ५०--मुहम्मदहसन ५१--भुन्नालाल ५२--जटाशंकर ५३--रहमतहुसैन क्लीनर---रामदुलारे चौकीदार--- १--अगस २--लालबहादुर ३--गंगाप्रसाद
४	डिस्पेच अनुभाग	
४५	रेलवे से माल लाने के लिये	५४--ताहिर हुसेन ५५--दुर्गा प्रसाद

उपरोक्त के अलावा ३ चौकीदार कार्यालय आदि की चौकीदारी के लिये रहे तथा एक क्लीनर मोटरों की सफाई के लिय ।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३२ पर)

वृद्धावस्था पेंशन के लिये कोई भी निराश्रित व्यक्ति (Destitute) जो ६५ वर्ष या उससे अधिक का है और प्रार्थना पत्र देने के दिनांक से एक वर्ष पूर्व से उत्तर प्रदेश में रह रहा है, आवेदन पत्र दे सकता है। निराश्रित व्यक्ति वे माने जाते हैं जिनकी मासिक आय १० रु० तक है और जिनके २० वर्ष या उससे ऊपर की आयु के कोई भी निम्नलिखित संबंधी नहीं हैं।

(१) पुत्र

(२) पुत्र का पुत्र

(३) पति, पत्नी

(४) सगा भाई (स्त्रियों के लिये नहीं)

इसके अतिरिक्त आयु संबंधी प्रतिबन्ध में उन व्यक्तियों को कुछ छूट दी गई है जो अपाहिज हैं या शारीरिक रूप से ऐसे असमर्थ हैं कि स्वयं जीवकोपार्जन नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्तियों के लिये आयु की सीमा ६५ से घटा कर ६० वर्ष कर दी गई है।

प्रार्थी को छपे हुये प्रार्थना के दो पत्र फार्म, जो तहसीलों में उपलब्ध हैं, भरकर अपने तहसील के तहसीलदार अथवा खंड विकास अधिकारी (Block Development) को भेजना होता है।

परिशिष्ट 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ १२३ पर)

यू० पी० में रेवेन्यू विभाग के जिलों के अनुसार सब-रजिस्ट्रारों की संख्या का वितरण

क्रम-संख्या	रेवेन्यू विभाग के जिले	कुल सब रजिस्ट्रारों तथा पार्ट टाइम (Part-times) सब-रजिस्टरों की संख्या	खाना (२) में दिये गये सब-रजिस्ट्रारों में से हरिजन कितने हैं
१		२	३
	उत्तर प्रदेश—		
१	सहरनपुर	५	२
२	देहारादून	१	—
३	मेरठ	७	१
४	मुजफ्फरनगर	४	—
५	अलीगढ़	६	१
६	एटा	४	—
७	बुलन्दशहर	४	—
८	आगरा	५	—
९	मथुरा	४	—
१०	फर्रुखाबाद	४	—
११	मैनपुरी	४	—
१२	एटावा	४	१
१३	बरेली	६	—
१४	रामपुर	३	२
१५	पीलीभीत	२	—
१६	मुरादाबाद	२	—
१७	बिजनौर	५	१
१८	बदायूं	५	१
१९	शाहजहांपुर	४	१
२०	कानपुर	७	—
२१	फतेहपुर	३	—
२२	बांदा	४	—
२३	हमीरपुर	५	—
२४	इलाहाबाद	८	—
२५	झांसी	५	—
२६	जालौन	३	—
२७	वाराणसी	८	—

क्रम-संख्या	रेवेन्यू विभाग के जिले	कुल सब-रजिस्ट्रारों तथा पार्ट टाइम (Part time) सब रजिस्ट्रारों की संख्या	खाना (२) में दिये गये सब-रजिस्ट्रारों में से हरिजन कितने हैं
१		२	३
२८	मिर्जापुर	३	—
२९	जौनपुर	५	—
३०	गाजीपुर	४	—
३१	बलिया	३	—
३२	गोरखपुर	४	—
३३	देवरिया	४	—
३४	बस्ती	६	—
३५	आजमगढ़	६	—
३६	नैनीताल	३	—
३७	अलमोड़ा	२	—
३८	पिथौरागढ़	१	—
३९	गढ़वाल	२	—
४०	चमोली	१	—
४१	टेहरीगढ़वाल	१	—
४२	उत्तर काशी	१	—
४३	लखनऊ	४	—
४४	उन्नाव	४	—
४५	बाराबंकी	४	१
४६	हरदोई	४	—
४७	सीतापुर	४	—
४८	खीरी लखीमपुर	३	—
४९	गोंडा	४	—
५०	बहराइच	३	—
५१	फैजाबाद	४	—
५२	सुलतानपुर	४	—
५३	रायबरेली	४	—
५४	प्रतापगढ़	३	—

(जयराम चतुर्वेदी)
निबन्धन महानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२५ पर)

नामावली

ग्राम पंचायत, सुन्दरयार विकास क्षेत्र, बनकटा के घोषित सदस्यों तथा न्याय पंचायत के पंचों की सूची

क्रमांक	नाम सदस्य ग्राम पंचायत	क्रमांक	नाम-सदस्य न्याय पंचायत
१	सर्वश्री अब्दुल	१	सर्वश्री विन्ध्याचल
२	डोमा	२	रामधारी
३	विश्वनाथ		
४	महाबीर		
५	रामपति		
६	राम टहल		
७	राममूर्ति		
८	सुरेश		
९	सोबराती		
१०	श्रीकान्त		
११	हैदर		
१२	हीरा		
१३	गनेश पांडेय		
१४	घरमरन		
१५	मधुबन पांडेय		
१६	रंग लाल		
१७	राम पूजन		
१८	झब्बू		
१९	राम किशुन		
२०	राम बुत		

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२५ पर)

क्र०सं०	ब्लाक का नाम	हाथ नलों की संख्या
१	चरगांवा	२९
२	सहजनवा	१९
३	फरेन्दा	२०
४	जंगल कोडिया	२१
५	बृजमनगंज	१५
६	बड़हलगंज	३८
७	बानी	२०
८	पाली	२५
९	खोरावार	२५
१०	लक्ष्मीपुर	३०
११	पिपराली	२०
१२	गगहा	६३
१३	पनीयरा	२६
१४	ससनी	४
१५	पिठौरा	१५
१६	बांसगांव	१५
१७	बर्डघाट	९
१८	कन्थौरगंज	३०
१९	कोड़ीराम	२१
२०	धुधुली	२६
२१	नौतनवां	५
२२	उरुआ	५
२३	सिसवा	१८
२४	चिक्सौल	३३
२५	ब्रह्मपुर	२९
	योग ..	५६१

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ १३१ पर)

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, १९६४

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३, १९६४)

[उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय ने 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद २१३ (१) के अन्तर्गत दिनांक २७ जून, १९६४ ई० को प्रचारित किया और दिनांक २७ जून, १९६४ ई० के उत्तर प्रदेश सरकारी गजट में प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६३ को संशोधित करने के लिए — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६३

अध्यादेश

यह आशा की जाती थी कि राज्य में स्थानीय निकायों के निर्वाचन, जैसा कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६३ में अवेक्षित था, जून, १९६४ के अन्त तक पूर्ण हो जायेंगे, किन्तु प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण उन्हें स्थगित करना पड़ा ; — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६३

और नये निकायों का संघटन होने तक वर्तमान स्थिति बनाये रखने के लिये व्यवस्था करने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम को संशोधित करना इष्टकर है;

और चूंकि राज्य विधान मण्डल का सत्र नहीं हो रहा है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है,

अतएव, अब, 'भारत के संविधान' के अनुच्छेद २१३ के खंड (१) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

१—(१) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारंभ

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६३ की धारा ३ और ४ में, जहां-जहां भी अंक तथा शब्द "३० जून, १९६४" आये हों, उनके स्थान पर अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, १९६४" रख दिये जायें — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६३ की धारा ३ और ४ का संशोधन

ज्ञापन-पत्र

अधिकांश नगरपालिका बोर्डों, टाउन एरिया कमेटियों और नोटीफाइड एरिया कमेटियों के सामान्य निर्वाचन मई–जून, १९६४ में होने को थे, किन्तु प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण उन्हें स्थगित करना पड़ा। अक्तूबर-नवम्बर, १९५७ में हुए सामान्य निर्वाचन के फलस्वरूप संघटित उक्त स्थानीय निकायों का कार्य काल, और कतिपय टाउन एरिया कमेटियों के अतिक्रमण की अवधि कुल मिला कर दो वर्ष के लिए बढ़ायी जा चुकी थी और फिर उनकी अवधि को उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६३ द्वारा ३० जून, १९६४ तक पुनस्संघटन के दिनांक तक के लिए बढ़ा दिया गया था। सामान्य निर्वाचन को और आगे स्थगित किये जाने के कारण वर्तमान स्थिति बनाये रखने के लिए ३० जून, १९६४ के पूर्व कार्यवाही करना आवश्यक हो गया था। चूंकि विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था, इसलिए उपर्युक्त विषय के संबंध में २७ जून, १९६४ को एक अध्यादेश (प्रतिलिपि संलग्न है) प्रख्यापित करना पड़ा।

चतुर्भुज शर्मा,
स्वायत शासन मंत्री।

नत्थी 'झ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १३१ पर)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४ में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण

१--खण्ड २ के उपखंड (ख) (३) की उपांतीय टिप्पणी में "१८९२" के स्थान पर "१८९८" कर दिया गया है।

२--खण्ड २ के उपखंड (ख) (११) में शब्द "ट्रक्टर" के स्थान पर शब्द "ट्रैक्टर" कर दिया गया है।

३--खण्ड ६ की उपांतीय टिप्पाणी में शब्द "अनुबन्धी" के स्थान पर शब्द "अनुबन्धों" कर दिया गया है।

४--खण्ड (८) की द्वितीय पंक्ति में "बाहन" के स्थान पर शब्द "वाहन" कर दिया गया है।

५--खण्ड १२ के उपखण्ड (३) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "ऐसी" के स्थान पर शब्द "ऐसे" कर दिया गया है और इसी उपखंड की पंक्ति ४ में शब्द "निर्धारण" और "तीस" के बीच शब्द "की" के स्थान पर शब्द "के" कर दिया गया है।

६--खण्ड १८ के उपखण्ड (२) के प्रतिबन्धों में जहां-जहां शब्द "जाए" आया है वहां वहां शब्द "जाय" कर दिया गया है।

७--खण्ड १८ के उपखंड (५) में शब्द "कर" के स्थान शब्द "पर" कर दिया गया है।

८--खण्ड २३ के उपखण्ड (२) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "प्रस्तुत" के स्थान पर शब्द "प्रस्तुत" कर दिया गया है।

९--खण्ड ३२ के उपखण्ड (२) (ङ) की पंक्ति २ में शब्द "जिसके" और "और" के बीच आने वाले शब्द "पूर्व" की छापे की त्रुटि का शोधन कर दिया गया है।

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १३१ पर)

उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक विधेयक, १९६४ में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण

१—खण्ड ९ के उपखण्ड (१) की पंक्ति ४ में शब्द "को" के स्थान पर शब्द "की" कर दिया गया है।

२—खण्ड १२ की पंक्ति ४ में शब्द "जायगी" के स्थान पर शब्द "जायेंगी" कर दिया गया है।

३—खण्ड १६ के उपखंड २(क)(३) में छापे की त्रुटि का शोधन कर दिया गया है।

४—खण्ड २५ की उपांतीय टिम्पणी में अंक "२७" के स्थान पर अंक "४" कर दिया गया है।

५—खण्ड २८ के उपखंड(४)के आरम्भ और अन्त में इनवर्टेड कामा हटा दिये गये हैं।

६—खण्ड २९(झ)में "प्रतिभति" के स्थान पर शब्द "प्रतिभूति" कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—९४ एल० ए०—१९६४—८६०।